राजभाषा भारती

अंक : 101, वर्ष : 26

अप्रैल-जून, 2003

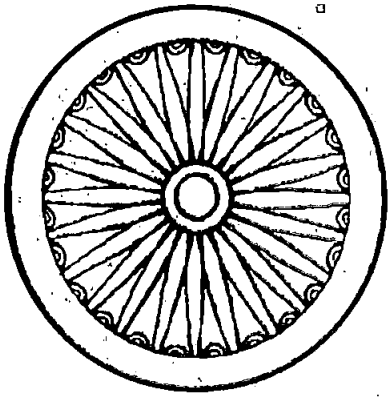

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

एक नई पहल—एक नई उमंग : दक्षिण भारत के प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंक सिंडिकेट बैंक के दिल्ली अंचल ने गत 30 मई, 2003 को अपनी कालकाजी डीटीसी डिपो शाखा को हिन्दी में पूर्णत: कम्प्यूटरीकृत शाखा के रूप में विकसित कर दिया। उक्त चित्र में शाखा की ए०एल०पी०एम० कम्प्यूटर मशीनों में लगाए गए 'बैंक मित्र' नामक हिंदी के सॉफ्टवेयर का उद्घाटन करते हुए बैंक के महाप्रबंधक श्री राजेन्द्र कुमार अबरोल।

आकाशवाणी, पणजी हिंदी कार्यशाला में अध्यक्षीय उद्बोधन करते हुए श्री बी० डी० मजुमदार।

भारति जय विजय करे, कनक-शस्य-कमल धरे
—निराला

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

वर्ष : 26

अंक : 101

अप्रैल-जून, 2003

❑ संपादक
कृष्ण चंद्र श्रीवास्तव
निदेशक (अनुसंधान)
फोन : 24619521

❑ उप संपादक
वेद प्रकाश दुबे
फोन : 24698054

❑ संपादन सहायक
शांति कुमार स्याल
फोन : 24698054

❑ निःशुल्क वितरण के लिए

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। सरकार अथवा राजभाषा विभाग का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

❑ पत्र-व्यवहार का पता :
संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन (द्वितीय तल)
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
फोन : 24698054, 24617807

विषय-सूची — पृष्ठ

❑ संपादकीय — iii

❑ लेख

1.	इंटरनेट साइट में हिंदी भाषा का प्रसार	श्री विजय प्रभाकर कांबले	1
2.	खुलकर हंसिए—स्वस्थ रहिए	श्री योगेश चंद्र शर्मा	3
3.	रामचरित मानस में "मंदोदरी" एक सशक्त चरित्र	डॉ. राजकुमारी शर्मा "राज"	6
4.	तमसो मा ज्योतिर्गमय	श्री सुशील सरित	9
5.	नारी सौंदर्य का अलौकिक अलंकरण : गुदना	डॉ. विभा शुक्ला	12
6.	बिखरते परिवारों में वेदना के स्वर	डॉ. पी० के० खरे	16
7.	विज्ञान के क्षेत्र में दर्शन की भूमिका	डॉ. दिनेश मणि	19
8.	अमेरिका में हिंदी	सुश्री संतोष अग्रवाल	22
9.	गाँधी के आश्रम में	डॉ. सुधेश	25
10.	पश्चिमी देशों में शाकाहार की वापसी	श्री हरिकृष्ण निगम	28
11.	आयुर्वेद में डायबिटीज़ मेलिटस (मधुमेह)	डॉ. श्रीमती सुरिन्द्र कटोच	30

❑ स्मृति

12.	हिंदी के पुरोधा पं. सुधाकर पाण्डेय	डॉ. देशबन्धु राजेश तिवारी	32

❑ राजभाषा संबंधी गतिविधियां

—नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ — 35
—राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ — 39
—कार्यशालाएँ — 42
—विविधा — 54
—आदेश-अनुदेश — 57

संपादकीय

"राजभाषा भारती" का अप्रैल—जून, 2003 अंक प्रस्तुत करते हुए हमें हर्ष का अनुभव हो रहा है। अपरिहार्य कारणों से इस अंक के प्रकाशन में थोड़ी देरी हुई जिसके लिए खेद है। यह अंक जब आपको प्राप्त होगा आप और हम हिंदी दिवस मना चुके होंगे। हिंदी दिवस हमें राजभाषा के प्रति अपने संकल्प और प्रतिबद्धता का स्मरण कराता है। वास्तव में 14 सितम्बर, 1949 को हिंदी राष्ट्रीय स्तर पर राजभाषा स्वीकृत हुई, साथ ही राज्य स्तर पर क्षेत्रीय भाषायें, राजभाषाएं बनीं, अतएव यह "भारतीय भाषा दिवस" भी है। हिंदी की प्रतिस्पर्धा भारतीय भाषाओं से नहीं है बल्कि उसे राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का स्थान लेना है। इसी दिशा में राजभाषा विभाग के सारे प्रयास निर्दिष्ट हैं। इसी कड़ी में हिंदी दिवस के अवसर पर उप प्रधानमंत्रीजी द्वारा हिंदी सीखने के लिए—लीला हिंदी, प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ के वेब वर्जन का लोकार्पण किया गया। प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना की सुविचारित नीति पर चलकर आशा है कि राजभाषा अपना उचित स्थान प्राप्त कर लेगी। हिंदी दिवस की विस्तृत रिपोर्ट हम अगले अंक में प्रकाशित करेंगे।

राजभाषा भारती के लिए हमें बहुत से आलेख प्राप्त होते हैं जिनमें अधिकांशत: हिंदी के राजभाषा पक्ष को उजागर करते हैं। इनमें अधिकतर पुनरावृत्ति ही होती है। इस विषय पर राजभाषा से संबंधित नियम, अधिनियम के बारे में राजभाषा विभाग के अनेक प्रकाशन उपलब्ध हैं। जैसा कि माननीय उप प्रधानमंत्रीजी ने अपने हिंदी दिवस के संदेश में कहा था, आवश्यकता है राजभाषा हिंदी को अधिनियम और नियमों की सीमाओं से मुक्त करने की और अधिक से अधिक काम मूल रूप से हिंदी में करने की। आवश्यकता इस बात की भी है कि लेखकगण ज्ञान, विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न आयामों पर हिंदी में साहित्य सृजन करें और इस बारे में आलेख राजभाषा भारती में प्रकाशन हेतु भेजें। ❑

इंटरनेट साइट में हिंदी भाषा का प्रसार

—विजय प्रभाकर कांबले*

सूचना प्रौद्योगिकी के बदलते परिवेश में हिंदी भाषा ने अपनी स्थान धीरे-धीरे प्राप्त कर लिया है। आज हमारी मानसिकता में बदलाव लाने की जरुरत है। आधुनिकीकरण के दौर में भाषा भी अपना स्थान ग्रहण कर लेती है। हिंदी की उपादेयता पर कोई भी प्रश्न चिह्न लगा नहीं सकता। लेकिन संकोचित स्वार्थ के कारण भारतीय भाषाओं को नकारना हमारी मानसिक गुलामी की निशानी है।

आज भले ही चीन, जापान, रूस, जर्मनी, अरब आदि अंग्रेजीतर देशों ने अपनी भाषा में विकास किया हो, लेकिन भारत में अगर राजभाषा, संपर्क भाषा, लोकभाषा को हम विकसित नहीं कर पाए तो यह हमारी हार होगी। जिस देश के नवयुवकों ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रणाली को विकसित किया है, उसी देश की जनता को विदेश की ओर मुंह ताकना पड़ता है। इस स्थिति में बदलाव लाने की जरूरत है। भाषा का संबंध जिस तरह मंद बुद्धी से होता है, उसी तरह उसका संबंध हर व्यक्ति के रोजी रोटी तथा पारिवारिक विकास से भी जुड़ा होता है। इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी की नए तंत्र को समझ लेना चाहिए।

निम्नलिखित इंटरनेट साइट पर हिंदी सहित प्रमुख भारतीय भाषाओं के लिए उपयुक्त संपर्क सूत्र, ई-मेल, सॉफ्टवेयर आदि जानकारी उपलब्ध है।

1. www.dol.nic.in

   राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की इस साइट पर राजभाषा हिंदी संबंधित नियम, अधिनियम, वार्षिक कार्यक्रम, तिमाही, अर्धवार्षिक, वार्षिक विवरण हिंदी सीखने के लिए लीला-प्रबोध पॅकेज आदि महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। इस साइट पर उपलब्ध जानकारी सभी सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों, उद्यमों के लिए उपयुक्त है।

2. www.rajbhasha.com

   इस साइट पर राजभाषा हिंदी संबंधित नियम, साहित्य, व्याकरण, शब्दकोश, पत्रकारिता, तकनीकी सेवा, हिंदी संसार, पूजा-अर्चना, हिंदी सीखें आदि संपर्क सूत्र उपलब्ध है।

3. www.indianlanguages.com

   इस साइट पर हिंदी सहित सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के लिए साहित्य, समाचार-पत्र, ई-मेल, सर्च-इंजन आदि महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है।

4. www. tdil.gov.in

   सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास (Technology Development for Indian Languages) नामक इस साइट पर राजभाषा हिंदी विकास संबंधित तकनीकी जानकारी, सॉफ्टवेयर अनुसंधान रत संघठनों की जानकारी, भारत सरकार की योजना-भाषा-2010 आदि उपलब्ध है। इस साइट की इलेक्ट्रानिक पत्रिका "विश्व भारत" अत्यंत उपयोगी है।

5. www.cdacindia.com

   सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय भाषाओं के लिए इस साइट पर सॉफ्टवेयर, तकनीकी विकास संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। हिंदी, मराठी, संस्कृत और कोकणीं भाषाओं के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

6. www.dictionary.com

   इस साइट पर विश्व की प्रमुख भाषाओं के शब्दकोश, अनुवाद, समानार्थी शब्दकोश, वैब डिरेक्टरी, वायरलेस मोबाइल शब्दकोश तथा व्याकरण संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है।

7. भारतीय वैब सर्च इंजन :—
   1. www.searchindia.com
   2. www.jadoo.com
   3. www.khoj.com
   4. www.iloveindia.com
   5. www.123india.com
   6. www.samilan.com

*भारत संचार निगम लि०, तार घर, अहमदाबाद-414001

7. www.samachar.com
8. www.search.asiaco.com
9. www.rekha.com
10. www.sholay.com
11. www.locateindia.com
12. www.mapsofindia.com
13. www.webdunia.com
14. www.netjal.com

8. www.rosettastone.com

इस साइट पर हिंदी सहित विश्व की सभी भाषाओं को सीखने के लिए इलेक्ट्रानिक सुविधाएँ उपलब्ध है। विश्व की 80 भाषाओं का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने हेतु पर्यटकों के लिए Gold Partner V6 नामक डीजिटल डायरी उपलब्ध है।

9. www.wordanywhere.com

इस साइट पर किसी भी अंग्रेजी शब्द का हिंदी समानार्थी शब्द तथा किसी हिंदी शब्द का अंग्रेजी समानार्थी शब्द प्राप्त किया जा सकता है।

10. **हिंदी में ई-मेल की सुविधाएँ :—**

1. www.epatr.com
2. www.mailjol.com
3. www.langoo.com
4. www.cdacindia.com
5. www.bharatmail.com
6. www.rediffmail.com
7. www.webdunia.com
8. www.danikjagran.com

11. www.bharatdarshan.co.nz

न्यूजीलैंड में बसे मूल भारतीय लोगों ने इस साइट पर हिंदी साहित्य, कविताएँ लघुकथाएँ, व्याकरण आदि सामग्री प्रस्तुत की है।

12. www.boloji.org

पारिवारिक रंगारंग पत्रिका, जिसमें हिंदी साहित्य, कला, संस्कृति आदि संबंधित संकलन उपलब्ध है।

13. www.unl.ias.unu.edu

टोकियों विश्व विद्यालय द्वारा विकसित इस साइट पर हिंदी सहित विश्व की 15 भाषाओं के विकास के लिए अनुसंधान कार्य जारी है। इस योजना का नाम Universal Net Working Languages रखा है, जिसमें सभी शब्दकोश तथा अनुवाद कार्य के सहारे विश्व शांति एवं एकता स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।

14. www.hindinet.com

इस साइट पर हिंदी भाषा संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, संपर्क सूत्र उपलब्ध है।

15. www.microsoft.com/india/hindi 2000

विश्व प्रसिद्ध माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने हिंदी भाषा के लिए एम एस ऑफिस-2000 पॅकेज विकसित किया है। इसमें चॅटिंग (गपशप), समाचारपत्र आदि सुविधाएँ है।

16. www.cstt.nic.in

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, भारत सरकार द्वारा विकसित इस साइट पर प्रशासनिक शब्दकोश सहित अनेक विषयों के तकनीकी शब्दकोश प्रस्तुत किये गए है। हिंदी, अंग्रेजी के लिए उपलब्ध शब्दकोश कार्यालयों के लिए काफी उपयोगी है।

17. www.ciil.org

केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, भारत सरकार ने सभी भारतीय भाषाओं के विकास के लिए इस साइट का निर्माण किया है। सभी भारतीय भाषाओं में पारस्पारिक आदान-प्रदान बढ़ाने के लिए यह संस्थान विशेष कार्य कर रहा है।

18. www.gadnet.com

इस साइट पर हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी की कविताएँ, गीत आदि साहित्य उपलब्ध है।

19. www.nidatrans.com

इस साइट पर हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलगु भाषाओं के लिए अनुवाद, डीटीपी आदि सेवा उपलब्ध है।

20. www.sharmema.com

इस साइट पर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पश्तु, पख्तु, पाश्तो भाषाओं के लिए समानार्थी शब्द प्राप्त किया जा सकता है।

21. www.hindibhasha.com

इस साइट पर हिंदी भाषा के लिए उपयुक्त जानकारी उपलब्ध है। ❑

खुलकर हँसिए—स्वस्थ रहिए

—योगेश चन्द्र शर्मा*

स्वस्थ शरीर का महत्व मन, बुद्धि, आत्मा, धन, वैभव सबसे ऊपर है। 'जान है तो जहान है', स्वास्थ्य से ही सब सांसारिक आनंदों के द्वार खुलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति खुशी चाहता है, स्वस्थ्य रहना चाहता है क्योंकि जिस प्रकार भोजन, नींद, सांस आदि लेना आवश्यक है उसी प्रकार शरीर की निरोगता के लिए प्रसन्न रहना आवश्यक है क्योंकि आज का मानव-जीवन अनेक तनावों से भरा हुआ हैं। कहीं न कहीं कोई न कोई चिन्ता उसे घेरे रहती है, जिससे उसका मन तनावग्रस्त हो जाता है। घर पर पत्नी और बच्चों की चिन्ता, दफ्तर में अफसर की डांट फटकार और अधीनस्थ कर्मचारियों की अनुशासनहीनता से उसे मानसिक पीड़ा होती है तो सड़क पर चलते हुए किसी दुर्घटना की आशंका उसके मन को घेरे रहती है। नित्य प्रात: काल आने वाला समाचार-पत्र भी उसे अनेक प्रकार के तनाव दे जाता है। बढ़ती हुई महंगाई, देश में बढ़ती हिंसा और अव्यवस्था का दौर तथा किसी सगे संबंधी या मित्र की मृत्यु के समाचार भी हमें तनाव ग्रस्त करने के लिए कम नहीं हैं। इस तनावग्रस्त जीवन का नतीजा होता है सिरदर्द, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग तथा इसी प्रकार के अनेक अन्य रोग, जो हमारे लिए अत्यन्त खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं।

जीवन को तनावमुक्त रखने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। खुलकर और नियमित रूप से हँसना। जो व्यक्ति सदैव प्रसन्नचित और तनाव मुक्त रहता है वह किसी रोग के शिकंजे में मुश्किल से ही आ पाता है। खुलकर हंसने से शरीर की अधिकांश मांस पेशियाँ, हृदय तथा जिगर का भरपूर व्यायाम हो जाता है। इससे जीवन की नीरसता, थकान, एकाकीपन और उदासी जैसी बातें स्वत: नष्ट हो जाती हैं। आर्थराइटस तथा क्रोनिक एलर्जी जैसे अनेक रोगों में भी हमारी मस्त हंसी काफी राहत पहुंचाती है। हँसी से हमारा रक्त संचार बढ़ता है तथा विभिन्न आन्तरिक अंगों का व्यायाम होता है। हंसने से हमारे मस्तिष्क में कैटेकोलमिन जैविक रसायनों की उत्पत्ति होती है। ये जैविक रसायन हैं—एपिनेफरीन, नार एपिनेफरीन और डोपामिन। ये जैविक रसायन हमारे मस्तिष्क में एंडोरफिल नामक तत्व तैयार करते हैं जो हमारी किसी भी शारीरिक या मानसिक पीड़ा को नष्ट करने में समर्थ है। इससे हमें आराम का अहसास होता है। कैटेकोलमिन हमारे घावों को भरने तथा उनकी जलन को कम करने में भी सहायक होता है। चिकित्सकों का कहना है कि जब व्यक्ति हँसता है तो उसकी लगभग 13 ऐसी मांस पेशियां सक्रिय हो उठतीं हैं, जो सामान्यत: निष्क्रिय पड़ी रहती हैं। हंसने से हमारी पाचन क्रिया भी स्वस्थ रहती है। प्रसन्नचित भोजन करने पर व्यक्ति के लिए साधारण सा भोजन भी गुणकारी सिद्ध होता है, जबकि कलह और अनिच्छा से भोजन करने वाले के लिए पौष्टिक भोजन भी व्यर्थ हो जाता है।

प्रसिद्ध मनोरोग वैज्ञानिक डा० विलियम एफ. फ्राय का कथन है कि एक दिन में सौ बार हँसना, दस मिनट तक चप्पू चलाने के समान शक्ति वर्धक है। प्रोफेसर कजिन्स का विचार है कि हर प्रकार के रोगी के लिए हास्य एक श्रेष्ठ औषधि का काम करता है। उनके अनुसार प्रतिदिन नियमित रूप से हंसना चार मील दौड़ने के बराबर लाभ दायक होता है। मनोरोग विशेषज्ञ एशले मोंटागु का कथन है कि लोगों को किसी भी बात को अपनी गांठ में नहीं बांधना चाहिये उन्हें निरन्तर बाल सुलभ सरलता बनाये रखनी चाहिए तथा किसी भी प्रकार के तनाव से बचना चाहिए। जो लोग मित्रों के बीच बैठ कर उन्हें हँसाने में माहिर होते हैं, उनके लिए प्रसिद्ध साहित्यकार शैक्सपीयर का कहना है कि हास्य एक ऐसा श्रेष्ठ दान है, जिससे हँसने और हँसाने वाले दोनों का ही उपकार हेाता है। इन लोगों के लिए स्टीवेन्सन ने लिखा है—"ऐसे लोगों के शुभागमन से ऐसा लगता है कि मानों एक नया और सुन्दर दीपक प्रज्जवलित हो गया हो। ऐसे लोग स्वयं के साथ ही संसार का भी उपकार करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा करते थे कि यदि उनमें विनोदप्रियता नहीं होती तो वे कभी की आत्म-हत्या कर चुके होते। डा० राजेन्द्र प्रसाद, सरदार बल्लभ भाई पटेल तथा पंडित जवाहर लाल नेहरू

*10/611, मानसरोवर, जयपुर-302020 (राजस्थान)

जैसे सामान्यत: गंभीर रहने वाले हमारे अन्य राष्ट्रीय नेताओं में भी विनोदप्रियता पर्याप्त रूप में विद्यमान थी। यह विनोद-प्रियता व्यक्ति को कठोर क्षणों में भी सहृदय बनाए रखती है। डाक्टर बरसाने लाल चुतुर्वेदी के ये शब्द कितने सत्य और मार्मिक हैं—"काश, आतंकवादी हँसना जानते तो हजारों मासूम नर-नारियों को निष्ठुरता से न मार डालते"।

जीवन में हास्य का महत्व प्राचीन काल से ही स्वीकार किया जाता रहा है। उस समय राज दरबार में विदूषकों को विशेष रूप से नियुक्त किया जाता था। उद्देश्य यही होता था कि वे तनाव के क्षणों में राजा का मनोरंजन कर उसे तनाव मुक्त कर सकें। जन साधारण के मनोरंजन के लिए भी विदूषकों के अतिरिक्त बाजीगर, भांड, या नट आदि हुआ करते थे। साहित्य में भी हास्य को प्रमुख स्थान दिया गया और विद्वानों ने इसे नव रसों में प्रमुख रस के रूप में मान्यता दी। संस्कृत साहित्य में हास्य का विशाल कोश है, जो किसी भी व्यक्ति के उदास मन को गुदगुदा सकता है। संस्कृत साहित्य से ऐसे ही कुछ उद्धरण यहां प्रस्तुत हैं—

"लक्ष्मी कमल में जा छुपीं, महादेव हिमालय में जा छुपे, विष्णु भगवान क्षीर सागर में चले गये। कारण था खटमलों और मच्छरों का भय।"

"इस असार संसार में श्वसुर का घर ही सार है। महादेव जी हिमालय पर रहते हैं और विष्णु भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं।"

"एक मठाधीश बाबा किसी शिष्य के घर उड़द के बड़ों से ठसाठस पेट भरकर आए। पेट फूल उठा। जब उन्होंने मशीनगन की भांति गोलियां छोड़नी प्रारम्भ की, तब भड़भड़ाकर कबूतर उड़े, मिट्टी के घड़े अपने आप फूट गए, भूमि कांप उठी, शिष्य घबराकर दौड़े और बालक गिर पड़े। इस प्रकार मठ में सर्वत्र कोहराम मच गया।"

"शिव के सर्प को भूख लगी है। वह गणपति के वाहन चूहे को खाना चाहता है। उधर कार्तिकेय का मयूर सांप के ऊपर आक्रमण कर रहा है। दूसरी ओर पार्वती का वाहन सिंह भूख से त्रस्त होकर गजानन के सिर पर गरज रहा है। स्वयं पार्वती, शिव-जटाओं में विराजमान भागीरथी की ओर ईर्ष्या भरी दृष्टि से निहार रही हैं और त्रिनेत्र के मस्तक पर स्थित तीसरे नेत्र की अग्नि चन्द्रशेखर की चन्द्रकला को झुलसा देना चाहती हैं। अपने कुटुम्ब का यह कलह देखकर भगवान शंकर ने हलाहल पी लिया।"

प्राचीन विद्वानों ने हास्य की अनेक किस्मों का वर्णन किया है। उदाहरणार्थ हल्की हंसी, जिसमें दांत न दिखलाई दें, मधुर हास या स्मित कहलाता है। इसमें केवल ओंठ हल्के से फैलते हैं, परन्तु हास्य की मधुरिम आभा पूरे चेहरे पर दिखलायी देती है। यदि हास्य में तनिक से दांत दिखलाई दे जाएं, तो वह हसित कहलाता है। इसमें भी हास्य की आवाज नहीं आती। यदि हंसने से चेहरे पर हास्य की हल्की लालिमा छा जाए और मुंह से हँसने की आवाज कुछ समय तक आती रहे तो उसे उपहसित कहते हैं। जब हँसी की आवाज बहुत जोरों से हो, आंखों से पानी बहने लगे और व्यक्ति हंसते हंसते लोटपोट हो जाए तो उसे अट्टहास या अतिहसित कहते हैं। हास्य की सभी किस्में स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, परन्तु अट्टहास हमारे स्वास्थ्य में विशेष योगदान करता है। यह अवश्य है कि सभा सोसायटी में इस प्रकार का हास्य फूहड़पन कहलाता है। वहां स्मित या अधिक से अधिक हसित वाला हास्य ही उचित माना जाता है। व्यंग्य और उपहास भी हास्य के ही उपांग हैं। व्यंग्य किसी अन्य व्यक्ति पर किया गया ऐसा कटाक्ष है, जिससे वह तिलमिला कर रह जाए, परन्तु सीधी चोट न होने के कारण वह सीधे रूप में उसका विरोध न कर सके। उपहास किसी अन्य व्यक्ति की मजबूरी पर किया गया कटाक्ष है। जिसके परिणाम कभी कभी अत्यंत भयानक होते हैं। उदाहरण के लिए द्रोपदी ने कौरवों को अन्धे का पुत्र कहकर उनका उपहास किया, जिसका परिणाम महाभारत युद्ध के रूप में हमारे सामने आया। स्पष्ट ही उपहास का समर्थन नहीं किया जा सकता।

विनोदशील व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी इस प्रवृति को बनाये रखता है। उदाहरणार्थ द्वितीय विश्व युद्ध में लंदन की अनेक दुकानें बमबारी से ध्वस्त हो गयीं। फिर भी कुछ लोगों ने अपनी दुकानों को चालू रखा। ऐसी ही एक दुकान के बोर्ड पर मालिक ने बड़े विनोदपूर्ण ढंग से यह इबारत लिखी—'मोर ओपन देन बिफोर' अर्थात् पहले से अधिक खुली दुकान। इसी प्रकार की एक अन्य टूटी फूटी दुकान पर लिखा था—बमबारी के बावजूद हम अपने धन्धे पर हैं। सामान्य परिस्थितियों में एक नाई की दुकान पर लिखी यह इबारत भी बड़ी रोचक है—'हमें अपना धन्धा चलाने के लिए आपका सिर चाहिए।'

हास्य का मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस संबंध में 'सेटर्डे रिव्यु' के संपादक नार्मन कजन्स के साथ घटी घटना उल्लेखनीय है। अपनी बढ़ती अस्वस्थता के कारण जब उसने डाक्टरों से परामर्श लिया तो पता चला कि उसे पंगु कर देने वाला एक ऐसा स्पाइनल रोग लग गया है, जिसका कोई उपचार नहीं। यह जानकारी मिलने पर भी वह निराश नहीं हुआ। उसने अपने कार्य से कुछ दिनों का अवकाश लेकर ऐसी पुस्तकें पढ़ना प्रारम्भ किया, जो बेहद हास्य प्रधान थीं। हास्य फिल्मों और हास्य कॉमिक्स का भी उसने भरपूर सहारा लिया। वह जमकर खूब हंसता और फिर सो जाता। बिना किसी औषधि-उपचार के उसने महीनों तक ऐसा ही किया। बाद में उसने जब चिकित्सकों से अपना पुन: परीक्षण करवाया तो वे यह देखकर आश्चर्य चकित रह गये कि नार्मन कजन्स निरोग और स्वस्थ हो चुका है।

हास्य के प्रभाव के बारे में इस प्रकार के प्रयोग अन्य अनेक स्थानों पर भी किये गए। इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध कलाकार जैस्टर किसी गम्भीर रोग का शिकार हो गया। डाक्टरों को उसके जीवन की आशा नहीं रही। एक दिन उसे कहीं चुटकलों की पुस्तक हाथ लग गयी। उसने उसे पढ़ा और खूब खुलकर हँसा। उसे अपने कष्ट में कुछ राहत महसूस हुई। इसके बाद तो नित्य प्रति खुलकर हँसना, उसकी दिनचर्या का अंग बन गया। धीरे-धीरे जैस्टर भी अपने रोग से मुक्त होकर पूर्ण स्वस्थ हो गया। स्वीडन के एक डाक्टर लार्स ने अपने छ: मरीजों पर केवल हास्य से उपचार किया। इन मरीजों की मांस पेशियों में और हड्डियों में दर्द होता था तथा वे तनाव ग्रस्त रहते थे। डाक्टर लार्स ने उन्हें सदैव प्रसन्न रखने और हँसते रहने के सभी साधन जुटाए। नतीजा यह हुआ कि कुछ ही समय में वे सभी रोगी पूर्णत: स्वस्थ हो गए। वर्जीनिया विश्व विद्यालय के एक चिकित्सक डाक्टर रेमन्स ए. मूडी ने अपनी पुस्तक "लॉफ आफ्टर लॉफ, द हीलिंग पावर्स आफ हुयूमर" में इसी प्रकार के अनेक अनुभवों का संकलन किया है। डाक्टर मूडी के द्वारा दिए गए विवरणों के अनुसार उन्होंने कैन्सर-ग्रस्त एक रोगी के ट्यूमर को केवल हास्य से नष्ट करने में सफलता प्राप्त की थी। इसी प्रकार मानसिक रोग से ग्रस्त एक बारह वर्षीया बालिका को जोकरों का एक ऐसा खेल दिखाया गया, जिससे वह काफी देर तक अट्टहास करती रही। इस प्रथम प्रयोग ने ही उस बालिका को काफी लाभ पहुंचाया।

आधुनिक युग में यद्यपि मनोरंजन के अनेक साधन उपलब्ध हैं, परन्तु मनुष्य के सामने उपस्थित तनावों ने उन सब साधनों को बौना सिद्ध कर दिया है। लोगों को देखने से कभी कभी लगता है, जैसे वे हंसना, भूल ही गए हैं। इसी से तनाव से उत्पन्न होने वाले रोगों में इन दिनों काफी अधिक वृद्धि हो रही है। दूसरी तरफ रोगियों पर हास्य का जो अनुकूल प्रभाव पड़ता है, उन्होंने चिकित्सकों को इस दिशा में नयी दृष्टि से सोचने के लिए बाध्य किया है। अब अमरीका में तो हास्य चिकित्सा के नाम से चिकित्सा की नयी विद्या प्रारम्भ हो गयी है। अनेक लोगों ने इसे अपना व्यवसाय ही बना लिया है। वे शुल्क लेकर लोगों को हंसाते हैं और उन्हें स्वस्थ रखते हैं। कुछ अस्पतालों में इस प्रकार के विशेष कक्ष बनाये जाने लगे हैं, जहां पर हंसी मजाक के वीडियो कैसट दिखलाये जाते हैं और मजेदार चुटकुले सुनाए जाते हैं। ह्यूस्टन के सेंट जोसेफ अस्पताल में ईसाई भिक्षुणियां प्रतिदिन हास्य कहानियां सुनाकर रोगियों का मनोरंजन करती हैं। कैलीफोर्निया में एक कम्पनी है—प्लेफेयर। यह कम्पनी प्रति वर्ष लगभग दस हजार व्यक्तियों को विभिन्न साधनों द्वारा लोगों का मनोरंजन करना सिखलाती हैं। अमरीका में जोएल गुडमैन नाम के एक सज्जन 'लॉफिंग मैटर्स' के नाम से एक ऐसी त्रैमासिक पत्रिका निकालते हैं, जो लोगों को भरपूर हँसाती है। अमरीका के अतिरिक्त कनाडा, नार्वे तथा स्वीडन में भी गुडमैन का कार्य क्षेत्र है। हंगरी के एक डाक्टर ने तो टेलीफोन पर ही चुटकुले सुनाने का एक क्लब बनाया हुआ है।

रोगियों के हालचाल पूछने के लिए जाना एक सामान्य परंपरा है। परन्तु इस प्रकार जाने वाले लोग अक्सर रोगी के सामने इतनी चिन्ता और दु:ख प्रकट करते हैं कि रोगी स्वयं निराश होने लगता है। मिजाज पुर्सी के लिए किसी भी रोगी के पास जाना अच्छी बात है, लेकिन जाते समय हमें यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि हम उसे यथासंभव अधिक से अधिक खुश और आशावादी ही बनाएं। क्योंकि हंसने व हंसाने से मन ही नहीं आत्मा भी झंकृत हो उठती है। हंसी जीवन को आनंद उल्लास एवं सरसता प्रदान करती है एवं मानव को रोगमुक्त एवं तनाव मुक्त रखने में अपनी अहं भूमिका निभाती है।

❑

2517 HA/2003—2A

रामचरित मानस में "मंदोदरी" एक सशक्त चरित्र

—डा० राजकुमारी शर्मा 'राज'*

गोस्वामी तुलसीदास ने मंदोदरी के चरित्र-चित्रण में बड़ी निष्पक्ष एवं सन्तुलित दृष्टि का परिचय दिया है। यद्यपि मंदोदरी रावण की पत्नी थी परन्तु वह वैष्णव थी तथा उसकी गणना सन्नारियों में की गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि मानसकार ने शत्रुपक्ष की स्त्री पात्र मंदोदरी के साथ पूर्ण न्याय किया है। महाकवि बाल्मीकि ने अपने पौलस्त्य वर्ध महाकाव्य में मंदोदरी को अन्तः पुरेश्वरी (सुन्दरकाण्ड—श्लोक—52) बताते हुए उसे अत्यधिक रूप सम्पन्ना लिखा है। हनुमान ने लंका में प्रवेश से पूर्व माता सीता के कभी दर्शन नहीं किये थे। इसी कारण हनुमान ने मंदोदरी को अनिद्य सुन्दरी देखकर उन्हीं को सीता समझ लिया था। (सुन्दरकाण्ड श्लोक—53)

बाल्मीकि की मंदोदरी युद्ध काण्ड में रावण वध के उपरान्त पुनः मुखरित हो उठी है। विलाप करती हुई वह एक ओर रावण के अजेय तथा दुर्धुर्श रूप का बखान करती है, दूसरी ओर उसकी लम्पटता का जिक्र करते हुए उसे 'दुर्जते' सम्बोधन से सम्बोधित करते हुए उसकी निंदा करने से भी नहीं चूकती। वह रावण की स्त्री सम्बन्धी लम्पटता, गहन मोह ग्रस्तता की ओर इशारा करती प्रतीत होती है :—

सन्त्यन्याः प्रभदास्तुभ्यं रुपेणाभ्यधिकास्तूतः।

अनंगयरामापन्नस्त्वं तु मोहान्न बुद्धयसे।

इस परम शोक की स्थिति में मंदोदरी पति के साथ पिता तथा पुत्र की महत्ता को भी याद करती है। मंदोदरी—विलाप एक तरह से रावण की पौरुषगाथा तथा उसके अवगुणों का वर्णन ही है। देखें :—

पिता दानव राजो में भर्ता में राक्षसेश्वरः।

तथा पुत्रो में शक्र निर्जेता इत्यहं गविंता भृशम।

यद्यपि मंदोदरी की चर्चा अनेक ग्रन्थों में उपलब्ध है परन्तु नाम-मात्र की। जिसका कारण है कि महाभारतकार तथा श्रीमद्भागवतकार का उद्देश्य रामकथा का व्यापक वर्णन करना नहीं था। इन ग्रन्थों में मंदोदरी की चर्चा प्रसंगवश ही आई है।

महाकवि तुलसी ने अपने मानस के बालकाण्ड में ही (दोहा-177) रावणोत्पत्ति की चर्चा के साथ ही मंदोदरी का भी जिक्र किया है :—

'मय तनुजा मंदोदरि नामा । परम सुन्दरी नारि ललामा॥
सोई मयं दीन्हि रावनहि आनी । होइहि जातुधानपजि जानी ॥
हरषित भयउ नारि भल पाई। पुनि दोउ बंधु बिआहेसि जाई॥'

मंदोदरी मयदानव की पुत्री थी अत्यन्त सुन्दर तथा बुद्धिमान थी, सुरुचिपूर्ण व्यक्तित्व की धनी थी जिसका संकेत कवि ने अपने 'ललाम' शब्द के माध्यम से किया है। बौद्धिक प्रतिभा की धनी होने के कारण ही रावण ने उसे पटरानी बनाया था।

सुन्दर काण्ड में पुनः मंदोदरी उपदेशिका के रूप में अवतरित होती है। अपनी दूतियों से पुरजनवासियों की व्याकुलता का समाचार पाती है, जानकर स्वयं भी चिन्तित हो जाती है, फलस्वरूप रावण को नीतिमय वचनों से कान्ता सम्मत उपदेश के द्वारा समझाती है :— (दोहा-35)

दूतिन्ह सन सुनि पुरजन बानी। मंदोदरी अधिक अकुलानी।
रहसि जोरि कर पति पग लागि। बोली बचन नीति रस पागी॥

इस उपदेश का उस पर रंचमात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता, वरन अभिमानी रावण ठहाका लगाकर हँसता है। रावण समस्त स्त्री जाति को भीरु स्वभाव की बताता है, मन्दोरी को भी डरपोक कहता है :—(दोहा-36)

कंपहि लोकप जाकीं त्रासा। तासु नारि सभीत बड़ि हासा।

तथा

मंदोदरी हृदयँ कर चिंता। भयउ कंत पर बिधि बिपरीता॥

*सी.डी-30, पुराना कविनगर, गाजियाबाद—201001.

2517 HA/2003—2B

मंदोदरी चिन्तित रहने लगी वह सोचती है उसके पति पर विधाता विमुख हो गया है। जाहिर है मंदोदरी सीताहरण के कार्य में किसी भी रूप में रावण के साथ नहीं थी। अन्यथा दूतियों के द्वारा उपर्युक्त घटना की जानकारी का सवाल ही पैदा नहीं होता। रावण की मनमानी पर एक बार पुन: अंकुश लगाने की मंदोदरी ने चेष्टा की जब लंका दहन के उपरान्त भगवान राम ने दल-बल सहित उस अगाध समुद्र को पार कर लिया जो लंका के चारों ओर खाई का कार्य करता था।

कान्ता सम्मत उपदेश देने से पूर्व मंदोदरी ने एक कुशल मनोवैज्ञानिक की हैसियत से रावण को दण्डवत प्रणाम किया तथा आँचल पसार सौभाग्य की याचना की थी। इसके उपरान्त श्रीराम की महत्ता तथा रावण की तुच्छता का विवेचन किया। अहंकारी रावण के समक्ष इतनी बेबाकी से उसकी हीनता का बखान करना मंदोदरी के व्यक्तित्व की अपनी निजी पहचान को उकेरता प्रतीत होता है। मंदोदरी श्रीराम की भगवत्ता से परिचित है तथा उनके अवतार का प्रयोजन पृथ्वी के भार का हरण मानती है साथ ही उन्हें काल, कर्म और भूतों की उत्पत्ति का कारण भी मानती है :— देखें (लंकाकाण्ड-दोहा-5)

जेहिं बलि बांधि सहसभुज मारा। सोइ अवतरेउ हरन महि भार॥
तासु बिरोध न कीजिअ नाथा। काल करम जिव जाके हाथा ॥

मंदोदरी रावण से 'सहसभुज' कार्तवीर्यार्जन के पराजय की बात कहती है कारण रावण वहां पराहित हो चुका था। वह मधु कैटभ और हिरण्यकशिपु हिरणयाक्ष जैसे बली दिति के पुत्रों का उदारहण भी रावण के समक्ष रखती है। रावण इन सबसे बल-वीर्य में हीन था अत: रावण से इनकी पराजय के विषय में चर्चा करना मंदोदरी की उत्कृष्ट बुद्धि-मत्ता का परिचायक है। श्रीराम के दयालु स्वभाव के विषय में भी मंदोदरी ने कहा है तथा श्रीराम का भजन करने का रावण को उपदेश देती है। देखें :— (लंकाकाण्ड-दोहा-6)

रामहि सौंपि जानकी नाई कमल पद माथ ।
सुत कहुँ राज समर्पि बन जाइ भजिअ रघुनाथ ॥

मंदोदरी का यह उपदेश काफी लम्बा सुस्पष्ट और सुगठित है। रावण सबको अनसुना कर देता है। परिणामस्वरूप मंदोदरी को रावण की कालवश्यता का भान हो जाता है :—

(लंकाकाण्ड-दोहा-7)

मन्दोदरीं हृदय अस जाना।
कालवस्य उपजा अभिमाना॥

एक अन्य अनिष्टकारी घटना भी रावण की कालवश्यता का संकेत देती है। वह है रावण के क्षत्र-मुकुटों और मंदोदरी के ताटंकों का पतन। इस घटना से मंदोदरी अत्यधिक सशंकित हो जाती है और श्रीराम की पूर्ण परब्रह्मता सिद्ध करते हुए उनके विराट व भव्य स्वरूप का चित्रण रावण के समक्ष प्रस्तुत करती है :— (लंकाकाण्ड-दोहा-14)

विश्वरूप रघुबंश मनि करहु बचन बिस्वासु ।
लोक कल्पना बेद कर अंग अंग प्रति जासु ॥

हठी रावण इससे भी विचलित नहीं हुआ। रावण चूँकि शैव था अत: वैष्णवों का विरोधी था। मंदोदरी वैष्णत्व का प्रतिनिधित्व करती प्रतीत होती है। रावण का अहंकार उस समय चरम उत्कर्ष पर था। उसने मंदोदरी के समस्त उपदेश को एक झटके में नकार दिया। उस समय मंदोदरी समझ गई कि रावण काल के वश में है। इसी कारण रावण को मतिभ्रम हो गया है। आप भी देखें :— (लंकाकाण्ड-दोहा-15)

जानिउँ प्रिया तोरि चतुराई। एहि बिधि कहहु मोरि प्रभुताई॥

तथा

मंदोदरि मन महुँ अस ठयऊ । पियहि कालबस मतिभ्रम भयऊ ॥

मंदोदरी को रावण ने जिस हल्के व शिष्ट ढंग से निरुत्तरित किया है वह महाकवि तुलसी की काव्य विशिष्टता का परिचायक है। मंदोदरी के किसी भी उपदेश का असर जब रावण पर न हुआ तब वह स्वयं चिन्ताग्रस्त हो गई। वह वैष्णव तथा पतिनिष्ठ, पतिभक्ता नारी है। रावण के जीवन तथा उसके ऐश्वर्य की रक्षा की खातिर वह निरन्तर सोचती रही। उसने हार नहीं मानी।

एक बार उसने पुन: श्रीराम के उत्कर्ष के वर्णन में रावण के सम्मुख नौ उदाहरण पेश किये। लक्ष्मण के द्वारा खींची रेखा को तुम्हारे द्वारा न लाँघ पाना, राम के दूत हनुमान का कौतुक में ही सिंधु लाँघना तथा लंका को जलाकर भस्म कर देना, तुम्हारे समक्ष अक्षय कुमार को मार डालना। वे राजा नहीं हैं, अतुल बलशाली हैं तथा चराचर के स्वामी हैं। राम के बाण का प्रताप मारीच जानता था, उसका कहना भी नहीं माना। राम ने जनक सभा में धनुष भंग कर जानकी को

विवाहा, तब आप भी वहां थे, देवराज इन्द्र के पुत्र जयन्त ने उनके बल को थोड़ा जाना था, परिणामस्वरूप आँख फोड़ दी और जिन्दा छोड़ दिया। सूपर्णखा की गति भी आपने देखी है, विराध तथा खरदूषण का वध करके खेल में ही कबन्ध को मार गिराया, बालि को एक ही बाण में मार गिराया। जिन्होंने खेल में ही समुद्र पर पुल बँधवा दिया। राम के दूत अंगद ने सभा के मध्य आपके बल को चूर्ण कर दिया, दो पुत्रों को मार दिया, परन्तु खेद का विषय यह है कि मंदोदरी का यह सब कहना अरण्यरोदन मात्र ही रहा। अन्तत: राम-रावण का युद्ध हुआ, रावण युद्ध भूमि में मारा गया—इस उपदेश के बाद मंदोदरी का रावण से कोई वार्तालाप नहीं हुआ। उसका अन्तिम उपदेश कटुता से पूर्ण है। रावण को उसकी बातें बाण की तरह चुभ जाती हैं :— (लंकाकाण्ड-दोहा-37)

नारि बचन सुनि बिसिख समाना।
सभा गयउ उठि होत बिहाना॥

युद्ध के समय युद्ध भूमि में घायल होने पर सारथि जब रावण को उठाकर राजमहल ले जाता है तब रावण बहुत क्रोधित होता है। उस समय भी मंदोदरी से रावण की कोई बातचीत नहीं हुई। मंदोदरी को भी रावण की कुशल क्षेम जानने की कोई उत्कंठा नहीं है। उसे रावण की पराजय तथा मृत्यु का पूर्ण निश्चय है।

रावण की मृत्यु के उपरान्त भी, विलाप करती हुई मंदोदरी रावण के धूल-धूसरित शरीर की दुर्दशा का जिम्मेदार रावण का राम विरोध मानती है। वह कहती है कि आज तुम्हारे कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रहा। आज तुम्हारे सिर तथा भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम से विमुख होने पर यह अनुचित नहीं है। मंदोदरी कर्मफल में विश्वास रखती है। (लंकाकाण्ड-दोहा-103)

राम विमुख अस हाल तुम्हारा। रहा न कोउ कुल रोवनिहारा॥
अब तब सिर भुज जंबुक खाहीं। राम बिमुख यह अनुचित नाहीं॥

नारी में मर्यादा तथा शालीनता के पक्षधरों को मंदोदरी की उक्तियां शायद उचित न लगती हों , परन्तु आज के परिप्रेक्ष्य में जब महिलाओं को पुरुष के कन्धे से कन्धा मिलाकर चलने की बात कही जाती है तब यह उक्तियां सही व सटीक प्रतीत होती हैं। मंदोदरी की मानसिक हालत किसी से छिपी नहीं है। उसने पहले से ही इस दुर्घटना को सहने का मानसिक एवं शारीरिक साहस बटोर लिया था। दूसरी ओर जब हम इस परिदृश्य पर गहराई से मनन व विचार करते हैं तो पाते हैं कि रावण ही समस्त राक्षस वंश के संहार का कारण बना, लंका की दुर्दशा का कारण बना। उसने मंदोदरी के मातृहृदय को कष्ट पहुँचाया। इन्द्र को भी जीतने वाला मेघनाद रावण की हठधर्मिता के कारण मारा गया। इसीलिये रावण की मृत्यु के उपरान्त भी मंदोदरी का क्रोध, यदि पति के प्रति रहा तो वह अनुचित नहीं है।

महाकवि तुलसीदास ने मंदोदरी को परम सुन्दरी तो कहा ही है, साथ ही उसमें नारी के समस्त गुण शालीनता, पति के प्रति अनुराग, विनम्र व्यवहार इत्यादि अन्यानेक गुणों का वर्णन भी किया है। अन्तिम बार उसकी चरम कठोर वाणी के मूल में रावण का मूढ़ाग्रह तथा राम को मानव समझना उसकी दृष्टि में महा अपराध है। जगतनियन्ता भगवान श्रीराम को मनुज मानना वैष्णव हृदय वालों के लिए वैसे भी असह्य है। मन्दोदरी ने रावण के इस अपराध को अक्षम्य मानते हुए उसकी दुर्दशा को समीचीन माना। मानसकार ने भी मन्दोदरी के प्रति निष्पक्ष रहकर उसके चरित्र-चित्रण के प्रति श्लाघनीय कार्य किया है। आज की पीढ़ी के लिए मंदोदरी का चरित्र आज भी अनुकरणीय है ऐसा मेरा विश्वास है।

हिंदी हमारे देश और भाषा की प्रभावशाली विरासत है।

—माखन लाल चतुर्वेदी

तमसो मा ज्योतिर्गमय

—सुशील सरित*

"असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय
मृत्योर्मा अमृतंगमय"

सम्भवत: अंधकार वह एकमात्र आदिकालीन भय था जिससे युद्ध की आवश्यकता आदि मानव ने सर्वप्रथम अनुभव की होगी और सूर्य जो प्रकाश का सार्वभौमिक स्रोत है उसके प्रति सर्वप्रथम श्रद्धा जागी होगी। किन्तु सूर्य तो आकाश में था जो एक निश्चित समय के लिये ही प्रकाश वितरित कर अपनी राह चल देता था और फिर अंधकार का साम्राज्य शुरु हो जाता।

इस अंधकार के भय ने मानव को एक ऐसा हथियार ढूंढने को विवश किया जो सुलभ हो और अंधकार को दूर कर सके। इस खोज में उसे कितना समय लगा? पृथ्वी पर अग्नि उसने कब और कितने समय बाद खोजी और फिर कब दीपक ने ज्योति को स्थायी रूप से अंधकार दूर करने के साधन के रूप में मानव को रक्षा कवच प्रदान किया इसका मात्र अनुमान ही लगाया जा सकता है लेकिन गुफा युग आते-आते दीपक मानव का स्थायी साथी बन चुका था यह बात निश्चित तौर पर कही जा सकती है।

मोहनजोदड़ो की खुदाई से जिस सिन्धु घाटी की सभ्यता का पता चलता है उसमें दीपक अपना स्थान ले चुका था बल्कि अगर यह कहा जाये कि दीपक सिन्धु घाटी की सभ्यता में जी रहे मानव का हर कदम पर साथी था तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। लगभग 5000 वर्ष पुरानी इस सभ्यता के जो प्रमाण मिले हैं उसके अनुसार दीपक तब न केवल ईंटों के घरों में प्रकाश के लिये जलाया जाता था, वरन् सड़क के दोनों ओर बने भवनों के द्वारों पर भी कमानीदार नक्काशी वाले आलों का निर्माण दीपक रखने के लिये किया जाता था ताकि सड़क पर पूर्ण प्रकाश रहे। घरों के अन्दर भी साधारण ताक अथवा आले में रखकर जलाये जाने वाले दीपों के अतिरिक्त लटकायें जाने वाले दीपों का निर्माण भी किया जाता था जो न केवल भरपूर प्रकाश देने में सक्षम थे वरन् सौन्दर्य बोधक भी थे।

आरम्भ में दीपक स्फटिक, पाषाण या सीप का बनाया गया और बाद में जैसे ही मिट्टी को पकाने की विधि का आविष्कार हुआ दीपक भी मिट्टी के बनने लग गये। तब से इस आधुनिक युग तक मूल रूप से मिट्टी के दीपक के आकार-प्रकार में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है।

दीपक और दीपक से निकलता आलोक नैसर्गिक रूप से आशा, उमंग, उत्साह, उदात्तता का चैतन्य वाहक था इस कारण दीपक को प्रत्येक वर्ग का सम्मान मिला। दीपक एक ऐसी संस्कृति का प्रतीक बन गया जो श्रमिक से लेकर राज्याधिकारी तक की साझी संस्कृति थी। हाँ राजभवन तक जाते-जाते दीपक की रूप सज्जा में कलात्मकता के अनेकानेक आयाम अवश्य जुड़ते चले गये। इसके अतिरिक्त नित्य उपयोग में आने वाले एवं विशिष्ट अवसरों पर उपयोग में आने वाले दीपकों के बीच भी एक स्पष्ट विभाजन रेखा भी खिंच गयी।

नित्य घरों में जलाये जाने वाले अथवा सड़कों पर प्रकाश के लिये जलाये जाने वाले दीपों के अतिरिक्त नि[illegible] जलने वाले दीप नंदा दीप, पूजा के समय जलाये जाने वाले दीप नीराजन दीप अथवा आरती दीप एवं शयन कक्ष में जलाये जाने वाले दीप रति प्रदीप कहे जाते थे।

ऋग्वेद में इंद्र के बाद अग्निदेव की प्रशंसा में ही सर्वाधिक श्लोक मिलना इस सत्य का प्रमाण है कि जल और अग्नि की शक्ति एवं इसकी उपयोगिता को मानव ने सबसे पहले पहचान लिया था। इन दोनों तत्वों की विध्वंसक एवं सृजनात्मक शक्ति ने ही इन्हें मानव की प्रथम आस्था का केन्द्र बना दिया। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि भय श्रद्धा को जन्म देता है और यदि इस भय के साथ भय प्रदान करने वाली वस्तु अथवा शक्ति की सामर्थ्य का भी भान हो जाये तो यह श्रद्धापूर्ण अस्तित्व पर अधिकार कर लेती है।

*36, अयोध्या कुंज ए, आगरा-282001

ऋग्वेद में ही अग्नि के तीन स्वरूपों का विषद वर्णन है। आकाश का सूर्य तो सार्वभौमिक आराधना का केन्द्र है ही, अंतरिक्ष में विदयुत एवं पृथ्वी पर अग्नि भी इसी अग्नि के रूप हैं।

अग्नि किसी भी रूप में हो अंधकार को मिटाती है। काल के संघर्ष मंथन से इस अग्नि का जन्म हुआ है। सूर्य के अंश से ही दीप की उत्पत्ति हुई या यूँ कहें कि सूर्य के अंश से पृथ्वी की अग्नि को जिस पात्र में स्थापित किया गया वह आज सर्वशक्तिमान दीपक के रूप में हमारे घरों में है। इसी कारण मांगलिक संस्कारों व लोक देवताओं के पूजन के अवसर पर माटी के कलश पर दीपक की स्थापना को शुभ माना गया। यज्ञ वेदी पर दीप जलाने के उपरान्त ही मंत्रोच्चार का प्रारम्भ होता था। द्वादश ज्योतिर्लिंगों के स्थान पर अखण्ड ज्योति प्रज्वलित करने की परम्परा प्रारम्भ हुई।

दीप जो सुन्दर है, दीप जो कल्याणकारी है, दीप जो आरोग्य और सम्पदा देने वाला है, दीप जो शत्रु की वृद्धि का विनाश करने वाला हैं, दीप जो सदैव मंगलकारी है ऐसे दीप के प्रति क्यों न आस्थाभाव जगे।

''शुभम् करोति कल्याणम् आरोग्यम् धन सम्पदा
शत्रु वृद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते''

दीपों के मौलिक स्वरूप को बरकरार रखते हुए दीपों ने कई रूप-रंग अपनाये। दीपों की अनेक श्रृंखलायें अस्तित्व में आयीं। दक्षिण भारत के मन्दिरों की कथकली श्रृंखला के साथ ही वृक्षदीपों की श्रृंखला प्रारम्भ हुई। वृक्षदीप वस्तुत: दीपों का ऐसा आकर्षक स्वरूप है जिसमें वृक्ष की एक विशाल आकृति बनाई जाती है। इस वृक्ष में सैकड़ों दीये रखने का स्थान रहता है और जब ये दीये आलोकित किये जाते हैं तब यह अनुभव होता है कि वृक्ष की प्रत्येक शाखा से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। ये वृक्षदीप किसी खास अनुष्ठान के अवसर पर आलोकित किये जाते हैं। वर्तमान समय में नगरों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अवसर पर इन वृक्षदीपों को प्रज्वलित करने की परम्परा चल पड़ी है।

प्रेमी दूर देश चला गया। प्रियतमा अपने घर की छत पर एक दीप जला कर रखती है यह श्रृंखला हर रात चलती है जहाँ घर की छत पर्याप्त ऊँची नहीं है वहाँ एक लम्बे बाँस से एक दीप जला कर लटका देती है। एक ओर यह वियोग के पर्व को प्रदर्शित करता है, दूसरी ओर ''मेरे प्रेमी को ए दीप राह दिखाते रहना, वे कहीं राह न भूल जायें।'' जैसी भावना को प्रकट करता है, यह 'आकाशदीप' है।

किसी प्रिय परिवारीजन के देह त्याग के बाद उसकी स्मृति में गृह द्वार पर दीप जलाने की परम्परा भी है। यह दीप 'स्मृतिदीप' कहलाते हैं। केरल में तो 'स्मृतिदीप' की अलग ही परम्परा है, मृतक की काँसे या ताँबे की प्रतिमा का निर्माण कराया जाता है। प्रतिमा के दोनों हाथों को अंजलि की मुद्रा में गढ़ा जाता है और यह स्मृति दीप इसी पर रखा जाता है।

अपने इष्टदेव की प्रतिमा के चारों ओर अर्ध चन्द्रकार धातु की पट्टी बना कर उस पर अनेक दीप रखकर प्रज्वलित करने की परम्परा तमिलनाडु में है। ये 'दीप कमान' कहलाती है। जब ये छोटे-छोटे दीप प्रज्वलित होते हैं तब यह अनुभव होता है कि देव प्रतिमा के चारों ओर आभा मण्डल दैदीप्यमान हो रहा है।

एक सुन्दर लावण्यमयी स्त्री की प्रतिमा और उसके दोनों हाथों में सधा कलात्मक दीप, इसे दीपलक्ष्मी कहा जाता है। ये प्रतिमायें कलात्मकता का अद्भुत उदाहरण होती हैं। दक्षिण भारत की यह दीप लक्ष्मी परम्परा आज भी दीपों का एक पृथक संसार समेटे हुए हैं।

सांस्कृतिक एवं धार्मिक अनुष्ठानों के अवसर पर अनुष्ठान के पूरे समय जलते रहने वाले 'अखण्ड दीप' जलाने की भी परम्परा है।

मुगल दरबारों में भी जब दीपक ने प्रवेश किया तब चिरागदान के रूप में इसका वैभव कई-कई गुना बढ़ गया। चिरागदान की ऊंचाई 5-6 फीट होना आम बात हो गई। इन चिरागदानों पर कई-कई यहाँ तक कि कभी-कभी दर्जनों दीपक रखे जाते थे जिनकी खुशनुमां रोशनी सारे मुगल दरबार की रातों को दिन सा रोशन कर देती थीं।

दीपों की कलात्मकता एवं सौन्दर्य कई-कई रूपों में उजागर होता रहा है। आरती दीपों के हत्थों को विभिन्न आकृतियों में ढाला जाता था। सर्प की आकृति वाले, मछली की आकृति वाले, मकराकृति, कीर्तिमुखाकृति वाले दीप आज भी प्रचलन में हैं। तोते, मोर, सिंह, हाथी, मटका या सुराही के आकार एवं रूप वाले दीप भी उपलब्ध हैं। देवों की आकृतियों को भी दीप आधार बनाने के लिये चुना जाता

रहा है। विष्णु, लक्ष्मी, गणेश एवं सूर्य की आकृतियाँ इस रूप में दीप निर्माताओं की पहली पसन्द रही हैं।

मुगलकाल में प्रयोग किया जाने वाला एक विशिष्ट दीप भी पुरातत्व वेत्ताओं को प्राप्त हुआ है इसे 'बलयेज़' दीप की संज्ञा दी गयी थी। देखने में अति आकर्षक, महीन जालियों से छनते प्रकाश वाले इन गोलाकार दीपों का प्रयोग शाही जनानखाने में किया जाता होगा। इन दीपों की विशेषता यह थी कि यह कहीं भी किसी भी दिशा में रखे जायें ये हर ओर समान प्रकाश देते थे। क्योंकि किसी भी दिशा में घुमाने पर इनकी बाती एक निश्चित दिशा की ओर ही रहती थी।

दीपावली शब्द का तो संस्कृत में अर्थ ही "दीपकों की पंक्ति है"। दीपों के साथ नृत्य स्वाभाविक तौर पर जुड़ा है। दीप आलोक देते हैं, उमंग भरे हैं, उत्साह का वितरण करते हैं और साथ ही जीने की लालसा मन में भरते हैं। इसी कारण दीपों की प्रशस्ति में गौरव गीत गाने की परम्परा प्रारम्भ हुई। ऐसे गीतों को नवरात्रि पर्व पर गाने की परम्परा है। मटके में जलता हुआ दीप रखकर गीत गाते हुए नृत्य किया जाता है इसे ही गरवा कहते हैं।

ब्रज में राधा अष्टमी पर भी राधा जी के जन्म की खुशी में उनकी नानी द्वारा रथ के पहिये पर 101 दीपक रखकर जो नृत्य किया गया वह आज भी परम्परागत चिरकुला नृत्य के रूप में लोकप्रिय है।

पंजाब में एक मटके के मुंह को गेहूँ के आटे से बन्द कर उस पर पंचमुखी (पांच बत्तियों वाला) दीपक रख दिया जाता है। वर पक्ष की एक सुहागिन महिला इसे अपने सर पर रखती है और कन्या पक्ष की महिलायें इसके चारों ओर घूमती हैं। इसे 'नागो' कहा जाता है। दीपों को अमूल्य बनाने के लिये उन्हें मणियों से जड़ने की परम्परा भी दो हजार साल पूर्व प्रचलित थी, इन्हें 'मणिदीप' का नाम दिया गया था। कल्हण रचित राज तरंगणी में इसका संदर्भ आया है। कालिदास के मेघदूत में वर्णित मणिदीप तो बिना बाती के ही प्रकाश बिखेरता है।

घर के आंगन में तुलसी-वृक्ष पवित्रता एवं आरोग्य का प्रतीक माना जाता है। तुलसी का एक नाम वृन्दा भी है। इसी कारण इसके निकट जलाये जाने वाले दीप को 'वृन्दावन दीप' की संज्ञा दी गयी। वृत्तियों एवं धार्मिक आस्थाओं के अनुरूप भी दीप-आकृतियों का चयन किया जाता था। सीप को दीप के रूप में प्रयोग करने की प्रथा हठ योगियों ने प्रारम्भ की। नदी, नाग एवं कीर्तिमुख की आकृति वाले दीप शैव-मतावलम्बियों की प्रमुखता बने और शंख, चक्र, गदा, पद्म जो महाविष्णु द्वारा धारण किये जाते हैं उनकी आकृति वाले दीपों को वैष्णव मतावलम्बियों ने अपनाया। गणेश की आराधना करने वाले साधकों ने गणपत्य दीपों को प्रधानता दी। इन दीपों की आकृति गणपति, हाथी, मूषक, सर्प, शिवलिंग एवं रिद्धि-सिद्धि जैसी रखी जाती थी। सूर्य के आराधक सौर दीप का प्रयोग करते थे जिसका आधार सूर्य जैसा बनाया जाता था। शक्ति के आराधक शक्ति दीप आलोकित कर शक्ति की आराधना करते थे। इनकी आकृति कालभैरव, काली और भैरवी जैसी बनायी जाती थी। पौराणिक शास्त्रों में गृहमणि के रूप में वर्णित दीपक, प्रकाश, जीवन और ज्ञान का प्रतीक दीपक, सूर्य का अंश दीपक, मान्यताओं का वाहक दीपक, आस्था का संदर्भ दीपक, साधना का आलम्ब दीपक, ब्रह्म का स्वरूप दीपक आदि काल से मानव को ऊर्जा और भय से मुक्ति देता आया है और इसके कितने भी रूप बदल जायें यह मानव के लिये प्रकाश-पुञ्ज बना ही रहेगा।

अंजनकेश, प्रदीपक, शिखी, संदीप, आलोकक, उद्भासक दीपंकर, विरोचन आदि नामों से भी जाना जाने वाला दीपक नन्हा सा होकर भी मानव का कितना बड़ा आलम्बन है इसे अनुभूति द्वारा ही स्वीकार किया जा सकता है।

राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी देश की एकता में सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगी, इसमें दो राय नहीं

—जवाहर लाल नेहरू

नारी सौंदर्य का अलौकिक अलंकरण : गुदना

—डॉ विभा शुक्ला*

मानव संस्कृति का एक अभिन्न अंग है—कला। स्वयं को सजा-सँवरा रखना भी कला का ही एक भाग है। मानव हृदय में सौन्दर्य और श्रृंगार के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण और लगाव होता है। फलत: उसमें सौन्दर्य रचना और सौन्दर्य वृद्धि की स्वाभाविक प्रवृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं।

प्रकृति प्रदत्त सौन्दर्य को सजाना मानव की सहज-प्रवृति है। इसका मौलिक रूप जनजातियों में देखने को मिलता है। जन-जातियाँ अपने को सजा-संवरा रखने में किसी से भी कम नहीं। विभिन्न प्रकार के आभूषणों, फूलों तथा वस्त्रों से किये गये श्रृंगार को वे अस्थायी तथा लौकिक मानते हैं। स्थायी और अलौकिक श्रृंगार है—गुदना। अधिकांश जनजातियों का विश्वास है कि गुदना एक ऐसा श्रृंगार है, जो बाल्यकाल से मृत्यु के समय तक साथ रहता है और मरने के बाद आत्मा के साथ परलोक जाता है।

जनजातियों के गुदने हमेशा उद्देश्यपूर्ण होते हैं। ये शरीर के अलंकरण के साथ-साथ प्रजनन और मंगल हेतु एवं बुरी आत्माओं की कोपदृष्टि से सुरक्षार्थ गोदे जाते हैं। गुदने स्त्रियाँ और पुरुष दोनों गुदवाते हैं, किन्तु स्त्रियों में इनका प्रचलन अधिक है। अधिकांश गुदने युवतियों के मासिक धर्म आरम्भ होने के बाद एवं विवाह पूर्व गुदवाये जाते हैं। स्त्रियों के लिए सौभाग्य एवं मातृत्व के प्रतीकों के रूप में इन गुदनों का धार्मिक अनुष्ठान के सदृश महत्व है।

भारत ही नहीं, सम्पूर्ण विश्व में शायद ही कोई जनजाति हो, जिसमें गुदने का प्रचलन न हो। जनजातीय स्त्रियाँ सब कुछ छोड़ सकती हैं, किन्तु गुदने गुदवाये बिना नहीं रह सकतीं। जिस स्त्री के मस्तक से पिंडली तक गुदनें न हों, वह स्त्री नहीं।

गुदना मानव शरीर का अलौकिक अलंकरण है। इस कला ने आधुनिक रूप तक पहुँचने के लिए अनेक सोपान तय किये हैं। आरम्भ में नुकीले पत्थरों, जानवरों के सींगों एवं हड्डियों से शरीर पर विभिन्न प्रकार की आकृतियों के घाव बना दिये जाते थे तथा इन पर जंगली जड़ी-बूटियों का रस लगा कर इन्हें पका दिया जाता था। इसके बाद घाव सुखाने के लिए जड़ी-बूटियाँ लगायी जाती थी। घाव के सूखने पर आकृतियाँ उभर आती थीं। यह गुदने का प्रारम्भिक स्वरूप था। आज भी अफ्रीका की अनेक जातियों में इस प्रकार के गुदनों का प्रचलन है।

सभ्यता के विकास के साथ-साथ गुदनों के रूप और कला में भी परिमार्जन हुआ। शरीर पर आकृतियाँ बनाने के लिए नुकीले पत्थरों और हड्डियों के स्थान पर 'कटइया' नामक काँटे का उपयोग किया जाने लगा। इस पर दूधी जड़ी का लेप करने के बाद न घाव पकाने की आवश्यकता रह गयी न सुखाने की। भारत में अभी भी देवार, करनट (मुस्लिम नट) चपरमंगता तथा भाट आदि जातियाँ इसी प्रकार के गुदने गोदती हैं।

काँटे से गुदना गुदवाने में तेज जलन होती थी और दूधी का रस लगाने से कभी-कभी घाव बहुत अधिक पक जाते थे, जिससे गुदना गुदवाने वाले को बहुत पीड़ा होती थी, अत: सर्वप्रथम भाटों और करनटों ने लोहे की सुइयों और कालिख का उपयोग आरम्भ किया। ये महीन, सामान्य तथा मोटी तीन प्रकार की सुइयों से गुदना गोद कर, उस पर दूधी के रस के स्थान पर लालटेन की कालिख लगाने लगे। इससे गुदना गुदवाने वाले को कष्ट कम होने लगा और गुदना गोदना सरल हो गया। इसके साथ ही गुदने की कला में निखार आ गया। विभिन्न प्रकार की बेलबूटियाँ, मानव तथा पशु-पक्षियों की आकृतियाँ गुदवाने का प्रचलन इसी समय आरम्भ हुआ।

गुदना गोदने की मशीन, (जिससे बर्तन पर भी नाम खोदे जाते हैं) का आविष्कार हो जाने के कारण अब नगरों के निकट रहने वाली जनजातियाँ सुई, कालिख के स्थान पर मशीन से गुदना गुदवाना अधिक पसन्द करती हैं। इससे कष्ट कम होता है तथा सफ़ाई भी अधिक आती है। मशीन से

*प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (हिंदी) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)-475661

लाल, नीले, काले और रंगबिरंगे गुदने भी गोदे जा सकते हैं। अत: इसका प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है।

गुदना प्राय: सभी जनजातियों के लोग गुदवाते हैं, किन्तु गुदने की कला केवल भील, करनट, भाट, चपरमंगता, देवार, ओझा तथा बादी जनजातियों के पास है। ये सभी घुमन्तू हैं तथा अपनी जाति के साथ-साथ अन्य सभी जातियों एवं जनजातियों के गुदने गोदने का कार्य करते हैं। भील, देवार, ओझा और बादी जनजातियों में केवल स्त्रियाँ गुदने गोदती हैं, जबकि चपरमंगता एवं भाटों की कुछ उपजातियों में केवल पुरुष गोदने का कार्य करते हैं। इनमें स्त्रियों द्वारा गुदना गोदना अपराध समझा जाता है। करनट और बसदेवा जनजातियों में पुरुष तथा स्त्री दोनों गुदना गोदने का कार्य करते हैं। गुदने की कला में देवार स्त्रियों को महारत हासिल है। ये गीत गाते हुए गुदना गोदती हैं तथा इन्हें अनेक जातियों के गुदनों एवं उनके गोदे जाने वाले स्थानों का ज्ञान होता है। कला की दृष्टि से भाटों के गुदने सर्वोत्तम हैं।

गुदना सम्भवत: गहनों के प्रादुर्भाव के पूर्व से शरीर के प्रति अलंकरण बन चुके थे। गुदनों के बारे में सभी जनजातियों के लोग एक मत से स्वीकार करते हैं कि गुदना शरीर के चिर-स्थायी अलंकरण हैं और मरने के बाद भी ये चिह्न साथ जाते हैं। जनजातियों की इस धारणा के कारण गुदने उनके शरीर के लिए अनिवार्य हो गये हैं। गुदनों के प्रति ललक जनजातीय स्त्रियों के मन में बचपन से ही जाग जाती है। पाँच या सात वर्ष की उम्र से ही लड़कियाँ गुदने गुदवाना आरम्भ कर देती हैं। मृत्यु के उपरान्त, इन गुदनों में निहित जादू एवं लोक विश्वास आत्मा के साथ परलोक जा कर न सिर्फ उसकी रक्षा करते हैं, वरन् अलंकरणों के द्वारा उसके सौन्दर्य में अभिवृद्धि भी करते हैं।

सभी जनजातियों के गुदने और उनके उद्देश्य समान नहीं होते। मोधिया जनजाति में गुदने जीवन के अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। ये सौन्दर्य वृद्धि के साधन होने के साथ ही शरीर की रक्षा भी करते हैं। ये सुहाग के चिन्ह भी हैं और भूतप्रेतों से रक्षा करने वाला कवच भी। शरीर के कुछ गुदने भयानक जंगलों में विषैले जीव-जन्तुओं एवं खूंखार हिंसक पशुओं से बचाते हैं। कभी-कभी तो नवजात शिशु के दीर्घायु होने के लिए सॅवर से निकलते ही गुदवा दिया जाता है। इनमें प्रेम और सम्मान का प्रदर्शन करने के लिए भी गुदना एक माध्यम है। गुदना गुदवाने का कार्य बचपन से ही आरम्भ हो जाता है। सामान्यतया पाँच-छ: वर्ष की अवस्था में, सावन के महीने में लड़कियों को ग्रामीण मेले में ले जाकर गुदने गुदवाते हैं। कभी-कभी गोदने वाले इनके डेरों पर भी आ जाते हैं। मोधिया स्त्रियाँ विवाह पूर्व अपने मस्तक पर एक बुन्दा या फूल, नाक पर तीन बुन्दे, गाल एवं ठोढी पर एक-एक बुन्दा तथा आँखों के ऊपर फूल-पत्तियों की बेल, कोरों पर तीन-तीन लकीरों की कनपटी गुदवाती हैं। इनके कानों पर फूल तथा कानों के पीछे पाँच लकीरें भी गोदी जाती हैं। मोधिया स्त्रियाँ दोनों हाथों में ऊंगली की पोर से कंधे तक गुदने गुदवाती हैं। ये उंगलियों में अँगूठियाँ अथवा पत्तेदार बेल तथा हथेली के पीछे पान गुदवाती हैं। इसके साथ ही कलाई पर कड़ा एवं कलाई से कंधे के बीच परी, फूल-पत्तियों की बेल या केवल फूल, विभिन्न प्रकार के पक्षी, चिड़िया, तोता-मैना, मोर, साँप, मछली आदि के गुदने गुदवाती हैं। इनमें परी केवल सीधे हाथ पर तथा मछली एवं पक्षी कलाई से कोहनी के मध्य ही गोदे जा सकते हैं। बिच्छू तथा मछली अंगूठे के पिछले भाग पर अथवा हथेली के पीछे गुदवाना अच्छा माना जाता है। मोधियों में विवाह के तुरन्त बाद अथवा पहले सावन में सुहाग चिन्ह के रूप में प्रत्येक विवाहित स्त्री सीने के मध्य भाग में दोनों स्तनों के बीच चौक के आकार का गुदना (कलश चौघड़ा) अवश्य गुदवाती हैं। इसे ये विशेष महत्व देती हैं। गुदने से अरुचि रखने वाली अथवा बहुत कम गुदने गुदवाने वाली स्त्रियाँ भी इस सुहाग चिन्ह को अवश्य गुदवाती हैं।

बैगा जनजाति संसार में सर्वाधिक गुदना प्रिय है। बैगा स्त्रियाँ गुदने को स्वर्गिक अलंकरण मानती हैं। शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं होता, जहाँ बैगा स्त्रियाँ गुदना न गुदवाती हों। बैगा स्त्रियों की मान्यता है कि स्वर्ग में ये गुदने की बैगा स्त्रियों की और बैगाओं की पहचान कायम रखते हैं। यदि कोई स्त्री यहाँ धरती पर गुदना नहीं गुदवाती है तो भगवान के सामने उसे सब्बल से गुदना गुदवाना पड़ता है। बैगाओं में गुदना की सामाजिक मान्यता भी कम नहीं है। इसमें गुदना गुदवाने वाली स्त्री का समाज में मान-समान बढ़ जाता है एवं अधिक गुदनारी स्त्री का ससुराल में भी विशेष सम्मान होता है। गुदना न गुदवाना परिवार की निर्धनता का प्रतीक है। गुदना गुदवाना बैगा स्त्री का धर्म है, उसके शरीर की शोभा है। बैगाओं में आठ वर्ष की आयु से लड़कियाँ गुदने गुदवाना आरम्भ करती हैं और विवाह के बाद तक गुदवाती रहती हैं। बैगा स्त्रियों में शरीर के सारे गुदने एक साथ नहीं गुदवाये जाते। इनमें सबसे पहले क़पाल पर गुदने गुदवाये जाते हैं, फिर पीठ, जाँघ और

2517 HA/2003—3A

अन्त में छाती पर गुदना गुदवाया जाता है। बैगाओं में बरसात को छोड़ कर किसी भी मौसम में गुदने गुदवाये जा सकते हैं। यदि कोई लड़की गुदना गुदवा रही हो तो उस समय लड़कों या पुरुषों का वहां जाना निषिद्ध होता है। इनका विश्वास है कि पुरुष किसी स्त्री को गुदना गुदवाते देख ले तो उसे अच्छा शिकार नहीं मिलता। बैगा स्त्रियाँ बादी जाति की स्त्रियों से गुदने गुदवाती हैं। बैगा जनजाति में गुदने स्त्रियों के अलंकरण तो हैं ही, इनका शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। बैगाओं का विश्वास है कि गुदने गुदवाने से स्त्रियों को, बादी की बीमारी नहीं होती, जहर का प्रभाव नहीं पड़ता एवं रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। बैगा स्त्रियाँ मशीन से गुदने कभी नहीं गुदवातीं।

गुदनों का कोरकू समाज में विशिष्ट स्थान है। इनमें इसे पवित्र माना जाता है। कोरकू स्त्रियों के लिए गुदना गुदवाना अत्यन्त आवश्यक है। सामान्यतया से पाँच वर्ष की आयु से ही गुदने गुदवाना आरम्भ कर देती हैं तथा विवाह के पूर्व तक इनके शरीर का अधिकांश भाग गुद चुका होता है। कोरकू स्त्रियाँ सौन्दर्य वृद्धि एवं अधिक आकर्षक दिखने के लिए कुंवारेपन से ही शरीर के विभिन्न अंगों पर अनेक प्रकार के गुदने गुदवाती हैं। ये मस्तक पर अंग्रेजी के 'एम' के आकार का गुदना गुदवाती हैं, जिसमें ऊपर नीचे बून्दा होते हैं। ये नाक के दोनों ओर एक-एक बूंदा, दोनो गालों पर एक-एक बून्दा तथा ठोढ़ी पर तीन में पाँच बूंदे तक गुदवाती हैं। कोरकू स्त्रियाँ दोनों हथलियों के पीछे बूंदा और रेखाओं से बने चौक, भुजाओं पर बूंदा, सांकल, त्रिकोण तथा आड़ी-तिरछी रेखाओं से सुन्दर आकृतियाँ गुदवाती हैं। ये अपनी जांघों एवं पूरे पैरों पर विभिन्न प्रकार के फूल-पत्ती, लताएँ, बेलें, चौक तथा बूंदों से बनी हुई अनेक प्रकार की आकृतियाँ गुदवाती हैं।

भीलों में शरीर के विविध अंगों पर गुदना गुदवाने का रिवाज़ है। पुराने समय में घर की वृद्ध महिलाएं गर्मी के दिनों में बिंया अथवा बालोर के रस से, बंबूल के काँटे या सुई से युवतियों के शरीर का स्थायी श्रृंगार करती थीं। भील बालाएँ कनपटी पर चिरल्या, माथे पर टिपका, दोनों गालों पर तीन-तीन दाणा, नाक पर बायीं ओर तीन दाणा, ठोढ़ी पर नौ दाणें, मस्तक पर एक से लेकर इक्कीस दाणा, छाती पर आम्बा, आम्बा गौर, भुजाओं पर हरज्यों धोणी, छितरा, खजूर, वाकडेल्यों, हाथ के पहुँचे पर चौक, कट्टावरी, भोर, फुलड़ो, बावड़ी, बांबियों आदि की सुन्दर आकृतियाँ गुदवाती हैं।

देवार स्त्रियाँ अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर अनेक प्रकार के गुदने गुदवाती हैं। वे स्वयं इस कला में दक्ष होती हैं एवं अपनी जाति के अलावा अन्य जनजातियों और जातियों की स्त्रियों के अंगों पर भी गुदने गोदने का कार्य करती हैं। देवार स्त्रियां गुदना गोदते तथा गुदवाते समय गीत भी गाती हैं। ये अपने अंगों पर भिन्न-भिन्न आकृतियों के गुदने गुदवाती हैं, जिनमें ज्यामितीय आकारों में अनेक किस्म के वृक्ष, फूल-पत्तियाँ, पशु आकृतियाँ, मधुमक्खियाँ, बिच्छू, सर्प, मन्दिर, तालाब, चौक, सूर्य-चन्द्रमा, टोटम आदि होते हैं। गुदना गोदने वाली देवार स्त्रियों का अन्य जातियों एवं जन-जातियों के गुदनों से सम्बन्धित ज्ञान विलक्षण है। कौन सी जाति की स्त्रियाँ किन अंगों पर किस आशय चिन्ह को गुदवाती हैं?

इसकी जानकारी के मामलों में वे जीवित कोश हैं। इन्हें गुदनों से सम्बन्धित विभिन्न जनजातियों में प्रचलित मिथक एवं उनसे सम्बन्धित लोक विश्वासों का भी विस्तृत ज्ञान होता है।

पातालकोट की भरियां जनजाति में भी लड़कियाँ पाँच सात वर्ष की अवस्था से गुदने गुदवाना आरम्भ कर देती हैं। इनमें गोदने वाली स्त्रियाँ दूसरी जाति की होती हैं। भारियां स्त्रियाँ ओझा जाति की स्त्रियों से गुदने गुदवाती हैं। इनमें सामान्यतया पारम्परिक ढंग से सुई और काजल की सहायता से गुदना गोदा जाता है। इनके हाथ के गुदने बड़े कलात्मक होते हैं। ये दोनों हाथों पर मोर, घोड़ा, काँस, इमली का पत्ता, फूल और विभिन्न आकृतियों के बिच्छू गुदवाती हैं। धंधा के नाम से प्रचलित गुदने का इनमें विशेष महत्व है। इसमें छै बिन्दुओं को एक ही रेखा में बड़े रहस्यमय ढंग से जोड़ा जाता है। इन बिन्दूओं में एक मनुष्य के सम्पूर्ण शरीर का आभास सांकेतिक रूप में होता है। जैसे एक बिन्दु का सिर, दूसरे का शरीर, दो बिन्दुओं के हाथ, शेष दो बिन्दुओं के पाँव। इस धंधा का खुलासा भी भारिया महिलाएँ अपने ढंग से करती हैं। वे लड़की के होने वाले पति का संकेत इन बिन्दुओं में मानती हैं।

राजस्थान की घुमन्तु जनजाति गड़िया लुहारों में गुदना जीवन का आवश्यक अंग है। इनकी स्त्रियाँ मस्तक पर फूल बुन्दा, ओम या चाँद, आँख की कोरों पर कनपटी, नाक, गाल, ठोडी पर एक-एक बून्दा गुदवाती हैं। ये गले पर हार की तरह तीन या पाँच पुकरियाँ, भुजाओं पर बजुल्ला, पहुँचों पर

2517 HA/2003—3B

सीतारसोई तथा कलाई पर मोर, मछली, बिच्छू और फूल-गमले आदि गुदवाती हैं। इनमें ओम हथेली के पीछे भी गोदा जा सकता है। ये पेट पर नाभि के दोनों ओर अलग-अलग प्रकार के जेवर तथा पिंडली पर फूल-पत्तियाँ गुदवाती हैं।

परिवर्तन प्राकृतिक नियम है, किन्तु ऐसा लगता है कि जनजातियों के गुदने इससे प्रभावित नहीं हुए हैं। इनमें आज भी लड़कियां चार-पाँच वर्ष की उम्र से गुदने गुदवाना आरम्भ कर देती हैं और विवाह के पूर्व तक शरीर का अधिकांश भाग गुदवा लेती हैं। गुदने से सम्बन्धित अनेक कठोर नियम भी हैं। यदि कोई स्त्री नये ढंग का गुदना गुदवा ले या निषिद्ध गुदना गुदवाले तो तुरन्त जनजातीय पंचायत बैठ जाती है। इस पंचायत में सामान्यतया गुदना मिटाने का दण्ड दिया जाता है। इसी प्रकार यदि कोई स्त्री अपने शरीर पर किसी ऐसे व्यक्ति का नाम गुदवा ले जो वर्जित हो तो उस स्त्री की बहुत बदनामी होती है तथा जनजातीय पंचायत उसे कठोर दण्ड देती है।

❖❖❖

हिंदी राष्ट्रीयता के मूल को सींचती है और दृढ़ करती है। देश का कोई भी सच्चा प्रेमी हिंदी का तिरस्कार नहीं कर सकता। दुनिया से कह दो कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता

—महात्मा गांधी

बिखरते परिवारों में वेदना के स्वर

—डॉ. पी० के० खरे*

परिवार की उत्पत्ति और उद्‌भव के सम्बन्ध में प्रसिद्ध समाजशास्त्री कामाचार का मत है कि समाज की आदि अवस्था में मनुष्य इतना संगठित और व्यवस्थित नहीं था। समस्त स्त्री-पुरुष स्वतंत्रतापूर्वक घूमा करते थे और उनको परस्पर यौन सम्बन्ध स्थापित करने की पूरी छूट थी। कोई स्त्री बिना अवरोध के किसी पुरुष से समागम कर सकती थी। इस अवस्था से लोगों को अव्यवस्था और कठिनाई हुई, तो लोगों ने व्यवस्थित और नियमित विवाह प्रथा को जन्म दिया, जिससे परिवार नाम की संस्था का उदय हुआ।

वर्तमान समय में संयुक्त परिवारों का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। हर परिवार कलह, आपसी विवाद, घृणा, द्वेष की भावना से ग्रसित है। आपसी विश्वास, मर्यादा, अनुशासन का अभाव आज हर परिवार में देखने को मिल रहा है। पवित्र प्रेम के अंकुरित बीज जो ममता और अटूट विश्वास की क्यारियों में पैदा होते थे, भावनाओं का निर्मल जल डालकर जिन्हें उगाया जाता था, भौतिक प्रतिस्पर्धा की आग में नष्ट होते दिखलाई दे रहे हैं। प्रेम और विश्वास की नींव पर खड़े परिवार इसके अभाव में नष्ट होते जा रहे हैं। त्याग, समर्पण विहीन होते जा रहे परिवार, नैतिक मूल्यों में लगातार ह्रास होने से अपनी स्मिता को खोते जा रहे हैं। परिवार की अवधारणा ही बदलती जा रही है। जिस परिवार में दादा-दादी, चाचा-चाची, नाना-नानी, ताऊ-ताई, माता-पिता सभी सम्मिलित थे, वे आज पति पत्नी बच्चों तक सीमित होते जा रहे हैं। हर घर घुटन, कुढ़न, मानसिक असंतोष की भावना से ग्रसित है। घर का हर एक व्यक्ति अपने को आधा अधूरा महसूस करता है। टूटे हुये परिवारों के अवशेष यत्र-तत्र नजर आ रहे हैं। यही अवशेष दूसरे परिवारों को तोड़ने के लिये प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। यही अवशेष समाज में बचे हुये परिवारों को तोड़ने के लिये श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया चलाते रहते हैं। इन खण्डहरों से जो नये भवन बनाये जायेंगे, वे कितने मजबूत होंगे? इस बात का अंदाजा तो भविष्य ही बतला सकेगा।

संयुक्त परिवारों के टूटने की प्रक्रिया वैसे तो प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन वर्तमान में यह तीव्र गति से हो रही है। इसके मूल में हमारे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारण ही हैं।

संयुक्त परिवारों के विघटन में सबसे मध्यपूर्ण कारण भौतिक प्रतिस्पर्धा ही है। इसी भौतिक स्पर्धा की आंधी में जाने कितने परिवार ढहते जा रहे हैं। इसके लिये व्यक्तिगत इच्छाओं का परित्याग होना जरूरी है। अपनी निजी इच्छाओं के संसार की अवहेलना करके ही हम संयुक्त परिवार के विघटन को बचा सकते हैं। इसके लिये धैर्य, साहस और सहनशीलता का होना जरूरी है। परिवार के प्रति प्रेम, त्याग एवं समर्पण की भावना केवल पर ही हम अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं का दमन कर सकते हैं। अपनी निजी इच्छाओं को परिवार की इच्छा के अनुरूप बना लेना गृहस्थ जीवन की सबसे बड़ी साधना है, इसी से परिवार और समाज का कल्याण होता है। इच्छायें, जो अपने ही घर को तोड़ने के लिये, दूसरों के अन्तर्तम में घृणा, द्वेष की भावना को पैदा करे, दूसरे हृदय में पीड़ा पहुंचाये, परित्याग करना जरुरी है। इसके परित्याग के बिना हम अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पायेंगे। जितने भी महापुरुष हुये हैं वे सभी परिवार की सेवा करके ही महान बने हैं। परिवार की इच्छा को ही अगर हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षा मामले में सफल हो गये, निश्चय ही घर में सभी के प्रिय हो जायेंगे। निहित स्वार्थ से उत्पन्न हुई घृणा और कटुता को हम अपने त्याग और प्रेम के द्वारा ही जीत सकते हैं। जब परिवार में सभी व्यक्ति त्याग और प्रेम की पवित्र भावना में बंधे हो, एक व्यक्ति निहित स्वार्थ से घिरा हो, उसे अंत में पश्चाताप करना ही पड़ता है, अपने किये गये दुष्कृत्यों के लिये क्षमा-याचना करनी पड़ती है। भगवान राम के परिवार में यही तो हुआ है। कैकई को अपने ही पुत्र भरत, राम, लक्ष्मण, सीता एवं रानियों के समक्ष नीचा देखना पड़ा, परिवार के कंलक को सहने वाली, पश्चाताप की अग्नि में जलती

*79 विधा नगर, सावेर रोड, उज्जैन (म०प्र०)

रही। मैथिलीशरण गुप्त जी ने कैकई के हृदय की पश्चाताप वेदना का कितना मार्मिक चित्रण किया है:

''युग-युग तक जलती रहे अमर ये कहानी
रघुकुल में भी थी एक अभागी रानी
निज जन्म-जन्म में जले जीव यह मेरा
धिक्कार मुझे था महापाप ने घेरा''

—मैथिली शरण गुप्त साकेत

भौतिकवादी, मशीनी सामाजिक व्यवस्था में हर परिवार अपने नैतिक मूल्यों को खोता जा रहा है। हर एक रिश्ते नाते लाभ-हानि की कसौटी पर खड़े हुए हैं। पश्चिमी सभ्यता के पीछे दौड़ने वाले परिवार अपने निजी नैसर्गिक सुख से वंचित होते जा रहे हैं। सामाजिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि वृद्धाश्रमों में वृद्धों की संख्या में लगातार इज़ाफा होता जा रहा है। बड़ी संख्या में वृद्धों को मंदिरों, मस्जिदों, तीर्थों में भीख मांगते हुये देखा जा रहा है। वे अपनी दारुण व्यथा की कथा किसी से न कहते हुए जिन्दगी की शाम का इंजतार कर रहे हैं। उनके प्रति संवेदना का अभाव और दुराभाव क्यों पनपता जा रहा है। कल तक जो माता-पिता घर के लिये उपयोगी बने थे, श्रद्धा व सम्मान की दृष्टि से देखे जाते थे, जिनके आशीष वचनों में पुत्रों की मंगल कामना छिपी रहती थी आज वे ही वृद्धाश्रमों और तीर्थों में दर-दर की ठोकरे खाते नजर आ रहे हैं। समझदारी, जीवन मूल्यों और अच्छाइयों का प्रतीक माने जाने वाले ये माता-पिता अपनी जर्जर काया लिये हुए गत कर्मों का फल समझकर दु:ख भरी यातना भोग रहे हैं। घर का बोझ समझकर उनके ही पुत्रों ने उन्हें घर से निकाल दिया है। अपमान और घुटन का जीवन जीने को मजबूर ये वृद्ध पुत्रों को श्राप भी तो नहीं दे सकते। इन वृद्धों की दुर्दशा का कवि ने कितना सजीव, हृदयस्पर्शी चित्रण किया है:

रिश्ते नाते लाभ हानि की कसौटी पर खड़े
जहाँ देखो स्वारथ के ढेर लग रहे हैं।
कल तक उपयोगी रहे थे, जो माता-पिता
आज सबके लिये वे भार बन रहे हैं।
होता अपमान काया जीर्ण-शीर्ष होती जाती
ज़िन्दगी की शाम इंतजार कर रहे हैं।
करुण कथा है दुख: भरी जिन्दगानी इनकी
अपने ही घरों में बेगाने लग रहे हैं।

बुजुर्गों के प्रति अपमान और दुराभाव वर्तमान समय में ही नहीं अतीत में भी हमें दिखलाई देता है। मध्यकालीन संतों में महात्मा कबीर ने भी तत्कालीन समय में माता-पिता के प्रति होने वाले अपमान और तिरस्कार का जो चित्र खींचा है उसमें वे कहते हैं कि पिता के वृद्ध हो जाने पर पुत्र उनका अपमान करता है। उदर तृप्ति के लिये पर्याप्त अन्न नहीं देता। कर्णकटु अशोभनीय अपमानजनक बातें कहता है। निम्न वर्ग के दलित समाज का यह चित्र सही ही था :

''जीवत पित्रही मारहि डंगा, मूंवा पित्र ले धालै गंगा।
जीवत पित्र कूं अन्न न ख्वावै, मूंवा पाछे प्यंड भरावै।
जीवत पित्र कूं बोले अपराध, मूंवा पीछे देहि सराध।
कहि कबीर मोहि अचिरज आवै, कउवा खाइ पित्र क्यू पावै।''

कबीर ग्रन्थावली पद 356

संयुक्त घरों में रहने वाले सभी लोग एक ही छप्पर के नीचे खाना खाते, नहाते, धोते, सोते, पढ़ते और विचरते हैं। हृदय और आत्मा के पवित्र तन्तुओं से एक दूसरे से बंधे हुए संस्कारों में रहते हुए, परस्पर प्रेम और विश्वास के बल पर ही, मर्यादा की पवित्र डोरी से बंधे रहते हैं। छोटों के प्रति क्षमा भाव, उनको बड़ों का भरपूर प्यार मिलना, बड़ों में सहनशीलता, संयम का होना परिवार की प्रगति के लिये जरूरी है। व्यक्तिगत इच्छाओं की अवहेलना करके त्याग और सेवा के वल पर ही परिवार की रक्षा की जा सकती है। घर की आबरू की रक्षा के लिये अपना जीवन भी चला जाए, तब भी उसकी परवाह नहीं करना चाहिये, क्योंकि घर का कलंक लग जाने पर मिट नहीं सकता, मृत्यु आने पर शरीर अवश्य मिट जाता है। महाकवि छत्रसाल ने परिवार के सम्बन्ध में अपने उद्गार व्यक्त करते हुये लिखा है कि :—

''लाख घटै कुल साख न छाड़िये
वस्त्र फटै प्रभु औरहु दइहै।
द्रव्य घटै घटता नहीं कीजिये
अइहै काल कलंक न जइहै।

(महाराजा छत्रसाल बुन्दैला)

बचपन के संस्कार, शिक्षा-दीक्षा, खान-पान हमें सभी अपने घर से ही मिलते हैं। सर्वांगीण विकास का केन्द्रबिन्दु भी हमारा परिवार है। परिवार से ही निकलकर हम समाज में रहने योग्य बनते हैं। संकट की घड़ियों में हमारा घर ही हमारा साथ देता है। अपनों के द्वारा किया गया अपमान अपमान नहीं होता, उसके पीछे स्वर्णिम भविष्य की किरणें झिलमिलाती रहती हैं। हमारे सभी कर्म प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण घर

में ही रहकर किये जाते हैं। माता-पिता, दादा-दादी, सास-ससुर, नाना-नानी, बुजुर्गों की सेवा में लगे हाथ उन ओठों से ज्यादा पवित्र माने गये हैं, जो प्रभु की भक्ति में पवित्र हृदय से हिलाए जाते हैं। यही हाथ हमें लोक-परलोक में सुखशांति प्रदान करते हैं। हमारे पवित्र जीवन मूल्यों के रखवाले यही हाथ हैं।

जननि जनक सास ससुर बुजर्गों की
सेवा करने वाले हाथ पावन कहलाते हैं।
रब वंदना के उन औठों से ज्यादा पवित्र
निर्मल मन से प्रभु को गाये जाते हैं।
ये ही पावन हाथ पुंण्य देते हैं महान हमें
भव सिन्धु से हमें ये पार लगवाते हैं।

बच्चे जब बड़े हो जाते हैं। शादी हो जाने पर उनकी आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। उनका व्यक्तिगत परिवार बन जाता है। पुत्र को अपने छोटे बड़े भाइयों, पत्नी, माता-पिता से सामंजस्य बनाकर चलना पड़ता है। नई बहू जो दूसरे घर से आती है, उसे भी अपने को नए सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवेश में आत्मसात करना पड़ता है। यह वास्तव में उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा होती है। परिवार के सभी बड़ों का उसे भरपूर प्रेम मिलना जरुरी है। उसके हृदय में हीनभावना एवं अविश्वास की ग्रन्थि नहीं पैदा होना चाहिये। उसको इतना अधिक प्रेम एवं सम्मान मिलना चाहिये कि वह अपने माता-पिता के प्यार को अधिक न समझ सके। परिवार के स्थायित्व के लिये हर एक की भावनाओं और इच्छाओं का सम्मान होना बहुत जरूरी है, चाहे वह छोटा हो अथवा बड़ा।

मध्यकालीन संतों में महात्मा तुलसीदास जी ने राम-चरित मानस में लिखा है कि पुत्र पत्नी के सौन्दर्य जाल में उलझकर माता-पिता को भूल जाते हैं। अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित हो जाया करते हैं।

सुत मानत मातु-पिता जब लौं,
अवलानन दीख नहीं जब लौ
ससुराल पिआर लगी जबसे
रिपु रूप कुटुम्ब भये जबसे
(गोस्वामी तुलसी दास रामचरित मानस उत्तरकाण्ड)

परिवार के टूटने की प्रक्रिया प्राचीन समय से चली आ रही है, लेकिन आज यह तीव्र गति से देखने को मिल रही है। इसके कारणों पर गहनचिन्तन, मनन एवं राष्ट्रीय स्तर पर बहस होना अत्यन्त आवश्यक है, नहीं तो हम इस पवित्र प्राचीन मंदिर में छिपी पवित्र संस्कृति की रक्षा नहीं कर पायेंगे।

—◆◆—

"यदि भारतीय लोग कला, संस्कृति और राजनीति में एक रहना चाहते हैं, तो इसका माध्यम हिंदी ही हो सकता है।"

—चक्रवर्ती राजगोपालाचारी

विज्ञान के क्षेत्र में दर्शन की भूमिका

—डॉ. दिनेश मणि, डी० एस० सी०*

आजकल बहुत से पढ़े–लिखे लोग जो अपने को विज्ञान का समर्थक मानते हैं दर्शन को वैज्ञानिक युग में व्यर्थ मानते हैं, क्योंकि वे यही नहीं जानते कि विज्ञान के क्षेत्र में दर्शन का कार्य क्या है। वास्तव में यह कहना अतिश्योक्ति नहीं है कि दर्शन के बिना कोई भी ज्ञान अधूरा है, क्योंकि ज्ञान का पूर्णचित्र दर्शन की समन्वयात्मक क्रिया के अभाव में नहीं बन सकता। केवल विज्ञानों का ज्ञान बिखरा हुआ होता है। दार्शनिक प्रक्रियाओं से ही विभिन्न विज्ञानों के निष्कर्षों का समन्वय करके एक पूर्णचित्र बनाया जाता है। इस पूर्णचित्र के अभाव में ज्ञान के क्षेत्र में तनाव बना रहता है, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक क्रिया करता है।

कुछ लोग विज्ञान को कोई विशिष्ट विषय अथवा ज्ञान का क्षेत्र समझते हैं। ये विज्ञान के निष्कर्ष मात्र हैं। वस्तुतः विज्ञान का सार वैज्ञानिक विधि है। वैज्ञानिक विधि में वैज्ञानिक उपस्थित विषय–सामग्री का तटस्थ भाव से सूक्ष्म अध्ययन करता है। वैज्ञानिक विधि के विभिन्न सोपान हैं—तथ्यों का निरीक्षण, उनको नोट करना, उनका विश्लेषण, वर्गीकरण और अन्त में सामान्यीकरण के आधार पर तथ्यों से सामान्य सिद्धान्त निकालना। इन सिद्धांतों का पुनः परीक्षण किया जाता है और यदि बारंबार परीक्षण करने से ये प्रमाणित होते हैं तो ये वैज्ञानिक नियम बन जाते हैं। इस प्रकार वैज्ञानिक विधि विशेषतया प्रयोगात्मक होती है। अधिकतर विज्ञानों की अपनी प्रयोगशालाएं होती हैं, जिनमें नियंत्रित परिस्थितियों में विभिन्न तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक विधि में आगमन और निगमन, संश्लेषण और विश्लेषण दोनों ही प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है।

कुछ लोग विज्ञान को स्पष्ट और दर्शन को अस्पष्ट, विज्ञान को निश्चित और दर्शन को अनिश्चित मानते हैं। परन्तु दर्शन और विज्ञान को इस प्रकार परस्पर विरोधी मानना उनके विषय में अज्ञान का परिचायक है। दर्शन अस्पष्ट, अनिश्चित और निरर्थक उन्हीं को प्रतीत होता है जिनमें दर्शन को समझने की सामर्थ्य नहीं है। जो लागे दर्शन को समझते हैं उनके सामने उसकी रहस्यमयता स्पष्ट हो जाती है और अनिश्चितताएं दूर हो जाती हें। समस्या, दृष्टिकोण, विधि प्रक्रिया, निष्कर्ष और प्रभाव में जहां दर्शन और विज्ञान में उपरोक्त अन्तर है वहां अनेक समस्याएं भी हैं। दर्शन और विज्ञान के क्षेत्र भी एक दूसरे से नितांत भिन्न नहीं हैं। जहाँ दर्शन के क्षेत्र में प्रमाणशास्त्र, मूल्यशास्त्र, विज्ञान का दर्शन, तर्कशास्त्र आदि विषय आते हैं, वहां वह शुद्ध विज्ञानों की मान्यताओं और निष्कर्षों की समीक्षा करके तथा उनका समन्वय करके विज्ञानों से घनिष्ट रूप से संबन्धित हो जाता है। दर्शन और विज्ञान दोनों की आधारभूमि अनुभव है। विज्ञान संभूति का अध्ययन करता है दर्शन सत् का अध्ययन है और चूंकि सत् और संभूति परस्पर संबन्धित हैं अस्तु, दर्शन और विज्ञान दोनों में घनिष्ट सम्बन्ध है। दर्शन और विज्ञान दोनों ही के दृष्टिकोण में आश्चर्य, चिन्तन, संदेह, उदारता, सततता, अनुभव और तर्क के अनुसार चलने की प्रवृत्ति तथा तटस्थता समान रूप से दिखलाई पड़ती हैं। विज्ञान और दर्शन दोनों में ही आगमन निगमन, विश्लेषण और संश्लेषण की प्रणालियों का समान रूप से प्रयोग किया जाता है। दोनों में ही सामग्री का निरीक्षण किया जाता है और परिकल्पनाएं बनाई जाती हैं और इन परिकल्पनाओं की जाँच करके सत्य की खोज की जाती है। यद्यपि विज्ञान और दर्शन की समस्याएं भिन्न–भिन्न हैं परन्तु अंत में दोनों ही जीवन और जगत की व्याख्या करना चाहते हैं। विज्ञान और दर्शन दोनों की प्रक्रिया में लगे व्यक्तियों में बहुत सी समानताएं देखी जा सकती हैं। दार्शनिक और वैज्ञानिक दोनों ही परिश्रमी, अध्यवसायी, ईमानदार और कर्मठ होते हैं। दोनों ही समस्याओं के विषय में निष्कर्षों पर पहुँचने की चेष्टा करते हैं।

विभिन्न विज्ञान ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में खोज करते हैं, दर्शन इन बिखरी हुई खोजों का एकत्रीकरण और समन्वय करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। विज्ञान की असफलताएं

*पूर्व संपादक, "विज्ञान" मासिक, 47/29, जवाहर लाल नेहरू रोड, जार्ज टाउन, इलाहाबाद–2

दर्शन के सत्यों का प्रमाण नहीं हैं। वे तो उन सीमाओं की ओर संकेत करती हैं जिनके पश्चात् विज्ञान को दर्शन के लिए स्थान छोड़ देना चाहिए। वस्तुतः विज्ञान हमें साधन दे सकता है, परन्तु मानव-जाति की मौलिक समस्याओं का हल नहीं दे सकता हमारी सत्ता के तत्व और प्रयोजन का ज्ञान पाए बिना विज्ञान लाभदायक होने की अपेक्षा बहुत घातक ही सिद्ध होता है। दर्शन के अभाव में केवल विज्ञान पर आधारित सभ्यता स्वयं मनुष्य के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न कर देती हैं। इसलिए अधिकतर आध्यात्मिकता पर अधिक जोर दिया है। दर्शन अथवा विज्ञान किसी के भी महत्व पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया है। दर्शन अथवा विज्ञान किसी के भी महत्व पर आवश्यकता से अधिक जोर देना अनुपयुक्त है।

एक व्यापक विज्ञान के रूप में दर्शन के दो पहलू हैं- समीक्षात्मक और समन्वयात्मक। यह समन्वयात्मक दर्शन ही परिकल्पित दर्शन कहलाता है क्योंकि दार्शनिक को समन्वय की प्रक्रिया में परिकल्पना से काम लेना पड़ता है। दार्शनिक समन्वय केवल ज्ञान के अंगों का योगमात्र नहीं होता। उसमें परिकल्पना का भी पुट होता है। इसी कारण वह अनेक नवीन सत्यों की उद्भावना करता है और विज्ञानों की दृष्टि से आगे बात दिखलाता है। समीक्षात्मक दर्शन विभिन्न विज्ञानों की मान्यताओं और निष्कर्षों की समीक्षा करता है। दूसरी ओर समन्वयात्मक दर्शन विभिन्न विज्ञानों के निष्कर्षों का समन्वयक करके एक पूर्ण विश्व रूप उपस्थित करने की चेष्टा करता है। दूसरे प्रकार के दर्शन के बिना पहले प्रकार का दर्शन अधूरा है। समीक्षात्मक दर्शन समालोचनात्मक है। समन्वयात्मक दर्शन रचनात्मक है। समीक्षात्मक दर्शन से विभिन्न विज्ञानों की मान्यताओं की तार्किकता का पता चलता है और उनके निष्कर्षों की परीक्षा होती है। वह ऐसे प्रश्नों को सुलझाता है, जो कि एक से अधिक विज्ञानों के क्षेत्रों में पड़ते हैं। दूसरी ओर समन्वयात्मक दर्शन जगत का एक सर्वांगपूर्ण चित्र उपस्थित करता है, जिसमें विभिन्न विज्ञानों के निष्कर्षों का योगदान होता है। इस प्रकार वह विभिन्न-विज्ञानों में समन्वय स्थापित करता है। साथ ही साथ वह ज्ञान के उन क्षेत्रों की ओर भी इंगित करता है जिनमें अभी खोज नहीं की गई है। इस प्रकार उसके कारण नए-नए विज्ञानों का उदय होता है।

किसी भी विज्ञान के उद्गत को ढूंढ़ा जाय तो वह दर्शन में मिलेगा। इसी कारण दर्शन को समस्त विज्ञानों की जननी कहा जाता है। इसी कारण सुकरात, प्लेटो और अरस्तू जैसे प्राचीन दार्शनिकों के विचारों ने अनेक विज्ञानों को प्रभावित किया। दर्शन से विभिन्न विज्ञानों की उत्पत्ति इसलिए हुई क्योंकि मूल रूप से दर्शन और विज्ञान दोनों का स्रोत मनुष्य की जिज्ञासा और प्रकृति के व्यापारों को देखकर आश्चर्य है। वास्तव में मानव के ज्ञान के उद्गम में दर्शन और विज्ञान परस्पर मिले हुए थे। क्रमशः विशिष्टीकरण और सूक्ष्म अध्ययन की आवश्यकता के कारण श्रम-विभाजन होता गया और दर्शन से निकलकर विज्ञान अलग होते गए। इन बड़े-बड़े विज्ञानों की भी क्रमशः बड़ी-बड़ी शाखाएं अलग होकर स्वतंत्र विज्ञानों का रूप ग्रहण करती गई। विज्ञानों की जननी के रूप में दर्शन का एक और भी महत्वपूर्ण कार्य स्पष्ट होता है चाहे विज्ञान में कितनी भी प्रगति होती रहे, दर्शन सदैव उनसे आगे रहता है। वह सदैव उनका अतिक्रमण करता है और उनसे आगे की सोचता है। इसलिए आज की दार्शनिक समस्याएं कल को वैज्ञानिक हो जाती हैं, परन्तु क्या इसी से दार्शनिक के सामने कोई समस्या नहीं बचती। नहीं, व उन समस्याओं को विज्ञान को सौंपकर और भी आगे बढ़ जाता है और ऐसी नई समस्याओं को निकाल लाता है जिन पर वैज्ञानिकों ने अभी विचार ही नहीं किया। ये दार्शनिक समस्याएं कल को फिर वैज्ञानिकों द्वारा ग्रहण कर ली जाएंगी, परन्तु फिर दर्शन इन्हें छोड़कर और भी आगे बढ़ जाएगा। इस प्रकार दर्शन के गर्भ से नए-नए विज्ञानों का जन्म होता रहेगा और वह विज्ञानों की जननी नाम को सार्थक करता रहेगा। विभिन्न दार्शनिक समस्याओं के इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि उनमें लगभग सभी भौतिक और सामाजिक विज्ञानों की सामान्य समस्यायें आ जाती हैं। दर्शन विज्ञानों की मान्यताओं और निष्कर्षों की समीक्षा करता है, उनके संघर्ष को सुलझाता है, उनमें समन्वय करता है और उनके सम्मुख नई-नई समस्याएं उपस्थित करता है जिससे नए-नए विज्ञानों का जन्म होता है। स्पष्ट है कि दार्शनिक समस्याओं का कोई भी वर्णन पूर्ण और अन्तिम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जहां एक और नए-नए विज्ञानों में नई-नई दार्शनिक समस्याएं उठती हैं, वहां दूसरी ओर स्वयं दार्शनिक भी नए-नए क्षेत्रों में नई-नई समस्याएं पाता है।

जब सभी विज्ञान कारण और कार्य के नियम को एक मान्यता के रूप में मानकर चलते हैं, विज्ञान का दर्शन यह विवेचन करता है कि कार्य कारण का सिद्धांत कहां तक सत्य है और उसकी क्या सीमाएं हैं। विज्ञान का दर्शन विधियों की समीक्षा करता है और उनकी वैध तथा अवैध दशाओं का पता

लगाता है। विज्ञान के दर्शन का सम्बन्ध विशेष रूप से विभिन्न विज्ञानों के परिणामों और उन परिणामों को एक विश्वरूप में बंधने से है। इस प्रकार आधुनिक युग में विज्ञान के दर्शन की समस्याएं अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। जो दार्शनिक वर्तमान युग में दर्शन के परंपरागत महत्व से इन्कार भी करते हैं, वे भी विज्ञान के दर्शन की समस्याएं मानते हैं और इन्हीं को सुलझाना ही दर्शन का मुख्य कार्य बताते हैं।

वास्तव में दर्शन अमूर्तों की एक अपनी छोटी योजना को लिए हुए विज्ञानों में एक विज्ञान नहीं है, जिसको कि वह पूर्ण करता है और विकसित करता है। वह उनके समन्वय और उनकी पूर्णता के विशिष्ट लक्ष्य को लिए हुए विज्ञानों का सर्वेक्षण है। इस प्रकार एक व्यापक विज्ञान के रूप में दर्शन की एक समस्या विभिन्न विज्ञानों के निष्कर्षों का समन्वय करके उनको एक विश्व रूप (वर्ल्ड व्यू) में उपस्थित करना है। इस कार्य के बिना विभिन्न विज्ञानों के निष्कर्ष बिखरे रहेंगे और कोई एक पूर्ण चित्र उपस्थित नहीं कर सकेंगे, जिसके परिणामस्वरूप हमारे सामने एक अपूर्ण, एकांगी और विकृत विश्वरूप उपस्थित होगा।

❖❖❖

जितना सम्मान हम राष्ट्रध्वज का करते हैं, उतना ही सम्मान हमें राष्ट्रभाषा हिंदी का करना चाहिए। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत, राष्ट्रचिन्ह की तरह की राष्ट्रभाषा, राष्ट्रचिन्ह की तरह ही राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति श्रद्धा आवश्यक है।

—डॉ. कर्ण सिंह

2517 HA/2003—4A

अमेरिका में हिंदी

—सन्तोष अग्रवाल*

अमेरिका पश्चिम का एक विकसित देश है। इस महाद्वीप का पता सन् 1600 में कोलम्बस ने लगाया था। उस समय यहां पर रैड इंडियन रहा करते थे।

कोलम्बस भारत की खोज में निकला था और यहां के रैड इंडियन को देखकर वह इसे ही भारत समझ बैठा। बाद में मालूम हुआ कि यह भारत नहीं बल्कि कोई अन्य महाद्वीप है। जब इंगलैण्ड ने इसको अपना राज्य बना लिया तो उन्होंने रैड इंडियन को मार भगाया और स्वयं बस गए। रैड इंडियन यदि अमेरिका में दिखाई देते हैं तो वह हवाना में अमेरिका के पूर्वी तट की ओर।

अमेरिका की सारी आबादी प्रवासियों की है। यहां अफ्रीकी भी हैं, इटालियन भी हैं, जापानी, चीनी व एशियन ग्रुप के भी। एशियन ग्रुप में भारतीयों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ कर अब लाखों में पहुंच गई है। अकेले न्यूयार्क में ही लगभग डेढ़ लाख भारतीय हैं। जिस-जिस देश के लोग वहां जाकर बस गए वे अपने साथ अपना खान-पान, रहन-सहन व भाषा भी साथ ले गए। यद्यपि अमेरिका की अपनी भाषा अंग्रेजी है किन्तु सभी कार्य चाहे कार्यालय का हो या बैंक या फिर व्यक्तिगत इसी भाषा में होता है। किन्तु बोल-चाल में विभिन्न भाषा-भाषी अपनी भाषा का भी प्रयोग करते हैं। यही स्थिति हिंदी की भी है।

भारतीय लोग अपनी बोलचाल में हिंदी का प्रयोग करते हैं। जहां कहीं भी मिल जाते हैं चाहे वह शादी-विवाह का मौका हो या चाय-पार्टी अथवा स्टेशन या बाजार में। वे हिंदी का ही प्रयोग करते हैं।

न्यूयार्क में तो 74 नं. स्ट्रीट पर भारतीयों की ही दुकानें हैं वहां पर देखने से ऐसा लगता है कि यह मिनी भारत ही है। हिंदी का प्रयोग बोल-चाल में तो होता ही है। अमेरिका की लगभग 20 यूनिवर्सिटियों में (कुछ यूनिवर्सिटी के नाम :—

1. अमेरिकन यूनिवर्सिटी-वाशिंगटन डी.सी.
2. यूनिवर्सिटी आफ कैलिफोर्निया, लास एन्जेल्स।
3. स्टेट यूनिवर्सिटी आफ न्यूयार्क बफलो।
4. कर्नेल यूनिवर्सिटी-इबात, न्यूयार्क।
5. यूनिवर्सिटी आफ इलिनोयस, शिकागो।
6. यूनिवर्सिटी आफ बर्जिनिया, बर्जिनिया।
7. यूनिवर्सिटी आफ मिचीगन, मिचीगन।
8. यूनिवर्सिटी आफ टैक्सास एंड आस्टिन, टैक्सास)

हिंदी पठन-पाठन की भी सुविधा है। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में भी सैकड़ों पुस्तकें हिंदी की मिलती हैं। चाहे विषय धर्म से संबंधित हो या महापुरुषों की जीवनी अथवा पुरस्कार प्राप्त, ज्ञान-विज्ञान की पुस्तकें। जो भारतीय पिछले 30-40 वर्षों से वहां रह रहे हैं वह भी हिंदी बोलने में संकोच का अनुभव नहीं करते।

भारतीयों के बच्चे जिनका जन्म वहीं हुआ है और वहीं के वातावरण में पले बड़े हुए हैं वे भी हिंदी गाने बड़ी तन्मयता से सुनते हैं, गाते हैं, नाचते हैं।

अमेरिका में किसी भी प्रकार की पार्टी हो। चाहे छोटे पैमाने पर या बड़े पैमाने पर डांस अवश्य होता है डांस के सभी गाने सामान्यतया हिंदी फिल्मों के ही गाने होते हैं। हिंदी फिल्मी गानों के डांस में तो थिरकन है ही मुंह से भी धुन व शब्दों की अदायगी है।

हिंदी जहां भारत की राजभाषा है वहीं व भारतीय संस्कृति की आत्मा और राष्ट्रीय एकता की जीवन रेखा तथा विश्व की तृतीय प्रमुख भाषा है।

हिंदी साहित्य की महान परम्परा के माध्यम से हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए न्यूयार्क में एक

*स्मृति, ए-77, मधुवन, दिल्ली-110092

2517 HA/2003—4B

पत्रकार, कवि लेखक श्री रामेश्वर अशान्त जी ने वर्ष 1975 में एक हिंदी समिति की नींव डाली। इस संगठन ने न केवल हिंदी का प्रचार किया अपितु हिंदी संबंधी गतिविधियों को भी आगे बढ़ाया इसके महान कार्यों का फल यह हुआ कि वर्ष 1991 में इसका नाम बदल कर विश्व हिंदी समिति रखा गया। ताकि इसकी गतिविधियां सारे संसार में फैले। और यह कार्य भी 14 सितम्बर अर्थात् हिंदी दिवस के दिन किया गया।

इस समिति के लक्ष्य व उद्देश्य निम्न थे :—

1. हिंदी कवि सम्मेलन, हिंदी के प्रकाशन और हिंदी की गोष्ठियों आदि का आयोजन करके विदेशों में रह रहे भारतीयों के बीच आपसी संपर्क बनाना व प्रोत्साहित करना।

2. हमारे हिंदी साहित्य व संस्कृति में समाहित मानवीय आदर्शों को स्थापित व उन्नत करना।

3. भारतीयों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे लोग अपने घरों में आपस की बातचीत में हिंदी का प्रयोग करें और हिंदी का वातावरण बनाए रखें। अपने बच्चों को भी हिंदी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें।

4. भारतीयों को हिंदी साहित्य पढ़ने व हिंदी पढ़ने, सीखने व समझने के लिए प्रेरित करना।

5. अन्य भारतीय भाषाएं बोलने वाले भारतीयों में संयुक्त गोष्ठियां तथा हिंदी अनुवाद करके प्रकाशन व्यवस्था द्वारा एकता स्थापित करना।

उपरोक्त अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विश्व हिंदी समिति त्रैमासिक पत्रिका 'सौरभ' का प्रकाशन हिंदी में करती है।

इस पत्रिका में रचनाएं बहुत ही स्तरीय होती हैं तथा लेखक व कवि अमेरिका में रहने वाले भारतीय भी हैं और भारत से भी रचनाएं जाती हैं।

इसके साथ ही वहां के निवासी हिंदी लेखकों की पुस्तकें भी समिति द्वारा प्रकाशित की गई हैं। इसमें डा. विजय कुमार मेहता का "मधुमास के फूल", काव्य-संकलन, वेद प्रकाश सिंह का "प्राचीन हिन्दू राष्ट्र व आमन्त्रण", उपन्यास, रामेश्वर अशान्त का "यशोधर्मन" उपन्यास है।

इसका मुख्य कार्यालय ब्रुकलिन, न्यूयार्क में है। समिति की हिंदी की सेवा के लिए भावी योजनाएं भी बहुत ही प्रशंसनीय हैं। जिनमें मुख्य हैं :—

1. न्यूयार्क में हिंदी भवन, व पुस्तकालय की स्थापना।

2. अमेरिका के न केवल न्यूयार्क में अपितु अमेरिका, कनाडा के अन्य राज्यों में भी हिंदी कवि सम्मेलनों का आयोजन करना।

3. अन्य संगठनों के साथ मिलकर स्थानीय एवं विश्व स्तरीय विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन करना।

4. हिंदी पढ़ाने वाली एवं हिंदी प्रसार करने वाली संस्थाओं की सहायता करना। चाहे वह संस्था सामाजिक हो अथवा शैक्षिक हो या फिर सांस्कृतिक हो।

5. हिंदी कवियों एवं लेखकों को सम्मानित करना।

6. विश्व में काम कर रही सभी हिन्दी संघों की एक-छत्र संगठन की स्थापना करना।

7. विदेशी हिंदी लेखकों की कहानियां, कविताएं, नाटक आदि प्रकाशित करना अथवा प्रकाशन में सहायता देना।

विश्व हिंदी समिति द्वारा न्यूयार्क में "हिन्दू सैन्टर" फलशिंग में "भारत पर्व" का भी आयोजन किया।

यह भारत की स्वतंत्रता की पचासवीं वर्ष गांठ के उपलक्ष्य में था। भारत की ही भांति वहां हिंदी सप्ताह का समारम्भ भी 5 सितम्बर से कवि सम्मेलन से हुआ। कवि सम्मेलन में भारतीय परिवार भारी संख्या में उपस्थित थे। सम्मेलन में मुम्बई के भारत के चार कवि डॉ० शकुन्तल पान्डे, श्री सुभाष काबरा, श्री अलबेला खत्री, श्री राजेन्द्र मालवीय भी आमंत्रित थे।

श्री रामेश्वर अशान्त को हिंदी के प्रचार एवं प्रसार विदेश में करने के लिए राष्ट्र भाषा परिषद, मुबई की संस्था अध्यक्ष ने ''महादेवी वर्मा'' पुरस्कार की घोषणा की। इस पुरस्कार की गगन भारत के उच्चतम साहित्यिक सम्मानों में की जाती है सम्मेलन की समाप्ति भी ''वन्दे मातरम'' गीत के साथ की गई।

समय-समय पर हिंदी भजनों का भी कार्यक्रम होता है। इसी प्रकार एक कार्यक्रम पश्चिमी वर्जिनिया के ''हरे राम हरे कृष्ण'' मन्दिर में समिति द्वारा किया गया।

भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर समिति ने ''सौरभ'' का विशेषांक निकाला।

इस विशेषांक में जहां देशभक्ति, वीरता एवं महापुरुषों से संबंधित रचनाएं थीं वहीं पर हिंदी को ही एकता की कड़ी मानकर एक लेख श्री बसन्त शर्मा का भी प्रकाशित हुआ है।

न्यूयार्क से ही एक अन्य हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका ''नारद समाचार'' भी प्रकाशित होती है। इस संदर्भ में सबसे मुख्य बात यह है कि पत्रिका का संपादक श्री श्रीकांत पाठक द्वारा निजी धन खर्च कर हिंदी के प्रचार के लिए पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। साप्ताहिक नारद में मेरी भी दो कविताएं प्रकाशित हुईं। श्री श्रीकान्त जी विशेष रूप से प्रशंसनीय हैं कि राजभाषा हिंदी की प्रगति के लिए वह यह समाचार-पत्र अपना निजी व्यय करके प्रकाशित कर रहे हैं। इस में सहयोग देने वाले कार्यकर्ता भी निशुल्क सेवा कर रहे हैं और यह कार्य वह एक पार्ट-टाइम के रूप में कर रहे हैं। दिन में अपने-2 कार्यों में वह व्यस्त रहते हैं। समाचार-पत्र चूंकि अभी इतना संस्थापित नहीं है अत: रचनाएं भी निशुल्क ही छापी जाती हैं अर्थात् उनके लिए कुछ पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। अमेरिका में आज से 16 वर्ष पूर्व ही हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित होने आरंभ हो गए थे।

विश्व विद्यालयों में भी भारतीय बच्चे अपनी संस्कृति एवं अपनी भाषा के प्रसार के लिए अभूतपूर्व योगदान दे रहे हैं। उन्होंने इन गतिविधियों के लिए एशोसिएशन बनाई हुई है। ऐसी ही एक एशोसिएशन हारबर्ड विश्वविद्यालय में ''घुंघरू'' नाम से बनी हुई है। इस एसोसिएशन द्वारा अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिंदी के फिल्मी गानों, हिंदी गजलों, भजनों के माध्यम से हिंदी का भी बहुत प्रचार होता है ऐसे ही एक कार्यक्रम में अमीर खुसरो की ''कृपा करो महाराज'' गजल सूरदास का ''हरि दर्शन की प्यासी''। हमको खुशी की खुशी नहीं, ''गम का गम नहीं'' भजन या फिर ''दमादम मस्त कलन्दर'' लोक गीत ''कान्हा बजावे बांन्सुरी'' गीत और ''तावा यह नखरा लड़की का'' जैसे फिल्मी गानों से हिंदी के प्रचार को खूब बल मिला। न केवल हिंदी को अपितु भारत की बंगला, मराठी भाषाओं के भी गीत प्रस्तुत किए गए।

भारत एक महान राष्ट्र है और एक स्वतंत्र गणराज्य है। किसी भी महान राष्ट्र को अपनी ही भाषा में सोचना, मनन करना और विचार प्रकट करने चाहिए। विदेश में हो रहे हिंदी के प्रचार को देखकर हमें स्वयं भी दृढ़ संकल्प करके हिंदी को अपनाया, उसका विकास करना चाहिए तभी सच्चे अर्थों में भारत एक सुदृढ़ एवं प्रगतिशील राष्ट्र सिद्ध होगा। ❑

अभीष्ट फल की प्राप्ति हो या न हो विद्वान पुरूष उसके लिये शोक नहीं करता

—वेदव्यास

गांधी के आश्रम में

—डॉ. सुधेश*

वर्धा नागपुर के पास एक सामान्य नगर है, पर मैंने उसे तीर्थ की संज्ञा इसलिए दी कि उस से लगभग चार मील के फसले पर सेवाग्राम है, जहां महात्मा गाँधी का आश्रम है। सेवाग्राम सन् 1955 में भी मेरे लिए एक तीर्थ था जब मैं नागपुर से वहां गया था और आज भी वह तीर्थ से कम नहीं है।

नागपुर से दोपहर की गाड़ी लेकर मैं 3 अप्रैल, 1955 को वर्धा पहुँचा। वर्धा भी महात्मा गाँधी का कार्य क्षेत्र रहा। वहीं रह कर गाँधी जी ने नवीन शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की जो वर्धा-शिक्षा योजना के नाम से विख्यात हुई। स्टेशन से उतरते ही मैं सेवाग्राम जाने का साधन खोजने लगा। कोई साधन नहीं मिला। सिकी ने बताया—'ताँगा कर लो, पर वह तभी जाएगा जब काफी सवारियाँ होंगी।' मैं लाट साहब नहीं था कि ताँगा ले कर अकेला वहाँ जाता। मतलब यह कि तब सेवाग्राम के लिए बस नहीं चलती थी। मैंने एक साइकिल दुकान से साइकिल किराये पर ले ली और उस पर सवार हो सेवाग्राम की तरफ चल दिया।

वस्तुत: सेवाग्राम सेवाग्राम ही था। मैंने वहां पहुँच कर देखा कि वहाँ न कोई चमक दमक थी, न सजावट। चारों तरफ सादगी का साम्राज्य। मकान सीधे सादे, कुछ पर फूँस के छप्पर, कुछ पर खंप्परैल, पर सफाई ऐसी कि क्या चूना सीमेंट के भवन में होगी। मेरे मन पर पहला प्रभाव यह पड़ा कि मैं गाँव में आ गया—सेवाग्राम तब गाँव ही था। दूसरा प्रभाव यह पड़ा कि वह मानवता के सेवकों का ग्राम था। तभी उस का नाम सेवाग्राम पड़ा, सेवा और ग्राम का संगम। दोनों शब्दों में गाँधी जी का पूरा जीवनदर्शन छिपा है। सेवा उनका मिशन था—मानवता की सेवा, और ग्रामोत्थान उनकी अर्थनीति और राजनीति का मूल उद्देश्य था। भारत की झाँकी वे गाँवों में देखते थे।

पहले मैं अखिल भारतीय सर्व सेवासंघ के कार्यालय के सामने से गुजरा। फिर हिन्दुस्तानी तालीमी संघ का क्षेत्र पड़ा। पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन इसी तालीमी संघ से जुड़े थे। कुछ दूरी पर कस्तूरबा चिकित्सालय स्थित है। अन्तत: मैं गाँधी जी के आश्रम में पहुँच गया। गाँधी जी का आश्रम देखने ही मैं सेवाग्राम और वर्धा गया था। आश्रम में एक ओर बापू कुटी है और उस के पास बा-कुटी है।

बापू कुटी में प्रवेश करने पर एक वृद्ध सज्जन मिले, जिन का बाह्याकार बिल्कुल विनोबा भावे वाला था, लेकिन दाढ़ी कुछ छोटी। विनोबा भावे को बचपन में मैंने एक बार देवबन्द में देखा था, जब वे भूदान आन्दोलन के लिए देश के कोने-कोने में पैदल घूम रहे थे। उस वृद्ध को पहले मैंने विनोबा ही समझा। बातचीत से पता चला कि वे अन्य व्यक्ति हैं। उन्होंने मुझे वह स्थान दिखाया जहाँ गाँधी जी विश्राम किया करते थे और अध्ययन, मनन, चिन्तन में अपना समय व्यतीत किया करते थे। वहाँ महात्मा जी से सम्बन्धित कुछ चीजें भी रखी थीं (अब भी रखी होंगी) जैसे एक मूर्ति जो किसी जैन भक्त ने उन्हें भेंट की थी।

बापू कुटी और बा-कुटी में हर तरफ स्वच्छता थी। कोई रंगीनी, सजावट मैंने वहां नहीं देखी। जब तक कोई यह न बताये कि वह बापू कुटी है वह बा-कुटी है, तब तक वे कच्ची मिट्टी के सामान्य घर ही लगते हैं। वैसे घर जैसे गाँव में होते हैं। गाँधी जी गाँव वालों के उत्थान की कोरी बातें ही नहीं करते थे, उन की तरह कच्ची मिट्टी के घर में रहते भी थे। सुना है कि उस कच्ची मिट्टी की कुटिया को गाँधी जी ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। देखने में वह मामूली कुटिया थी, पर यही वह स्थान था जहाँ भारतवर्ष के भाग्य की लिपि लिखी और पढ़ी जा रही थी, जिस की धूल को मस्तक पर चढ़ा कर देशभक्ति के दीवाने स्वतन्त्रता संग्राम में जूझने की प्रेरणा और शक्ति प्राप्त करते थे। वही वह स्थान था जहाँ

*ए-34, न्यू इंडिया अपार्टमेंट, सेक्टर-9, रोहिणी, नई दिल्ली

विश्व शान्ति के सपने चारों ओर मंडराया करते थे और जहाँ आत्मिक सुख शान्ति का निवास था। यही वह कुटिया थी जहाँ एक लंगोटी वाले फ़क़ीर ने भारत की तत्कालीन महान विभूतियों को स्वराज्य का मन्त्र दिया था। इसी भूमि ने न जाने कितनी क्रांतिकारी विचारधाराओं को जन्म दिया, पर जिस ने क्रान्ति को अहिंसा से जोड़ दिया। इसीलिए वह कुटिया आज एक तीर्थ स्थल बन गई है।

उस तीर्थ स्थल में उस वृद्ध के पास बैठा और उसके साथ घूमता हुआ मैं अनुभव कर रहा था कि मैं किसी मन्दिर की परिक्रमा कर रहा था। बापू कुटी और बाकुटी देख कर, उस शान्तिमय वातावरण में कुछ क्षणों तक सांस लेकर मुझे लगा कि मेरी तीर्थ यात्रा सम्पन्न हुई।

सेवाग्राम से किराये की साइकिल पर लौटता मैं सोच रहा था कि एक दिन इसी सड़क पर महात्मा गाँधी साइकिल पर सवार हो वर्धा की तरफ तेज़ी से दौड़े थे, क्योंकि उन्हें वर्धा की किसी सभा में ठीक समय पर पहुँचने की जल्दी थी। मेरा अनुमान है कि यदि समय की कमी न होती तो गाँधी जी पैदल ही वर्धा पहुँचते और ठीक समय पर पहुँचते। आज के नेता कार से नीचे पाँव रखना पसन्द नहीं करते, पर उस युग के नेताओं का नेता साइकिल पर सवार हो वर्धा की ओर दौड़ पड़ा था और अपनी समय पाबन्दी से सब को चकित कर दिया था। गाँधी जी से सम्बन्धित यह प्रसंग मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा था। तभी मुझे सेवाग्राम से लौटते हुए इस की याद आ गई थी।

वर्धा मैं गया था सेवाग्राम जाने के लिए, पर वर्धा पहुँचने पर सोचा कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति में भी चला जाए। वहाँ से "राष्ट्रभारती" पत्रिका प्रकाशित हुआ करती थी, ज़िसे मैं अपने कालेज पुस्तकालय में और शहर के सार्वजनिक वाचनालय में पढ़ा करता था। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के महामन्त्री उन दिनों मोहन लाल भट्ट थे। उन के कार्यालय में उन से मिला तो उन्होंने मेरे साथ बड़ा संहृदयतापूर्ण व्यवहार किया। चाय पिलाई, 'राष्ट्र भारती' का अङ्क दिया और छापने के लिए मुझ से कोई रचना मांगी। लेखन के क्षेत्र में उस समय मैं नौसिखिया था, परं भट्टजी ने मुझे हिंदी क्षेत्र का व्यक्ति मान कर मुझे अपना आशीर्वाद दिया। वे उस समय अधेड़ उम्र के थे, सिर के काले सफेद खिचड़ी बाल उन के वयोवृद्ध होने की गवाही दे रहे थे और वे मुझ 22 वर्षीय युवक को हिंदी का लेखक मानकर मुझ से रचना मांग रहे थे। भविष्य में मैंने अपने कई लेख भट्टजी को और हृषिकेश शर्मा को भेजे जो 'राष्ट्रभारती' के संपादक थे और वे लेख छपे।

मोहनलाल भट्ट जी से मिल कर, मैं मगन संग्रहालय की ओर जा रहा था। रास्ते में एक लड़का मिला, गरीब अनजान, बिल्कुल भोला सा। मुझे मगन संग्रहालय का रास्ता मालूम नहीं था। उस लड़के से पूछा तो उस ने बताया कि वह भी उधर ही जा रहा था। उस के साथ मैं मगन संग्रहालय पहुँच गया। रास्ते में उस से पूछा था—

'वहां क्या है?'

उस का उत्तर था—'गाँधी बाबा की मूर्ति है। चश्मा लगा रक्खा है उस ने।'

मैंने पूछा—'गाँधी कौन था?'

उस ने उत्तर दिया—'हिन्दुस्तान का राजा'।

मेरा सिर घूम गया। गाँधी, हिन्दुस्तान का राजा? एक लँगोटी वाला फ़क़ीर, दो मुट्ठी हड्डियों का संग्रह और हिन्दुस्तान का राजा? यह क्या बकवास करता है लड़का। मेरी अन्तरात्मा चिल्लाई—यह लड़का बकवास नहीं करता है, यह हिन्दुस्तान की सामान्य, अनपढ़, अर्द्धशिक्षित, भूखी, ग़रीब जनता का प्रतिनिधि है और उस के लिए गाँधी हिन्दुस्तान का राजा है। राजमुकुट पहन कर कोई राजा नहीं हो जाता, महलों में रह कर कोई राजा नहीं बन जाता। राजा वही है जिसका लोगों के दिलों में निवास है, ताकि वह उन के दिलों की धड़कनें सुन सके। गाँधी राजा नहीं, हिन्दुस्तान की जनता का हृदय सम्राट है, राजा से भी बड़ा, सम्राट से भी महान।

उस अबोध लड़के के उत्तर ने मुझे झंझोड़ दिया था। वास्तव में उस ने गाँधी की सही व्याख्या की थी। वर्धा और सेवाग्राम को लेकर मेरे मन में जो प्रश्न थे, जिन के उत्तर खोजने मैं सेवाग्राम गया था और वर्धा में भटक रहा था, उन के उत्तर मुझे उस लड़के के उत्तर में मिल गये थे। यही मेरी वर्धा की तीर्थ यात्रा का प्रसाद था।

उस दिन मैं वर्धा में ही ठहरा था। याद नहीं कि किस धर्मशाला या होटल में ठहरा था। उस दिन रात को लिखी डायरी में यह दर्ज नहीं है। अगले दिन 4 अप्रैल को मैं फिर राष्टभाषा प्रचार समिति के कार्यालय में गया, जहाँ 'राष्ट्र

भारती' के सम्पादक हृषिकेश शर्मा से मेरी भेंट हुई। शर्मा जी सज्जन और उद्यमी साहित्य सेवी और हिंदीसेवी थे। उस दिन मैं अपने साथ अपनी कुछ कविताएँ ले गया था। शर्मा जी बोले—'कुछ सुनाइये।'

मैंने अपनी 'जमाना बदलेगा' शीर्षक कविता सुनाई, जो शर्मा जी को पसन्द आई। उन्होंने वह कविता 'राष्ट्रभारती' में छापने के लिए ले ली । वह सन 1955 के किसी अंक में बाद में छपी थी। शर्मा जी अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने हिंदी के विकास के लिए कुछ सुझाव दिये और मुझे प्रोत्साहन भी दिया। उन से मिल कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, वैसी ही प्रसन्नता जैसी एक दिन पहले राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के महामन्त्री मोहन लाल भट्ट से मिलकर।

दूसरी बार मेरी वर्धा यात्रा सन 1990 में लम्बे अन्तराल के बाद हुई, जब कि मुझे अपने कनिष्ठ पुत्र को इंजीनियरिंग में प्रवेश दिलाने के लिए सेवाग्राम जाना था। उस समय वर्धा में घूमने का अवसर नहीं मिला। सेवाग्राम में स्थित इंजीनियरिंग कालेज की प्रबन्ध-समिति के अध्यक्ष देशमुख (पूरा नाम याद नहीं) शायद वर्धा में रहते थे। मैं उन से मिला तो उन्होंने बड़ी बेशर्मी से प्रचुर धनराशि की मांग की। वे इतने दम्भी थे कि उन्होंने मुझे और मेरे पुत्र को बैठने के लिए भी नहीं कहा। हम उन की बैठक में बिना कहे बैठ गये। उनका व्यवहार इतना रुखा और उन की धनलिप्सा इतनी असीमित थी कि मुझे कहना पड़ा—'मुझे किसी डाक्टर ने नहीं बताया है कि मेरा पुत्र आप के कालेज में पढ़े तो मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप कांग्रेसी हैं। क्या कांग्रेस में रहकर यही धन्धा सीखा है?'

यह कह कर मैं बाहर निकल आया। देशमुख जी भूतपूर्व सांसद थे। उन्होंने गाँधी जी के सेवाग्राम को व्यापारिक मण्डी बना दिया था।

उन्हीं दिनों मैं दुबारा सेवाग्राम भी गया और वहां के अतिथिगृह में ठहरा। वह होटल नहीं था क्योंकि वहां एक रात ठहरने का किराया मामूली था। अतिथिगृह में सब सुविधाएँ उपलब्ध थीं, जैसे बिजली, पानी, पंखा, चाय, भोजन आदि। अगले दिन मैं अपने पुत्र के साथ इंजीनियरिंग कालेज के प्रिंसीपल से उनके कार्यालय में मिला। उनका व्यवहार सद्भावपूर्ण था, पर उन्होंने साफ कहा कि देय धनराशि की मात्रा देशमुख जी तय करते हैं और उस की कोई रसीद नहीं दी जाती। देशमुख द्वारा माँगी गई राशि मैं देने को तैयार नहीं था। तो दूसरी बार सेवाग्राम आकर मुझे वह खुशी नहीं मिली जो सन् 1955 में मिली थी। जो गाँधी का सेवाग्राम था, वह देशमुख का सेवाग्राम हो गया था। सेवाभाव नहीं रहा था और वहाँ बने भवनों को देख कर लगा कि वह ग्राम भी नहीं रहा था। नाम तब भी सेवाग्राम था, आज भी सेवाग्राम है, पर वहां अब सेवा और ग्राम दोनों का लोप हो गया है। गाँधी के नाम पर धन्धा अवश्य चल रहा है। वहाँ का गाँधी आश्रम रेगिस्तान में नख़लिस्तान की तरह अब भी उपस्थित है। वह अब भी एक तीर्थ है, और शताब्दियों तक तीर्थ बना रहेगा। ❑

कोई देश विदेशी भाषा के द्वारा न तो उन्नति कर सकता है और ना ही राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति।

—डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

पश्चिमी देशों में शाकाहार की वापसी

—हरि कृष्ण निगम*

आज के युग की यह विडम्बना है कि जहाँ पश्चिमी देशों में असन्तुलित और अत्यधिक प्रोटीन अथवा केलोरीयुक्त भोजन के कारण चाहे किशोर हो या वयस्क अथवा अधेड़ व्यक्ति सभी मोटापे के साथ-साथ नई बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं, एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में लगभग एक तिहाई जनता कुपोषण की शिकार है।

पश्चिमी विकसित देशों में तो काफी अरसे से विवाद चल रहा है कि स्वस्थ और संतुलित आहार क्या है और इसीलिए शाकाहार के साथ-साथ प्रकृति द्वारा प्रदत्त अनेक खाद्य पदार्थों पर नई-नई खोज भी की जा रही है। फल और सब्जियाँ, दूध, दही और मट्ठा, मोटे अनाज और अंकुरित दालें—इन सबकी वापसी अमेरिका और उन पश्चिमी देशों में हो रही है जहाँ दशकों से स्वास्थ्य के लिए मांसाहार के अलावा कोई विकल्प नहीं माना जाता था। अमेरिका जैसे सम्पन्न और भौतिक सुख सुविधाओं वाले देश में सिर्फ खाने की आदतों के कारण व्यापक रूप से मोटापा स्वयं एक रोग बनकर सामने खड़ा है और मधुमेह, रक्तचाप व हृदय रोग एक महामारी की तरह फैल रहे हैं। साथ ही साथ वजन घटाने के विशेषज्ञों ने एक नए फलते-फूलते उद्योग को प्रचार तंत्र के जरिए अत्यन्त महत्वपूर्ण बना दिया है।

अमेरिका में अपनी आयु के अनुसार अतिरिक्त भारी भरकम वजन वाले व्यक्ति पिछले बीस वर्षों में दुगुनी संख्या में हो चुके हैं। आज वहाँ की 60 प्रतिशत जनसंख्या को मोटापे का शिकार कहा जा सकता है। साथ ही साथ कुछ विकासशील देशों में, जैसे मैक्सिको और मिश्र में तो मोटे कहलाने वाले लोगों की दर अमेरिका से भी तीन गुना अधिक है। इसी तरह हाल के आंकड़ों के अनुसार भारत और चीन में मधुमेह के रोगी दूसरे सारे एशियाई देशों को मिलाकर भी देखा जाए तो अधिक होंगे। आज की आधुनिक जीवन शैली जिसमें डिब्बेबंद खाद्य पदार्थ, पिज़ा और बर्गर शामिल हैं अमेरिका से होकर सारी दुनिया में छा चुके हैं और लोगों को अपेक्षाकृत मोटा बनाकर रोगों की ओर धकेल रहे हैं। अमेरिकी फास्ट फूड उत्पाद बर्गर एवं कोका कोला के अलावा वेजीटेबिल तेलों और चीनी का अधिकाधिक प्रयोग लोगों को मौत के मुँह में पहुँचा रहा है। आहार की प्रकृति, शारीरिक श्रम का अभाव और तनाव-शारीरिक जटिलताओं को किसी भी आयु में बढ़ा सकता है। हर चिकित्सक यह सीधी-सादी बात जानता है कि अधिकाधिक केलोरी लेना और उन्हें जलाने के लिए कम से कम शारीरिक क्रिया करना रोगों को आमंत्रण देना है।

चाहे विकसित देश हों या विकासशील देश शारीरिक श्रम की आदत कम होती जा रही है। लगभग हर देश में जनसंख्या का एक बड़ा भाग 5 से 7 घंटे प्रतिदिन टी.वी. देखता है; साइकिल चलाने वालों का अनुपात गिरता जा रहा है; लोग खेतों में काम करने के बजाय कारखानों में एसेम्बली लाइन पर बैठना पसन्द करते हैं; उससे भी ज्यादा लोग सारा दिन कम्प्यूटरों पर बैठते हैं और इस शैली के कारण हर देश को स्वास्थ्य सम्बन्धी कल्याणकारी योजनाओं पर अधिक से अधिक धनराशि आबंटित करनी पड़ रही है। अतिरिक्त वजन वाले मोटे बच्चों के स्वास्थ्य का कुल खर्च मात्र अमेरिका में ही 100 बिलियन डालर आंका गया है। अमेरिका रोग नियंत्रण केन्द्र के अनुसार इस समय दुनिया में अतिरिक्त वजन वाले बच्चों की संख्या साढ़े तीन करोड़ है जब कि मोटे वयस्क तीस करोड़ से अधिक हैं। यदि इनका समुचित इलाज किया जाए तो प्रतिवर्ष सैकड़ों बिलियन डालर व्यय होगा जब कि उन्हें अत्यधिक केलोरी वाले 'जंकफूड' से दूर रख कर यह बढ़ती राशि पर शनैः शनैः नियंत्रित की जा सकती है। खाने की अमेरिकी शैली आकर्षक हो सकती है, पर हम भूल जाते हैं कि कुछ समय बाद यह जानलेवा बन जाती है; अलबाना विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य विशेषज्ञ जेम्स बिन्डन का कहना है।

*ए-1002, पंचशील हाईट्स, महावीर नगर, कान्दिवली (पश्चिम) मुंबई-400067.

आज जहां मांसाहार के पक्षधर विशेषज्ञ मैदा या महीन आटे की रोटी, बेकरी उत्पाद या नूडलों को मोटापे के लिए दोषी ठहरा रहे हैं और पूरी तरह से मांसाहारी बनने की अनुशंसा कर रहे हैं, शाकाहारी कोक, पेप्सी या दूसरे जेकफूड के विश्वव्यापी प्रचलन को जी भर कर कोस रहे हैं। वे संतुलित आहार के विशेषज्ञों के उन विचारों को जो सब्जियों या फलों को अधिकाधिक खाने की अनुशंसा करते हैं अपना मिशन बना रहे हैं। अमेरिकी कृषि विभाग—(यू.एस.डी.ए.) भी इसका अनुमोदन करता है। पर मेकडोनाल्ड जैसी कम्पनियों के प्रचार के सामने सरकारी प्रचार कुछ नहीं है। सन् 2001 में मैकडोनाल्ड ने अपने उत्पादों के लिए 1.1 बिलियन डॉलर खर्च किए थे। इसके सामने शाकाहार के पक्ष में सरकारी बजट नाममात्र का है।

क्या यह आधुनिकता की कीमत है जो बढ़ते मोटापे और फैलते हृदय रोगों द्वारा चुकाई जा रही है? आज अमेरिका में संतुलित एवं स्वादिष्ट भोजन की फिर से नई खोज हो रही है जो बिना स्वाद से वंचित किए लोगों का वजन घटा सके। मोटे व्यक्तियों के बच्चों के मोटे होने की सम्भावना छरहरे व्यक्तियों के बच्चों से 10 गुना अधिक होती है। यदि खानपान संयत न हो तो मोटे व्यक्ति के शरीर का अन्दरूनी रसायन उसे रक्तचाप और दिल के रोगों के अलावा 40 वर्ष की आयु के बाद मधुमेह का रोगी बना सकता है। खाने के जिन आधुनिक तौर तरीकों से अधिकतर व्यक्ति मोटे होते हैं। जब चर्बी बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तब सामान्यत: रुकती नहीं। जब तक लम्बे समय तक इसके लिए कोशिश न की जाए जो बहुधा व्यवहार में मुश्किल है। खाने पर नियंत्रण आत्मसंयम पर निर्भर है पर आज शहरों में मेकडोनाल्ड, विम्पी, पिजाहट या सब वे जैसे फास्ट फूड के अमेरिकी आर्कषणों की ओर हम खिंचते जा रहे हैं।

अमेरिका के कृषि विभाग ने पहली बार 1992 में भोजन की निर्देशिका के प्रकाशन द्वारा संतुलित आहार की पिरामिड जैसी एक क्रमबद्ध खाद्य सामग्री की सारणी प्रकाशित की थी। इसमें शरीर में प्रोटीन की जरूरत के लिए मांसाहार को सर्वोच्च स्थान दिया गया था। दालों और उनसे निकले तेल व फल तथा सब्जियों को काफी नीचे का स्थान मिला था। आज अचानक स्थिति बदल रही है और आज हर पोषण विशेषज्ञ कहने लगे हैं कि खाद्यान्नों की क्षमता इंगित करने वाला यह पिरामिड पूरी तरह अपर्याप्त है। खाने के प्रकारों को अब तक दी गई प्राथमिकता भी अमेरिका के बढ़ते मोटापे का कारण कहा गया है। हाल के कुछ सालों में विशेषज्ञों ने पूरी तरह से नए विकल्प सुझाए हैं और अमेरिकी कृषि विभाग ने फिर से स्वस्थ भोज्य पदार्थों का एक नया पिरामिड—हेल्दी इटिंग पिरामिड—जारी किया है जो स्वास्थ्य सेवा के नये आंकड़ों और अध्ययनों पर आधारित है। यह नयी आदर्श आहार सारणी आलू और सफेद चावल का सेवन मना करती है और मांसाहार को भी कम प्राथमिकता देती है। खाने की मात्रा सीमित करने के स्थान पर यह कसरत, दौड़ने, तैराकी और दूसरे श्रम के तरीकों से शरीर को पुष्ट, लचीला व कम करने का सुझाव देती है। यह सारणी खाने की निजी पसन्द पर भी आधारित है और इसमें दालों, मेवे, फल और सब्जियों का प्रयोग खुल कर किया गया है।

आज जहाँ अमेरिका जैसे विकसित देश में शाकाहार और मांसाहार की गुणवत्ता को वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा रहा है और चिकित्सक व विशेषज्ञ भी शाकाहारी प्रवृत्ति को बढ़ावा देने की हर सम्भव कोशिश कर रहे, हमारे देश में मांसाहार के प्रचार में जैसे हमारा मीडिया पूरी तरह जुटा हुआ है। जहाँ अमेरिका जैसे देश में फास्ट फूड की बड़ी-बड़ी नामी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ करोड़ों डालर प्रचार तंत्र के सहयोग को पाने के लिए व्यय कर रही हैं वहाँ भी सरकार इसे पौष्टिकता की दृष्टि से घातक मान रही है, हमारे देश के महानगरों में उनके प्रति बढ़ता आकर्षण व सम्मोहन आधुनिकता की निशानी बन चुका है। समय रहते हमें इस नए खतरे के विरुद्ध सचेत करना अपेक्षित है। ❑

हिंदी वह धागा है, जो विभिन्न मातृभाषा रूपी फूलों को पिरोकर भारत के लिए एक सुन्दर हार का सृजन करेगा।

—डॉ. जाकिर हुसैन

आयुर्वेद में डायबिटीज मेलिटस (मधुमेह)

—डॉ. श्रीमती सुरिन्द्र कटोच*

आधुनिक चिकित्साविज्ञान में जिस डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है उसे आयुर्वेद में मधुमेह या ओजमेह कहते हैं। इन दोनों शब्दों से क्रमश: उस वैकारिक प्रक्रिया का पता चलता है जिससे मूत्र का स्वरूप व स्वाद मधु के समान हो जाता है और ओज अर्थात् शरीर के प्राणाधार तत्व के क्षय के परिणामस्वरूप रोग के विभिन्न लक्षण प्रकट होने लगते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में वर्णित है कि मूत्र की बीस प्रकार की गुणात्मक व मात्रात्मक असामान्यताओं में से एक असामान्यता मधुमेह या ओजमेह भी है। मूत्र की असामान्यताओं को सम्मिलित रूप से प्रमेह कहा जाता है। मधुमेह या ओजमेह में मूत्र व देह में मीठापन आ जाता है और कुछ सार्वदैहिक लक्षण एवं उपद्रव भी आ जाते हैं। इसमें प्राणशक्ति, बल और मास का धीरे-धीरे क्षय होने लगता है। मूत्र व देह का यह मीठापन, मूत्र व रक्त (ग्लाइकोसूरिया व अतिग्लेकोजराक्तता) में मधु जैसे मीठे पदार्थ अर्थात् शर्करा होने के कारण होता है। इससे स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि आयुर्वेद के प्राचीन विद्वानों को रोग की विकृतिजन्य प्रकिया की जानकारी थी। आयुर्वेद का प्रथम ग्रन्थ चरक संहिता लगभग 2,500 ईसा पूर्व लिखा गया था। उसमें मधुमेह के रोगजनन कारणों, संकेत व लक्षणों, जटिलताओं एवं निवारण उपायों का विस्तार से वर्णन किया गया है। चूंकि इसके निवारण के उपाय कठिन स्वरूप के हैं और इससे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना अधिक रहती है, अत: इसे 'महारोग' की श्रेणी में रखा गया है जिसके सफल उपचार के लिए गहन उपाय किए जाने की आवश्यकता होती है। यह देखा गया है कि अनियमित जीवन शैली की वजह से यह रोग उत्पन्न होता है। इस बात पर भी बल दिया गया है कि यदि व्यक्ति की जीवन शैली उसकी शारीरिक संरचना व स्वभाव के अनुसार न हो तो उसे मधुमेह हो सकता है और इसकी वजह से अन्य रोग होने की अधिक संभावना रहती है। वंशानुगत प्रभाव के अतिरिक्त इस रोग को उत्पन्न करने वाली प्रमुख अप्राकृत रूप से जीवन निर्वाह करने की आदतें इस प्रकार हैं—निष्क्रियता (अर्थात् आलस्यपूर्ण जीवन), पर्याप्त व्यायाम व समुचित शारीरिक परिश्रम न करना, अत्यधिक सोना, भोजन में परहेज न करना, विशेषकर मीठे पदार्थ व गरिष्ठ भोजन, दूध व दूध से बने उत्पादों, गुड़, पालतू पशुओं, जलीय जीवों व दलदली भूमि के पशुओं के मांस का अत्यधिक मात्रा में सेवन करना, इसी प्रकार के अन्य खाद्य पदार्थों का उपयोग करना व ऐसे कार्यकलापों में जिनसे शरीर का कफ दोष अधिक इषित हो जाता है। यद्यपि लिप्त होना इस रोग की उत्पत्ति व प्रकटीकरण के बारे में आयुर्वेद और आधुनिक आयुर्विज्ञान की राय एक समान है परंतु रोगलक्षण विश्लेषण और उपचार विधि के संबंध में इन दोनों दृष्टिकोणों में काफी वैषम्य है।

आयुर्वेद में कतिपय पूर्वसूचक संकेतों व लक्षणों का वर्णन किया गया है जिनके आधार पर किसी व्यक्ति के बारे में चिकित्सक बता सकता है कि उसे भविष्य में मधुमेह रोग हो सकता है। अत्यधिक पसीना आना, शरीर से दुर्गंध आना, आलस्य, दुर्बलता, बाल व नाखूनों का बहुत अधिक बढ़ना, शीतल खाद्य पदार्थों की इच्छा, गले व तालु से शुष्कता, मुंह में मीठापन, हाथों व तलवों में जलन आदि भावी मधुमेह रोग के सांकेतिक लक्षण है। यदि इन संकेतों व लक्षणों को सही-सही परखा जाए तो चिकित्सक, व्यक्ति को भविष्य में होने वाले इस रोग के बारे में एहतियात बरतने की सलाह दे सकता है। इस अवस्था में एहतियात बरतने से हो सकता है कि यह रोग प्रकट ही न हो।

मधुमेह उपचार के बारे में आयुर्वेद के सिद्धांत विशिष्ट प्रकार के हैं। शरीर के ऊतकों का समुचित पोषण करना, स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और रोग मुक्ति के लिए औषधि प्रयोग करते समय गंभीर स्वरूप की जटिलताएं उत्पन्न न होने देना इन सिद्धांतों का लक्ष्य होता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मधुमेह के रोगियों को रोग लक्षण की दृष्टि से दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। मधुमेह के दो प्रकार के रोगी होते हैं—मोटे व हृष्ट-पुष्ट और कृशकाय व कमजोर।

*फ्लैट नं. 4, सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरी, मोती बाग-1, नई दिल्ली

इनके उपचार की रीति अलग-अलग होती है। मोटे व हृष्ट-पुष्ट रोगियों में दोष मात्रा अधिक होती है और इनकी चिकित्सा पंचकर्म से की जाती है। इसके बाद एक या अनेक-अवयवों से तैयार की गई औषधियों से उचित प्रशामक उपचार किया जाता है। साथ ही जीवन शैली में कुछ परिवर्तन किया जाता है और आहार एवं क्रियाकलापों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। रोग वर्धक चीजों को छोड़ दिया जाता है। इससे रोग को नियंत्रित करने में बहुत सहायता मिलती है। मधुमेह के कृशकाय व कमजोर रोगियों के लिए संतर्पण उपचार बेहतर होता है और साथ-साथ ही मधुमेह प्रतिरोधी औषधियों, आहार तथा व्यायाम का उपयुक्त सेवन भी किया जाए। ऐसे रोगियों को अपना वजन सामान्य स्तर पर लाने और पोषण स्थिति सुधारने की सलाह दी जाती है। चाहे उपचार विधि कुछ भी हो (पंचकर्म या प्रशामक) मधुमेह के प्रत्येक वर्ग के रोगी के उपचार के लिए व्यवस्थित जीवन शैली सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। उपचार सफलता की दृष्टि से मधुमेह के मोटे रोगियों के बारे में यह माना जाता है कि कृशकाय व कमजोर रोगियों की तुलना में उनकी स्थिति बेहतर हैं। यह विभेद इसलिए किया गया है क्योंकि मोटे रोगियों का पंचकर्म सहित अलग-अलग विधियों व औषधियों से उपचार किया जा सकता है। पंचकर्म पद्धति से रोगजनन कारणों का कारगर निवारण किया जा सकने से चिकित्सा सफलता की अधिक सम्भावना रहती है।

आहार व व्यायाम से रोग को नियंत्रित करने के संबंध में यह उल्लेख है कि आयुर्वेद का भी मूलत: लगभग वही परंपरागत दृष्टिकोण है कि कार्बोहाइड्रेट कम खाए जाएं और समुचित व्यायाम किया जाए। परंतु आयुर्वेद में खाद्य पदार्थ की विशेषताओं को अधिक महत्व दिया जाता है और उनके आधार पर आहार व्यवस्था तय की जाती है। मधुमेह के रोगियों के लिए विशेष उपयोगी आहार में मुख्यत: जौ, बाजरा, जई व मक्का शामिल हैं। इन अनाजों में घुलनशील व अघुलनशील रेशे काफी होते हैं तथा सामान्य कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है। अत: ये रक्त ग्लूकोज स्तर को कम करने में सहायक होते हैं। अलग-अलग स्वरूप का व्यायाम नियमित रूप से करने से शरीर पुष्ट होता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है तथा जीवन में गुणात्मक सुधार आता है।

वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि मधुमेह में आयुर्वेद की औषधियां और आहार व्यवस्था विधान बहुत कारगर है। मधुमेह हर औषधीय गुण वाले बहुत से पौधों को परखा गया है। ऐसा उनकी अल्पग्लूकोजरक्तता क्रिया और मधुमेह के लक्षणों को नियंत्रित करने की क्षमता का आकलन करने के लिए किया गया। यह सिद्ध हुआ कि इनमें न केवल लक्षणों का निवारण करने की क्षमता है बल्कि ये रोग को जटिल बनने से रोकने में भी कारगर हैं। इस बारे में भी अध्ययन हुआ है कि वे किस प्रकार असर करते हैं। विभिन्न अध्ययनों में आयुर्वेद औषधियों की मुख्य कार्मुकता के साथ-साथ यह भी पाया गया है कि ये आंतों से होने वाले शर्करा अवशोषण को रोकती हैं। अग्न्याशय (पैंक्रियाज) के लैंगरहैनस की बीटा कोशिकाओं को पुनजीर्वित या पोषित करती है। इन औषधियों का उपयोग न केवल रक्त ग्लूकोज स्तर को सामान्य करने के लिए किया जाता है बल्कि रोग के लक्षणों व जटिलताओं के उपचार के साथ-साथ जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। यह पाया गया है कि साधारण सी औषधियां जैसे तेजपता, जामुन, बिंबी, विजयसार, मेथी, रक्त-ग्लेकोज स्तर को कम करने में बहुत प्रभावी हैं। इन औषधियों के लाक्षणिक संजीवन, ऊतक संरक्षा, हाइपोलिपिडेइमिक और मेटाबालिज्म-नियमन प्रभावों का भी अध्ययन किया गया। इनसे मधुमेह रोगी की दशा में समग्र सुधार करने में सहायता मिलती है। अत: इस प्रकार के मधुमेह के रोगी जो इंसुलिन पर निर्भर नहीं हैं और औषधि का प्रयोग करते हैं आयुर्वेदिक औषधियां उनके लिए प्रभावी सिद्ध हो सकती हैं यदि आयुर्वेद के अनुसार आहार व जीवन शैली अपनाई जाए तो उपचार को और कारगर बनाया जा सकता है। परन्तु आवश्यक बात तो यह है कि रोगी को आयुर्वेद चिकित्सक के परामर्श को पूर्णतया अपनाना चाहिए, तभी आशानुकूल लाभ प्राप्त हो सकता है। ❑❑❑

स्मृति

हिंदी के पुरोधा—पण्डित सुधाकर पाण्डेय

—डॉ. देशबन्धु राजेश तिवारी*

यकीन अभी भी नहीं होता है, लेकिन आजकल नई दिल्ली के अरूणा आसफ अली मार्ग स्थित नागरी प्रचारिणी सभा के भवन एवं परिसर में व्याप्त खामोशी और वीरानगी के बीच सभा के प्रवेश द्वार के पास रखा पण्डित सुधाकर पाण्डेय जी का भव्य चित्र इस बात को मानने के लिए बाध्य करता है कि पिछले दिनों वे हम सब लोगों को सदा-सदा के लिए छोड़कर इस संसार से चले गए हैं।

वास्तव में, पण्डित सुधाकर पाण्डेय जैसा हिंदी के लिए समर्पित, जुझारू और रचनात्मक दृष्टि से अत्यन्त परिपूर्ण व्यक्तित्व इस देश में शायद ही कोई और रहा हो या हो। काशी नागरी प्रचारिणी सभा के गत तीन दशकों से प्रधानमंत्री व हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के दो बार प्रधानमंत्री रहने वाले, केन्द्रीय हिंदी समिति तथा संसदीय राजभाषा समिति के सक्रिय सदस्य, भारत सरकार के राजभाषा विभाग को अस्तित्व में लाने वाले तथा विश्व हिन्दी सम्मेलन की आयोजन समितियों के संयोजक जैसे विविध पदों पर रहने के साथ-साथ एक अत्यन्त गंभीर एवं निष्ठावान भाषाविद् व साहित्यकार के रूप में सुधाकर जी ने हिंदी की जो उल्लेखनीय सेवा की है। वह बेमिशाल है। देश के स्वतंत्र होने और सन् 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने के पश्चात्, पूरे देश में विशेषकर सरकारी एवं शैक्षिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग तथा प्रचार-प्रसार की एक बड़ी जिम्मेदारी सामने आई। पण्डित सुधाकर पाण्डेय जैसे हिंदी के पुरोधा ने इस जिम्मेदारी को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए बहुत ही कर्मठता के साथ पूरे जीवन निभाया।''हिंदी विश्व साहित्य कोश भाग 1 एवं 2'', ''हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास (द्विवेदी काल)'', ''हस्तलिखित हिंदी ग्रन्थ सूचियाँ'', ''कृपाराम ग्रन्थावली'', ''गुलेरी ग्रन्थावली'', ''रसलीन ग्रन्थावली'', ''सोमनाथ ग्रन्थावली'', ''काव्य विलास'', ''रसविलास'', ''हिंदी कहानी गंगा'', ''काव्य प्रभाकर'', ''बंगला असमिया उड़िया तथा हिंदी'', ''मानस अनुशीलन'', ''हिंदी भाषा और साहित्य'', ''प्रसाद साहित्य'', ''मैथली शरण गुप्त ग्रन्थ'', ''श्याम सुन्दर दास स्मृति ग्रन्थ'', ''पाण्डेय बेचैन शर्मा उग्र'', ''बंग महिला ग्रन्थावली'' नामक हिंदी भाषा एवं साहित्य के विश्व प्रसिद्ध अनेक ग्रन्थों का कुशल संपादन एवं प्रभावशाली लेखन कर हिंदी को विश्व के स्तर के एक अत्यन्त समृद्ध भाषा के रूप में विकसित करने में पण्डित सुधाकर पाण्डेय ने अकथनीय योगदान दिया है। इसके साथ ही, गत चार दशकों से हिंदी जगत की अत्यन्त आधिकारिक एवं शोधस्तरीय पत्रिका-नागरी पत्रिका—को बराबर सम्पादित एवं प्रकाशित करके निकालने में सुधाकर जी का अवदान भुलाया नहीं जा सकता। इस पत्रिका और नागरी प्रचारिणी सभा विशेषकर गन्थ योजनाओं के माध्यंम से सुधाकर जी ने देश में हिंदी के श्रेष्ठ एवं प्रतिष्ठित लेखकों को पैदा किया। इस संबंध में, डॉ. हरबंस लाल शर्मा, आचार्य चन्द्रबली पाण्डेय, डॉ. कृष्णा शारदा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉ. ब्रजकिशोर शर्मा, डॉ. कैलाश चन्द भाटिया, डॉ. विजयपाल सिंह, श्री करूणापति त्रिपाठी आदि जैसे लेखकों के नाम उल्लेखनीय हैं। शायद ही, इस प्रकार का चेतना सम्पन्न और आम लोगों को आगे बढ़ाने वाला व्यक्तित्व हिंदी में दूसरा कोई रहा हो।

पण्डित सुधाकर पाण्डेय के रग-रग में जहाँ हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रति दीवानगी समाहित थी, वहीं उन्होंने देश की राजनीति में भी अपना बढ़-चढ़ के योगदान दिया। मात्र 15 साल की अवस्था में वे ''अंग्रेजों भारत छोड़ो आन्दोलन'' में शामिल हो गए तथा महात्मा गांधी, पण्डित जवाहर लाल नेहरू, महामना मालवीय, पण्डित कमलापति त्रिपाठी,

*60, गीता अपार्टमेंट, गीता कालोनी, दिल्ली-110031.

डॉ. सम्पूर्णानन्द जैसे राष्ट्रीय नेताओं के सानिध्य में निरन्तर स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देते रहे। स्वतंत्रता संग्राम के ही दौरान वे काशी नागरी प्रचारिणी सभा से सम्बद्ध हो गए और सभा की विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने लगे। जैसा कि उस समय के शीर्षस्थ राष्ट्रवादी नेता लोकमान्य तिलक ने कहा था कि नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना के मूल में एक विशेष उदेश्य यह भी रहा है कि राष्ट्रीय आन्दोलन को पूरे देश में चलाने के लिए हिंदी एक आम जन-सम्पर्क की भाषा के रूप में विकसित हो। सुधाकर जी ने इसी मूल मंत्र को ध्यान में रखकर नागरी प्रचारिणी सभा के कार्य को राष्ट्रीय आन्दोलन और स्वंतत्रता के बाद राष्ट्रीय एकता व अखण्डता का कार्य मानकर आजीवन किया। स्वतंत्रता के पश्चात् सत्तर के दशक तक हमारे देश में राजनीति राष्ट्र सेवा, समाज सेवा एवं मूल्यों व आदर्शों पर विशेष रूप से आधारित रही है और इस दृष्टि से हिंदी स्वयं में राष्ट्रीय विकास का एक मुददा रही है। हिंदी की सेवा को राष्ट्र सेवा का पर्याय माना जाता रहा है। बनारस और इलाहाबाद विशेष रूप से उत्तर भारत में हिंदी के विकास व प्रचार-प्रसार के गढ़ रहे हैं। इनमें से बनारस में पण्डित सुधाकर पाण्डेय का विशेष प्रभाव रहा। उनके इसी प्रभाव को ध्यान में रखकर श्रीमती इन्दिरा गांधी व पण्डित कमलापति त्रिपाठी ने उन्हें बनारस जिले के चन्दौली क्षेत्र से 1971 में कांग्रेस का लोकसभा का उम्मीदवार बनाया और वे भारी बहुमत से विजयी हुए। यह उल्लेखनीय है कि 1971 में हुए लोकसभा के मध्यावधि चुनाव कांग्रेस के विभाजन, बैंकों के राष्ट्रीयकरण, राजाओं के प्रिवीपर्स की समाप्ति, भारत-पाक युद्ध तथा बंगलादेश के उदय जैसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हुए थे, जिसके कारण आम जनता में राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति गहरी दिलचस्पी एवं जागरूकता थी। ऐसे में सुधाकर जी का लोकसभा में चुनकर आना एक विशिष्ट उपलब्धि रही हैं। हिंदी अथवा देश की अन्य किसी भाषा का शायद ही कोई भाषाविद या साहित्यकार लोकसभा के लिए निर्वाचित होकर आया हो। अधिकतर साहित्यकार राज्यसभा में ही रहे हैं। वैसे यह गौरव सुधाकर जी को भी 1980 से 1986 तक प्राप्त हुआ जब इन्दिरा जी ने उन्हें उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का सदस्य चुनवाया था।

इस प्रकार साहित्य और राजनीति, दोनों ही क्षेत्रों में सुधाकर जी का योगदान और वर्चस्व रहा। हिंदी के उत्थान संबंधी विभिन्न विषयों को तो वे लोकसभा एवं राज्य में बराबर प्रभावशाली ढंग से उठाते ही रहे, लेकिन देश के विश्वविद्यालयों के अध्यापन एवं प्रशासन, भदोही के कालीन उद्योग व बुनकरों की समस्याएं, रेलवे का विस्तार, बेरोजगार नौजवानों के लिए नौकरियों एवं बैंकों के ऋणों पर आधारित व्यवसायों, महिला उत्पीड़न, पूर्वी उत्तर प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास जैसे असंख्य महत्वपूर्ण विषयों को न केवल वे जोरदार ढंग से उठाते रहे, बल्कि उनके वास्तविक कार्यान्वयन के लिए भी बराबर सजग रहे। इन पंक्तियों के लेखक को उस समय बहुत ही सुखद आश्चर्य हुआ जब पण्डित सुधाकर पाण्डेय फरवरी 1972 नई दिल्ली के गोलमेथी चौक (प्रधानमंत्री भवन के पास) पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप का विरोध में धरने पर बैठे हम छात्रों के बीच पहुँच गए। उस समय एक विद्यार्थी होने के नाते सुधाकर जी का नाम मैंने एक साहित्यकार के रूप में सुना था लेकिन उस दिन उनसे मिलने व अपनी माँग के समर्थन में उनकी पहल व उनके विचारों को सुनकर बहुत अच्छा लगा। वैसे तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी सहित देश के ज्यादातर नेता अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे, लेकिन हम लोगों को धरने पर यदि कोई पूछने आया तो केवल सुधाकर जी ही थे। उन्होंने दूसरे दिन लोकसभा में हम लोगों के पक्ष को जोरदार ढंग से रखा और अलीगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972 को पारित करवाने में अपनी सक्रिय भूमिका अदा की।

उक्त घटना व सुधाकर जी के योगदान का मेरे ऊपर ऐसा गहरा असर हुआ कि उनसे तब से लेकर अभी तक अर्थात् लगभग 30 वर्षों तक संबंध बने रहे। जब भी दिल्ली आता था या बाद में नौकरी में दिल्ली में ही पदस्त होने के कारण अक्सर उनसे मिलने चला जाता था और घंटों साहित्य, संस्कृति, राजनीति आदि पर चर्चा किया करता था। मिलने या बातचीत के दौरान कभी भी उन्होंने उम्र का लम्बा फासला महसूस नहीं होने दिया। वे बिल्कुल किसी मित्र की ही तरह मिलते थे और हमेशा मेरी बातों का समर्थन करते थे अथवा सकारात्मक दृष्टि से ही कोई बात कहते थे। 1984 में, जब मैं दिल्ली आया और 1990 तक रहा तो उस बीच सुधाकर जी पहले राजेन्द्र प्रसाद रोड और बाद में सुनहरी बाग लेन में रहते थे। वहीं नागरी प्रचारिणी सभा का दिल्ली स्थित कार्यालय भी था। मैंने एक बार उन्हें सुझाव दिया कि सभा की तरफ से कुछ नियमित रूप से कार्यक्रम होने चाहिए। तत्काल उन्होंने मेरा यह सुझाव मान लिया और हर शुक्रवार को नागरी प्रचारिणी

सभा की विचार गोष्ठियाँ होने लगी। इसका नाम उन्होंने "शुक्रवारी नागरी मंच" रखा था। इसके साथ ही सुधाकर जी को हिंदी दिवस समारोह संबंधी अनेक कार्यक्रमों में ले जाने के लिए उनसे जब भी आग्रह किया वे बिल्कुल सहज भाव से तुरन्त मान जाते थे। मैं उनसे कहता था कि बाबू जी अपनी डायरी तो देख लीजिए कि कहीं उस दिन किसी अन्य कार्यक्रम में तो नहीं रहेंगे तो उस पर वे खिलखिलाकर कहते थे कि पहले तुम्हारा कार्यक्रम फिर कोई और कार्यक्रम होगा। बाद में एक दिन मुझे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि बाबू जी कोई डायरी आदि नहीं रखते थे। उनकी याददाश्त ही उनकी डायरी थी। इस विषय में जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुस्करा कर यह बताया था कि "डायरी-वायरी रखना तो अंग्रेजों के चोंचले हैं। हम तो हिन्दुस्तानी आदमी हैं, जहाँ दी हुई जबान ही सब कुछ है। भगवान की दया से याददाश्त इतनी मजबूत है कि कहीं कोई चीज लिखकर के याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी।" सुधाकर जी के व्यक्तित्व का यह पहलू देखकर मैं अवाक् रह गया था। अभी कल की ही तो बात लगती है, जब मैं 15 जनवरी, 2003 को उनसे अपनी शीघ्र प्रकाशित होने वाली पुस्तक "कामकाजी हिंदी: भूमण्डलीयकरण के दौर में" की भूमिका लिखने के लिए उनके पास गया था। यह सोचकर कि बाबू जी उन दिनों काफी अस्वस्थ चल रहे थे, मैं भूमिका अपनी ओर से लिखकर ले गया था। बाबू जी ने उसे तुरन्त पढ़ा और बोले, "इसको तुम अपने पास रखो। इसमें तुमने अपने मन की बात लिखी है। मेरे मन की बात नहीं लिखी है। फिर हँस कर कहने लगे कि कोई आदमी अपनी तारीफ आप कर ही नहीं सकता। इसलिए मैं जो बोल रहा हू वो लिखो और वही तुम्हारी इस पुस्तक की भूमिका होगी।" और मैं उनके निर्देशानुसार उनके विचारों एवं भावों को लिखता रहा। वास्तव में, एक पेज के अन्दर जो प्रभावशाली भूमिका उन्होंने लिखवायी वह अब तक के अपने पचास वर्षीय जीवन में मैंने कहीं नहीं देखी या पढ़ी है। उन्होंने उसमें कामकाजी हिंदी को भूमण्डलीयकरण के माध्यम से विश्व भाषा के रूप में विकसित किए जाने के बारे में मेरे प्रयास को एक बहुत ही सामायिक एवं सार्थक प्रयास बताया है। कदाचित, हिंदी के इतने बड़े विद्वान द्वारा की गई प्रशंसात्मक भूमिका मेरे लिए एक अमूल्य धरोहर है। उनका एक अन्य प्रेरणाप्रद वाक्य भी अक्सर याद आता है कि "साहित्यकार बनना बड़ी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात है इन्सान बनना"। इन्सानियत या मानवता के प्रति अटूट आस्था की प्रेरणा से मुझे लगता है कि बाबू जी को श्रीरामचरितमानस और गोस्वामी तुलसीदास से ही मिली होगी। क्योंकि तुलसी और मानस के प्रति उनके मन में गहरा लगाव था। मानस चतुर्शती का उनके द्वारा किया भव्य आयोजन पूरा देश जानता है। हर वर्ष तुलसी जयन्ती को मनाने के लिए वे तत्पर रहते थे, यह भी हम सभी जानते हैं। वे कहते भी थे कि मानव कल्याण या मानव अधिकारों की बात करने वालों को सबसे पहले तुलसी और रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए। सचमुच, अब उनकी यही स्मृतियाँ शेष हैं। यों वे पिछले एक वर्ष से साँस की बीमारी से कुछ पीड़ित थे, लेकिन वे स्वस्थ रहने के लिए उच्चतम चिकित्सीय सहायता एवं सुविधाओं का सहारा ले रहे थे और बहुत ही सामान्य एवं मधुरता के साथ कहते भी थे कि "मैं स्वस्थ तो हूँ, बस तुम्हीं लोगों को बीमार दिखाई देता हूँ।" वास्तव में, मन तो यही कहता है कि बाबू जी चाहे भले ही थोड़ा बहुत अस्वस्थ थे, लेकिन हमारे बीच रहते तो। क्योंकि हिंदी के हम जैसे सेवकों और सिपाहियों को उनका चला जाना हमेशा के लिए बहुत-बहुत अखरेगा। ❑❑

हिंदी हिमाचल से लेकर कन्याकुमारी तक व्यवहार में आने वाली भाषा है।

—राहुल सांकृत्यायन

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां

जयपुर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (के. का.) जयपुर की 44वीं बैठक दिनांक 19 फरवरी, 2003 को प्रातः 11.00 बजे बिड़ला ऑडिटोरियम, मीडियम कॉन्फ्रेंस हाल, द्वितीय तल, स्टेच्यू सर्किल, जयपुर में सम्पन्न हुई। जयपुर नगर स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालय प्रमुख एवम् अधिकारीगण इस बैठक में उपस्थित थे।

अध्यक्ष श्री रंजन कुमार घोष, महालेखाकार ने सदन में उपस्थित अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि भारत सरकार, राजभाषा विभाग के निदेशानुसार राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं कार्यान्वयन की दिशा में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों का वर्ष में दो बार आयोजन किया जाता है और हिंदी के प्रगामी प्रयोग में आने वाली कठिनाईयों का निराकरण करने का प्रयास करते हैं।

अंत में सचिव एवं उप महालेखाकार (प्रशासन) श्री सौरभ नारायण ने अध्यक्ष न.रा.रा.स., उप निदेशक (कार्यान्वयन) राजभाषा विभाग तथा बैठक में वें उपस्थित अन्य अधिकारियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में भविष्य में भी इसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा की।

बिजापुर

सिंडिकेट बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, बिजापुर के संयोजकत्व में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बिजापुर का राजभाषा वार्षिक समारोह दिनांक 17-05-2003 को बिजापुर के श्री कंदगल हनुमन्तराय रंगमंदिर में संपन्न हुआ।

श्री जी.एम. धनंजय, आईएएस उपायुक्त बिजापुर, समारोह के मुख्य अतिथि तथा श्री मोहम्मद मोहसिन आई ए एस मुख्य कार्यापाल अधिकारी, जिला पंचायत बिजापुर श्री पंकज कुमार ठाकुर आई.पी.एस. पुलिस अधीक्षक बिजापुर एवं ग्रमीण बैंक के अध्यक्ष श्री एन. जगतपाल, समारोह के विशिष्ठ अतिथि थे। भारत संचार निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक मेजर, एम.के.खान समारोह के स्वागताध्यक्ष थे एवं सिंडिकेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बिजापुर के अध्यक्ष श्री डी. शिवकुमार ने समारोह की अध्यक्षता की।

औरंगाबाद

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति औरंगाबाद की 34वीं बैठक श्री डी. एस. नेगी, आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क की अध्यक्षता के दिनांक 20-2-2003 को अपराह्न 15.00 बजे, केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क के आयुक्त के कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। इस बैठक में राजभाषा विभाग, नई दिल्ली के सचिव जी.आर. पटवर्धन प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

सचिव (राजभाषा) श्री जी.आर. पटवर्धन जी ने अपने संभाषण में कहा की बैठकों की महत्ता, राजभाषा के उत्तरोत्तर प्रयोग हेतु अधिनियम के जो प्रावधान दिए गए हैं उसे आप जैसे अधिकारियों को बताने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी संबंधी यदि कोई कठिनाई हो तो बैठकों में चर्चाएं होती हैं। समस्याओं का निराकरण किया जाता है। हिंदी भाषा में क्षेत्र के अनुसार उच्चारण में भेद हो सकता है किंतु लिखने में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। लिखते समय इस बात का ख्याल रखें कि हिंदी सरल, सुबोध शब्दों के साथ-साथ व्याकरण के दोषों से मुक्त हो। बहुत सी त्रुटियां अनदेखे-अनचाहे में हो जाती हैं।

हम देशवासी इसी हिंदी भाषा के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह जोड़ने का काम हिंदी पदाधिकारी निभा रहे हैं। अन्य अधिकारी केवल भावात्मक रूप से जुड़ जांए तो अच्छा है। आज विश्व को हिंदी के माध्यम से एक संपर्क सूत्र में बांधने की आवश्यकता है।

कोलकाता (बैंक)

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक) कोलकाता की 34वीं बैठक दिनांक 27 फरवरी, 2003 को पूर्वाह्न 11.00 बजे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय के बोर्ड कक्ष में संपन्न हुई।

बैठक की अध्यक्षता नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक) कोलकाता के अध्यक्ष तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री मधुकर ने की। श्री गोविन्द रा. पटवर्धन, आई.ए.एस. सचिव, भारत सरकार, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय नई दिल्ली बैठक के मुख्य अतिथि थे। स्थानीय गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के उप निदेशक (का.) क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, उप निदेशक (पूर्व) हिंदी शिक्षण योजना तथा प्रशिक्षण अधिकारी एवं कार्यालयाध्यक्ष, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो तथा स्थानीय नगर मंत्री, केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद् एवं रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि आमंत्रित अतिथि के रूप में उपस्थित हुए।

कटक

कटक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 29वीं बैठक दिनांक 09-01-2003 को अपराह्न 3.00 बजे उत्कल चैम्बर आर्फ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बारवाटी स्टेडियम में आकाशवाणी, कटक के केंद्र निदेशक श्री अभय कुमार पाढ़ी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री ग्वाल दास केसवानी, उप निदेशक (का.) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, कोलकाता उपस्थित थे।

बडोदरा

बडो़दरा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय) की 40वीं बैठक दिनांक 29-1-2003 को सायं 15.00 बजे केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क भवन के सम्मेलन कक्ष में हुई। बैंठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष श्री पी.के. जैन, आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क, बड़ोदरा-1 ने की।

डलहौजी

डलहौजी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दूसरी छमाही बैठक दिनांक 28-01-2003 को श्री ए. के. सचदेवा, कार्यपालक निदेशक क्षेत्र-2 एवं अध्यक्ष, नराकास की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

तूतीकोरिन

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, तूतीकोरिन, तमिलनाडु की दसवीं बैठक दिनांक 3-01-2003 को सींडिकेट बैंक, 18 साउथ राजा स्ट्रीट तूतीकोरिन-1 के परिसर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता टॉलिक के अध्यक्ष एवं भारी पानी संयंत्र तूतीकोरिन, परमाणु ऊर्जा विभाग के मुख्य महाप्रबंधक, श्री टी.के हालदार ने की। श्री बी.एल. पाण्डेय, कार्यकारी निदेशक (प्रचालन) एवं अध्यक्ष-राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भारी पानी बोर्ड, मुंबई बैठक के मुख्य अतिथि थे। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, कोचिन से श्री पी. विजयकुमार, अनुसंधान अधिकारी (का.) ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया। तूतीकोरिन नगर स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, बैंकों, निगमों और उपक्रमों के कार्यपालकों/उच्च अधिकारियों व प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया।

इस अवसर पर श्री पाण्डेय जी ने टॉलिक की त्रैभाषिक वार्षिक गृह पत्रिका **नगराभिनन्दन** एवं भारत संचार निगम लिमिटेड की त्रैभाषिक पत्रिका **मोती संचार** का विमोचन किया।

पुणे (बैंक)

पुणे स्थित सभी सरकारी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 27 वीं बैठक 27 जून, 2003 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के उप महाप्रबंधक श्री विकास छापेकर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के उप निदेशक (कार्यान्वयन) श्री शिवानंद धुत्रे, सहायक निदेशक (हि.शि.यो.) श्री राजेन्द्र प्रसाद वर्मा तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मुख्य प्रबन्धक (राजभाषा) डॉ. दामोदर खड़से विशेष रूप से उपस्थित थे।

दिनांक 21 दिसम्बर, 2002 को संपन्न बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार समिति की बैठक का आयोजन पंजाब नेशनल बैंक के पुणे क्षेत्रीय कार्यालय ने किया।

प्रारंभ में पंजाब नेशनल बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री पी. एन. तांबेकर ने सभी उपस्थितों का स्वागत किया, तद्पश्चात् पारस्परिक परिचय के बाद सदस्य सचिव ने बैठक की कार्यवाही शुरू की।

कार्यसूची की मद क्रम-2 के अंतर्गत सदस्य सचिव ने सदस्य बैंकों से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा प्रस्तुत की।

अध्यक्षीय भाषण में समिति के अध्यक्ष श्री विकास छापेकर जी ने बैठक के लिए रिपोर्टों के 100% प्रस्तुतीकरण को एक उपलब्धि मानते हुए सदस्यों से आग्रह किया कि

अब वे हिंदी कामकाज व उसके प्रस्तुतीकरण की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु प्रयत्न करें । उन्होंने हिंदी कार्य को कोई अतिरिक्त कार्य न मानते हुए सदस्यों को स्मरण कराया कि सरकारी बैंकों ने विगत में बहुत बड़ी-बड़ी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है और उसके मुकाबले में हिंदी का कार्यान्वयन बैंकों के लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने बैठकों से पूर्व प्राप्त रिपोर्टों की जांच किये जाने की संभावना पर विचार करने का आश्वासन सदस्यों को दिया।

बीकानेर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बीकानेर की बैठक मंडल रेल प्रबंधक एवं अध्यक्ष न.रा.का.स. श्री एल.सी. मजुमदार की अध्यक्षता में दिनांक 25.6.2003 को सम्पन्न हुई। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर आंचलिक कार्यालय पब्लिक पार्क, बीकानेर को नगर राजाभाषा शील्ड बैंक के सहायक प्रबंधक श्री एल.एन. कलानी एवं श्री शिव कुमार श्रीमाली प्रबंधक राजभाषा को प्रदान की गई।

रायपुर (बैंक)

बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रायपुर की 15वीं अर्द्ध-वार्षिक बैठक मंगलवार दिनांक 27 मई, 2003 को होटल आदित्य में श्री घनश्याम गुप्ता, महाप्रबन्धक (राजभाषा), सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केन्द्रीय कार्यालय की अध्यक्षता में संपन्न हुई। श्री सुनील सरवाही, उपनिदेशक (कार्यान्वयन) क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, भोपाल ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया। नए संयोजक के रूप में सेंन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के आंचलिक प्रबंधक श्री एन. नारायण भी बैठक में उपस्थित थे।

उपनिदेशक (कार्यान्वयन) श्री सुनील सरवाही ने विभिन्न बैंकों से आये हुए कार्यपालकों एवं उनके प्रतिनिधियों से सीधे बातचीत करते हुए हिंदी के प्रचार-प्रसार को सिर्फ बैनर/पोस्टर तक सीमित न करते हुए इसे सुगमता से व्यवहार की भाषा बनाने की अपील करते हुए प्रत्येक स्तर पर इसके उपयोग को बढ़ाने की बात कही। उन्होंने बताया कि वर्तमान में बैंकों में हो रहे तेजी से तकनीकी उन्नयन एवं कम्प्यूटरीकरण के कारण हिंदी के प्रयोग पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। अत: अब हमारा विशेष रूप से उत्तरदायित्व है कि हम इस की पूर्ति अपने शेष कार्यों में पूर्णत: हिंदी का प्रयोग करके करें।

बैठक की अध्यक्षता कर रहे सेन्ट्रल बैंक के महाप्रबन्धक श्री घनश्याम गुप्ता ने अपने अध्यक्षीय भाषण में रायपुर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि आप सभी के सहयोग एवं श्री सरवाही जी के मार्गदर्शन में यह समिति काफी अच्छा एवं व्यवस्थित कार्य कर रही है। उन्होंने अपने संबोधन में विभिन्न बैंकों के कार्यापालकों एवं प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे अपने-अपने बैंकों में सरकारी नीति एवं दिशा निर्देशों के तहत राजभाषा नीति के अनुपालन में व्यक्तिगत रूप से रुचि लें एवं जैसे कि वित्तीय संस्थाएं अपने अन्य व्यवसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सजग एवं सतर्क हैं उसी तरह हिंदी के प्रयोग का स्तर एवं प्रतिशत बढ़ाने हेतु एक कार्य योजना के तहत लक्ष्यों को निर्धारित कर प्राप्त करने का भरसक प्रयास करें। उन्होंने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि कार्य तो हम सभी करते हैं लेकिन उन कार्यों को दिशा/नियमों/उपनियमों में उसको कैसे ढालें एवं कैसे रिपोर्ट करें इस पर ध्यान दें। उन्होंने सभी बैंकों से हिंदी की त्रैमासिक रिपोर्ट बैठक के पूर्व समय पर देने का अनुरोध किया साथ ही श्री गुप्ता ने आगे कहा कि समिति के 'क' क्षेत्र में स्थित होने के कारण एवं पूर्णत: हिंदी भाषी राज्य होने के कराण यह हमारी विशेष जिम्मेदारी है कि हम वाणिज्यिक एवं वित्तीय एवं संस्थाएं इस क्षेत्र की जनता से संवाद एवं पत्राचार में हिंदी का ही प्रयोग करें।

बैठक के अंत में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य प्रबंधक श्री जी.पी. पांडेय ने अध्यक्ष तथा सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया और इसके साथ ही बैठक समाप्त हुई।

उदयपुर

19 जून, 2003 को खान सुरक्षा निदेशालय के निदेशक श्री नरेन्द्र कुमार खेराड़ा की अध्यक्षता में नराकास की बैठक सम्पन्न हुई। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि भारत सरकार के वार्षिक कार्यक्रम की अब पूरी मंशा है कि आप अपने कार्यालयों में अपना कार्य हिंदी में करने का प्रयास करें। उन्होंने आगे कहा कि समिति की बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या कम है, इसे बढ़ाने का पूरा-पूरा प्रयास किया

जाएगा। साथ ही उन्होंने सभी सदस्यों से निवेदन किया कि जब कभी भी कोई सदस्य समिति की बैठक में भाग लेने आये तो वह अपने कार्यालय की प्रगति रिपोर्ट तथ्यगत रूप से भरकर लाया करें ताकि बैठक में समुचित रूप से निर्णय लिये जा सकें।

कानपुर

दिनांक 24-04-2003 को कैंट करियप्पा मार्ग स्थित ओ.ई.एफ. अतिथि गृह के सम्मेलन कक्ष में कानपुर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 12वीं बैठक सम्पन्न हुई। अध्यक्षता आयुध निर्माणी बोर्ड के सदस्य तथा अपर महानिदेशक श्री आर. के. वार्ष्णेय द्वारा की गई। इस बैठक में नगर स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालय/उपक्रम/निगम/कम्पनीज आदि जिनकी संख्या 152 है, से प्राप्त छमाही रिपोर्ट्स की समीक्षा विस्तारपूर्वक समिति के सदस्य सचिव श्री आर. के. शर्मा द्वारा प्रस्तुत की गई।

इस अवसर पर वर्ष 2001-2002 के दौरान राजभाषा पत्रिका प्रतियोगिता के क्षेत्र में नगर स्थित संस्थानों के बीच उत्कृष्ट प्रकाशन करने वाले कार्यालयों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सांत्वना पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इस क्रम में लघु शस्त्र निर्माणी, कानपुर द्वारा प्रकाशित पत्रिका 'आस्त्रेय' को प्रथम, आयुध निर्माणी, कानपुर द्वारा प्रकाशित पत्रिका 'सावत्री' को द्वितीय, हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि. द्वारा प्रकाशित पत्रिका 'राजभाषा आलोक' को तृतीय एवं भारतीय जीवन बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रकाशित पत्रिका 'पुष्पांजली' को सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

बैठक के प्रारम्भ में अध्यक्ष महोदय का स्वागत तथा स्वागत भाषण की प्रस्तुति क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, श्री आनंद गुप्त मौर्य द्वारा की गई। आभार प्रदर्शन श्री वि. ना. औटी उपमहानिदेशक, आयुध उपस्कर निर्माणी समूह मुख्यालय द्वारा किया गया।

श्री वार्ष्णेय द्वारा कुछ मदों में राजभाषा द्वारा निर्धारित 100 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त न कर पाने पर निराशा प्रकट की गई। उन्होंने कहा कि सदस्य कार्यालयों में यदि इलेक्ट्रानिक उपकरणों का अभाव हो या अनुवाद व्यवस्था मजबूत न हो, तो वे अपने-अपने मुख्यालय के समक्ष इसे प्रस्तुत करें। कार्यालयों में हिंदी कार्याशालाएं, हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम, विभिन्न प्रतियोगिताएं आदि में वृद्धि होनी चाहिए। यदि अधिकारी दैनन्दिनी कार्यों में हिंदी का प्रयोग आरंभ करेंगे तो अधीनस्थ कर्मचारी भी इससे प्रोत्साहित होंगे, बाध्य होंगे। आपने विभागाध्यक्षों से अपील की कि वे बैठक में स्वयं भाग लें। ❑

देश के सबसे बड़े भू-भाग में बोली जाने वाली हिंदी ही राष्ट्रभाषा की अधिकारिणी है।

—सुभाषचन्द्र बोस

राजभाषा कार्यान्वयन समितियां

केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ

संस्थान की त्रैमासिक बैठक दिनांक 25-6-2003 को अपरान्ह 3.30 बजे संस्थान के सम्मेलन कक्ष में निदेशक महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक का शुभारंभ अध्यक्ष महोदय के स्वागत संदेश से हुआ। तदुपरान्त सदस्य सचिव ने दिनांक 31-01-2003 को बुलाई गई बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस बैठक में लिए गए निर्णयों पर प्रभावी रूप से कार्यवाही करने हेतु तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अध्यक्ष महोदय ने सभी उपस्थित अधिकारियों को इस आशय के साथ विशेष निर्देश दिये कि अगली तिमाही बैठक तक सभी लक्ष्य निश्चय ही प्राप्त हो जायेंगे।

तत्पश्चात् सी एस आई आर मुख्यालय द्वारा प्राप्त पिछली तिमाही रिपोर्ट की प्रगति पर प्राप्त समीक्षा पत्र पर चर्चा की गई जिस पर निदेशक महोदय ने पत्र में इंगित किये गये सभी बिन्दुओं पर गंभीरता से अनुपालन करने हेतु संबंधित/विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये।

बैठक के अगले चरण में सचिव ने विचारणीय तिमाही (जनवरी 2003-मार्च 2003) के दौरान संस्थान में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग में हुई प्रगति रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रगति रिपोर्ट में बताया गया इस तिमाही में भी लगभग पिछली तिमाही की भांति ही प्रगति हो सकी है। अध्यक्ष महोदय ने इस प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि संस्थान की धारा 3 (3) के अन्तर्गत निकाले जाने वाले अधिकांश प्रपत्र अभी भी अंग्रेज़ी में ही निकाले जा रहे हैं तथा पत्राचार में कोई अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। अतः इस सम्बन्ध में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों के निवारण के लिए सदस्यों द्वारा गंभीरतापूर्वक प्रयास किये जाने चाहिए।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद

श्री अनुराग, कार्यपालक अभियन्ता, इलाहाबाद केन्द्रीय मण्डल, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तृतीय बैठक वर्ष 2003 की दिनांक 10-7-2003 को सम्पन्न हुई।

भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2003-2004 के विभिन्न मदों पर विस्तृत चर्चा की गयी। अध्यक्ष महोदय ने अपनी व्यवस्था में सभी अधिकारियों का आहवान किया कि वे अपने सामूहिक प्रयास से विभिन्न मदों में अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त करें।

हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है; इसके प्रयोग एवं विस्तार से हमें गौरवन्वित होना चाहिए। इस शुभ विचार के साथ एवं अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन किया गया।

केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क आयुक्तालय, इन्दौर

माणिक बाग पैलेस, इन्दौर स्थित केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क आयुक्तालय में दिनांक 30 जून, 2003 को अपर आयुक्त श्री देवेन्द्र सिंह जी की अध्यक्षता में मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें 31 मार्च, 2003 को समाप्त अवधि में हिंदी प्रगति की समीक्षा की गई तथा सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के उपायों पर विचार-विमर्श किया गया।

समिति को जानकारी दी गई कि प्रत्येक स्वतंत्र कार्यालय में हिंदी कार्य के लिए प्रोत्साहन स्वरूप 10 कर्मचारियों को नगद पुरस्कार देने का प्रावधान है। इस संबंध में मंडलों/शाखाओं को 8, 14 जनवरी, 2003 और 27 मई, 2003 को पत्र भेजे गए हैं।

इन्दौर मंडल ने 7 कर्मचारियों को 3400/- रु. के, उज्जैन मंडल ने 8 कर्मचारियों को 3700/- रु., के और रतलाम मंडल ने 5 कर्मचारियों को 2800/- रु. के नगद पुरस्कार प्रदान किए हैं।

अपर आयुक्त श्री देवेन्द्र सिंह जी ने सभी उपस्थित पदाधिकारियों से राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा अधिकतम कामकाज हिंदी में करने/कराने के लिए सभी संभव उपाय करने का आह्वान किया।

अपर आयुक्त श्री संजय कुमार ने कहा कि कार्यालय के कम्प्यूटरों में हिन्दी के फांउड्स उपलब्ध हैं अत: कम्प्यूटरों में काम करने में कोई कठिनाई नहीं है।

केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रूड़की

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वियन समिति की 35वीं बैठक में दिनांक 27 जून, 2003 को अपराह्न में 3.30 बजे मुख्य भवन के प्रथम तल स्थित "सम्मेलन कक्ष" में निदेशक, श्री विनय माथुर जी की अध्यक्षता में बुलाई गई।

बैठक का आरम्भ अध्यक्ष महोदय के स्वागत शब्दों के साथ हुआ। तदोपरान्त सदस्य सचिव ने 21-3-2003 को बुलाई गई पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा प्रस्तुत किया तथा सर्वसम्मति से इसकी पुष्टि की गई।

प्रसार भारती दूरदर्शन केन्द्र, नई दिल्ली

केन्द्र की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 22-4-2002 को पूर्वाह्न 11.30 बजे मुख्य प्रस्तुतकर्ता महोदय की अध्यक्षता में प्रारंभ हुई।

बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई एवं तदनुसार निर्णय लिए गए। प्रेषण पंजी से प्राप्त जानकारी के अनुसार धारा 3 (3) के अंतर्गत जारी कई कागज़ात सिर्फ अंग्रेजी में जारी किए जाते हैं और बाद में अनुवाद हेतु उनकी प्रति राजभाषा एकांश को भेज दी जाती है। इस पर हिंदी अधिकारी ने आपत्ति व्यक्त की और उनका कहना था कि धारा 3(3) के अंतर्गत जारी सभी कागजात द्विभाषी रूप में ही होने चाहिएं। इस आशय के कई परिपत्र परिचालित किए जा चुके हैं जिनमें यह स्पष्ट किया जा चुका है कि उक्त धारा के तहत जारी कागजात साथ ही साथ द्विभाषी जारी होने चाहिएं और सिर्फ अंग्रेजी में जारी करने वाले अधिकारी सांविधिक दायित्व के उल्लंघन के लिए जिम्मेवार होंगे। बैठक में उपस्थित वरिष्ठ सदस्यों ने आश्वासन दिया कि इस दिशा में सार्थक प्रयास किए जाएंगे।

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) आकाशवाणी, हैदराबाद

आकाशवाणी, हैदराबाद की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वित्तीय वर्ष 2002-2003 की चौथी तिमाही बैठक श्री बी० वेंकट राव, उपनिदेशक की अध्यक्षता में दिनांक 5-3-2003 को अपराह्न 3.30 बजे सम्पन्न हुई।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया तथा सदस्य सचिव से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करने को कहा। सदस्य सचिव ने दिनांक 22-11-2002 को हुई पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर एक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे समिति ने विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से पुष्टि की।

सदस्य सचिव ने समिति के सदस्यों को अवगत कराया कि राजभाषा विभाग के स्थायी आदेशों के अनुसार सभी इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, कम्प्यूटर आदि केवल द्विभाषी खरीदना चाहिए और इस संदर्भ में कहा कि केन्द्र पर लगे कुल 17 कम्प्यूटरों में से केवल 4 कम्प्यूटरों पर हिंदी साफ्टवेयर की सुविधा उपलब्ध है और शेष 14 कम्प्यूटरों के लिए हिन्दी साफ्टवेयर खरीदने की आवश्यकता है। इस पर विचार-विमर्श के बाद समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि शेष कम्प्यूटरों के लिए निधियों की उपलब्धता के आधार पर एक चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार हिंदी साफ्टवेयर खरीदे जाएं।

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) दूरदर्शन केन्द्र, जालन्धर

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 7-3-2003 को प्रात: 11.30 बजे श्री अशोक जेलखानी, निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, जालन्धर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

अध्यक्ष महोदय ने बैठक के ध्यान में यह बात लाई कि समाचार कक्ष से बहुत सा कार्य हिन्दी में हो रहा है, उनके यहां से प्रस्ताव/फाइलें हिंदी में ही प्रस्तुत की जाती हैं, ऐसे ही कुछेक अन्य अनुभागों में भी होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने

किसी जिम्मेदार अधिकारी को नियुक्त किए जाने का सुझाव रखा जो हिंदी कार्य हेतु बनाए गए जांच बिंदु के अनुसार कार्य करवा सके। सहायक केन्द्र अभियन्ता, श्री अशोक कुमार को इस कार्य के लिए नामित किया गया।

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम)

आकाशवाणी, कड़पा (आं. प्र.)

राजभाषा कार्यान्वियन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 30-4-2003 को शाम 4.30 बजे आकाशवाणी, कड़पा केन्द्र में श्री एम. के. राव, अधीक्षण अभियंता की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

अध्यक्ष महोदय ने हिंदी एकक को यह सुझाव दिया कि हिंदी में हर महीने में पहले हफ्ते में एक घंटे के लिये शाम 5.00 बजे से 6.00 तक एक हिंदी कक्षा को आयोजित किया जाएं। इससे जिन उम्मीदवारों को हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं होता, उनको बहुत उपयोगी होगा। इस पर सभी सदस्य हर्ष प्रकट किये।

कार्यालय महाप्रबंधक/राजभाषा

पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर-273012

क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक 22-4-2003 को महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे श्री ओम प्रकाश की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं मुख्य यांत्रिक इंजीनियर, पूर्वोत्तर रेलवे, श्री कृष्ण कुमार गुप्त ने महाप्रबंधक, रेलवे बोर्ड से पधारे निदेशक, राजभाषा श्री प्रमोद कुमार यादव सहित बैठक में उपस्थित सभी प्रमुख विभागाध्यक्षों, मण्डलों के अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं आमंत्रित अधिकारियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे ने राजभाषा हिंदी के प्रयोग प्रसार में कई उपलब्धियां अर्जित की हैं, परन्तु अभी भी कई क्षेत्रों में काफी कार्य करना बाकी है, जिसे आप सभी के सहयोग से ही सुधारा जा सकता है।

महाप्रबन्धक, श्री ओम प्रकाश ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुरूप फाइलों पर अब टिप्पणियां हिंदी में लिखी जा रही हैं तथा उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग भी नहीं दिया जा रहा है।

उन्होंने स्टेशन संचालन नियमों को 30 जून तक निश्चित रूप से हिंदी में कम्प्यूटरीकृत करा लेने का निर्देश दिया तथा जुलाई, 2003 से प्रभावी समय सारणी के प्रकाशन की संभावित तिथि को देखते हुए मुख्य वाणिज्य प्रबंधक एवं मुख्य परिचालन प्रबंधक को निर्देश दिया कि पर्याप्त मात्रा में हिंदी की समय सारणी छापी जायें, आरक्षण चार्ट द्विभाषी रूप में ही निकालने के संबंध में सभी अपर मंडल रेल प्रबंधकों को निगरानी रखने का निर्देश दिया।

अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी/मुख्यालय एवं मुख्य मालभाड़ा परिवहन प्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे, श्री रणविजय सिंह द्वारा समिति के अध्यक्ष, निदेशक, राजभाषा, रेलवे बोर्ड तथा समिति के सदस्यों के प्रति आभार प्रदर्शन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही संपन्न हुई।

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति (राकास) की जनवरी—मार्च 2003 की तिमाही की बैठक संस्थान के गोष्ठी कक्ष में दिनांक 7-4-2003 को 2.30 बजे डॉ० अरुणाभा दत्ता, कार्यकारी निदेशक, भापेसं की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

डॉ० ए. दत्ता, अध्यक्ष 'राकास' का सुझाव था कि संस्थान में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से एक बड़े स्तर की कार्यशाला/संगोष्ठी के आयोजन के लिए एक प्रस्ताव बनाया जाए ताकि उसके आयोजन पर विचार किया जा सके।

श्री वी० एस० सैनी, वैज्ञानिक का सुझाव था कि राजभाषा अनुभाग द्वारा जो भी परिपत्र/सूचना आदि जारी की जाती हैं वह ई-मेल के माध्यम से भी सभी संबंधितों को परिचालित की जानी चाहिएं।

डॉ० दिनेश चमोला, सदस्य सचिव ने प्रमुख, ई एस डी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि संस्थान में उपलब्ध सभी नाम-पट्टों/साइनबोर्डों के द्विभाषीकरण हेतु एक सूची पूर्व में ई एस डी को भिजवाई थी जिस पर कुछ किये गये कार्य के अतिरिक्त अभी और कार्य किया जाना शेष है। ❑

कार्यशालाएं

केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन सैक्टर-30, चण्डीगढ़

संगठन में दिनांक 29-30 अप्रैल, 2003 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, चण्डीगढ़ के तत्त्वावधान में दो अर्ध-दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में संगठन के प्रशासनिक स्टाफ सहित चण्डीगढ़ में स्थित केन्द्र सरकार के 10 से भी अधिक कार्यालयों से लगभग 60 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

दिनांक 29 अप्रैल, 2003 को प्रारम्भ हुई कार्यशाला का उद्घाटन हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक, हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार एवं पत्रकार डॉ० चन्द्र त्रिखा ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में डॉ० त्रिखा ने समस्त प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि मैं समझता हूँ कि इस कार्यशाला में भाग लेने वाले समस्त प्रतिभागियों को हिंदी में कार्य करने का अच्छा ज्ञान है। केवल राजभाषा व राष्ट्र भाषा के प्रति प्रतिबद्धता की कमी के कारण हम गत अनेक वर्षों से इस दिशा में प्रयासरत होते हुए भी सभी संकल्पों व घोषणाओं के बावजूद अपने लिए अपनी भाषा में बात करने की सामर्थ्य नहीं जुटा पा रहे हैं। इस अवसर पर संगठन निदेशक डॉ० आर० पी० बाजपेयी ने नगर के विभिन्न कार्यालयों से उपस्थित प्रतिभागियों का आह्वान किया कि वे अपना अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करें, क्योंकि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है, जो देश के समस्त भागों में प्रयोग में लाई जाती है। इस अवसर पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, चण्डीगढ़ के सदस्य-सचिव श्री सुरेन्द्र शर्मा भी उपस्थित थे।

कार्यशाला के कुल 4 सत्रों में हिंदी वर्तनी, राजभाषा नीति, टिप्पण लेखन तथा हिंदी में प्रारूपण व पत्र लेखन पर व्याख्यान आयोजित कर सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न किया गया। प्रत्येक व्याख्याता ने अपने व्याख्यान के अन्त में प्रतिभागियों के विचार जाने और उनकी हर प्रकार की कठिनाई को दूर करने का प्रयत्न किया गया।

कार्यशाला का समापन इण्डो-स्विस प्रशिक्षण केन्द्र के प्रधानाचार्य श्री एच० एस० गुप्ता के संबोधन से हुआ तथा उन्होंने प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र भी वितरित किए। श्री गुप्ता ने प्रतिभागियों को इस कार्यशाला से अर्जित जानकारी का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि इस प्रकार की कार्यशालाएं संगठन में नियमित रूप से आयोजित की जाती रहेंगी।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, दक्षिणी क्षेत्र का कालीकट हवाई अड्डा

प्रशिक्षण मानव संसाधन विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रशिक्षण के माध्यम से अधिकारियों/कर्मचारियों के ज्ञान में वृद्धि, उनके दिन-प्रतिदिन कामकाज के विभिन्न पहलुओं की अद्यतन जानकारी तथा उनकी कार्यक्षमताओं का विकास करने का प्रयास किया जाता है। इसी तरह का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय के तत्वावधान में कालीकट हवाई अड्डा कार्यालय में दि. 8-4-2003 से 9-4-2003 तक कराया गया।

हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन दक्षिणी क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक श्री. सुजनकुमार सरस्वती द्वारा किया गया। श्री पी. श्रीनिवासन, उपमहाप्रबंधक (का. एवं प्रशा.) क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई द्वारा उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की गई। इस दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला में भारत सरकार की राजभाषा नीति, संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन, वार्षिक कार्यक्रम आदि विषयों पर व्याख्यान एवं परिचर्चा सुनियोजित की गई। श्री सुब्बाराव, विमानपत्तन निदेशक, कालीकट एवं हिन्दी अनुभाग के कार्मिकों द्वारा कार्यशाला की सुव्यवस्था की गई।

सेल शाखा विक्रय कार्यालय, बोकारो

श्री ए० डी० शर्मन, विक्रय आवासी प्रबंधक की अध्यक्षता में शाखा विक्रय कार्यालय बोकारो में दिनांक 19-05-2003 को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया

जिसमें 15 कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में श्री बिपिन बिहारी श्रीवास्तव, उप मुख्य (सं० एवं प्र०), राजभाषा-विभाग, बोकारो इस्पात संयंत्र उपस्थित थे। सर्वप्रथम श्री रजी अनवर, शा०प्र० ने मुख्य वक्ता, उपस्थित अधिकारियों एवं प्रतिभागियों को इस कार्यशाला में सम्मिलित होने के लिए स्वागत किया। श्री रणजी अनवर ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि पूर्व में भी इस कार्यालय में आयोजित कार्यशालाओं में प्रशिक्षित कर्मचारियों ने कार्यशाला में प्राप्त जानकारी का भरपूर लाभ उठाया है और मैं आप सबसे भी यही आशा करता हूँ कि आप भी यहाँ प्राप्त हुई जानकारी का लाभ उठाएंगे।

श्री ए०डी० शर्मन, विक्रय आवासीय प्रबंधक ने कार्यशाला का विधिवत् उद्घाटन किया। श्री शर्मन ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि "हमारा कार्यालय "क" क्षेत्र में है। "क" क्षेत्र का अर्थ है हिंदी भाषी क्षेत्र, अतः हम सभी का कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने सरकारी कामकाज संघ की राजभाषा हिंदी में ही करें।" उन्होंने सभी कर्मचारियों को अधिक से अधिक हिंदी में काम करने पर बल दिया। श्री शर्मन ने बताया कि एस०आर०एम० कार्यालय में एम०पी० वगैरह हिंदी में बनाए जा रहे हैं। उन्होंने शाखा विक्रय कार्यालय द्वारा हिंदी में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। श्री बिपिन बिहारी श्रीवास्तव, उप मुख्य (सं० एवं प्र०), राजभाषा विभाग, बोकारो इस्पात संयंत्र ने मुख्य अतिथि के रूप में भाषण देते हुए कहा कि हमें अपना सरकारी कामकाज सरल हिंदी और बोलचाल की भाषा में करना चाहिए। उन्होंने राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के प्रयोग पर बल देते हुए कहा कि इसके अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज़ द्विभाषी जारी होने चाहिए। उन्होंने इसके अंतर्गत आने वाले 14 प्रकार के दस्तावेजों की विस्तृत चर्चा की। श्री श्रीवास्तव ने राजभाषा अधिनियम 1963 की विस्तृत जानकारी दी उन्होंने कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये कार्यशालायें उन व्यक्तियों के लिए हैं जिन्हें हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है किन्तु जिन्हें हिंदी में कार्य करने में झिझक महसूस होती रही है। उन्होंने कहा कि इन कार्यशालाओं का उद्देश्य उस झिझक को मिटाना है तथा कर्मचारियों में यह आत्म विश्वास उत्पन्न करना है कि उन्हें इस समय हिंदी का जितना ज्ञान है उसके आधार पर भी वे अपना काम हिंदी में बखूबी कर सकते है।

श्री एम०सी० मजुमदार, प्रबंधक (वित्त) ने अपने समापन भाषण में कहा कि वित्त एवं लेखा विभाग में अधिकांश काम हिंदी में हो रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदी में चेक भी बनाया जा रहा है।

कार्यशाला संचालन का समस्त कार्य श्री आनन्दी सिंह व०का०अ० (हिंदी) ने किया। श्री आनन्दी सिंह ने अध्यक्ष एवं मुख्य अतिथि को कार्यशाला के आयोजन के लिए धन्यवाद दिया।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् मुख्यालय कृषि भवन, नई दिल्ली

परिषद् मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रति सजग बनाने तथा उन्हें सरकारी कामकाज में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए प्रेरित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् मुख्यालय में कार्यरत उपसचिवों, अवर सचिवों, वित्त एवं लेखा अधिकारियों एवं समकक्ष प्रशासनिक अधिकारियों के लिए दो हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य प्रयोजन इन वरिष्ठ अधिकारियों को हिंदी में कार्य करने की जिम्मेदारी का अनुसरण कराना था जिससे वे अपने अधीनस्थ कार्यरत अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों को भी प्रेरित कर सकें। उक्त कार्यशाला में कृषि भवन एवं कृषि अनुसंधान भवन में कार्यरत वरिष्ठ अधिकारियों में से कुल 17 अधिकारियों ने भाग लिया।

दिनांक 21-4-2003 तथा दिनांक 22-4-2003 को क्रमशः कृषि भवन व पूसा स्थित कृषि अनुसंधान भवन 1 और 2 में कार्यरत वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आयोजित हिंदी कार्यशाला में रेल मंत्रालय के पूर्व निदेशक (रा०भा०) डॉ० महेश चन्द्र गुप्त ने अपने सारगर्भित व्याख्यानों में सरकार की राजभाषा नीति की विस्तृत व्याख्या की एवं राजभाषा अधिनियम, नियम व आदेशों के कार्यान्वयन की अनिवार्यता तथा महत्ता पर प्रकाश डाला। इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलते हुए डॉ० गुप्त ने हिंदी में कार्य करने हेतु ध्यान देने योग्य कुछ विशेष तथ्य भी समझाए। प्रतिभागियों से पारस्परिक संवाद और उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के भी डॉ० गुप्त ने सटीक उत्तर दिए और हिंदी कार्य में आने वाली समस्याओं का समाधान बताया।

उपरोक्त दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला में वरिष्ठ अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर प्रतिभागियों को कुछ आवश्यक संदर्भ साहित्य व नियमावली भी वितरित की गई। अतिथि व्याख्याता को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त कार्यशालाएं सम्पन्न हुई।

आकाशवाणी पणजी :

आकाशवाणी पणजी में 21 से 23 अप्रैल, 2003 तक त्रिदिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन केन्द्र निदेशक श्री बी०डी० मजुमदार ने किया। कार्यशाला के मुख्य अतिथि थे भारत सरकार, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय मुंबई के उपनिदेशक राजभाषा श्री शिवानंद धुत्रे तथा विशिष्ट अतिथि थे नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति उत्तर गोवा के सचिव डॉ० उमेश कुमार सिंह। समारोह की अध्यक्षता केन्द्र निदेशक श्री बी०डी० मजुमदार ने की। श्री वेणिमाधव बोरकार सहायक केन्द्र निदेशक ने अपने संबोधन में कहा—"भाषा का विकास उसके प्रयोग से होता है। हमें इस बात पर गर्व है कि हम प्रसारण में हिंदी के प्रयोग के साथ कार्यालय में संपर्क भाषा के रुप में हिंदी को अपनाए हैं"।

"राजभाषा के रूप में आकाशवाणी पणजी में हिंदी का प्रयोग प्रशंसनीय है, जनभाषा हिंदी को अपनाकर राजभाषा हिंदी के रूप में उत्कृष्ट कार्य करते हुए आकाशवाणी पणजी बरसों से भारत सरकार राजभाषा विभाग द्वारा सम्मानित होता रहा है" ये उद्‌गार थे आकाशवाणी पणजी के केन्द्र अभियंता श्री दीपक जोशी के। अपने अध्यक्षीय उद्‌बोधन में केन्द्र निदेशक श्री बी०डी० मजुमदार ने कहा कि प्रेरणा और प्रोत्साहन के द्वारा हम भारत सरकार की राजभाषा नीति का क्रियान्वयन कर रहे हैं।

वर्ष में तीन बार त्रिदिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन, तीन बार हिन्दी-कोंकणी-मराठी में विविधा कार्यक्रम आदि के आयोजन से प्रेरणा मिलती है जबकि हिंदी पखवाड़े की प्रतियोगिताओं और स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रध्वज तले हिन्दी टिप्पण आलेखन प्रोत्साहन योजना के पुरस्कार प्रदान किए जाने से प्रोत्साहन मिलता है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति उत्तर गोवा के सचिव डॉ. उमेश कुमार सिंह ने जनभाषा हिंदी विषय पर व्याख्यान करते हुए कहा कि जनभाषा हिंदी से हमारी सामासिक संस्कृति का परिचय मिलता है। जो हिंदी हम प्रयोग करते हैं उसे सहज होना चाहिए तथा उसमें आत्मीयता होनी चाहिए। जनभाषा हिंदी को वर्तनी आदि व्याकरण के नियमों में अधिक जकड़ना ठीक नहीं। दूसरी भाषाओं से शब्द ग्रहण कर, उनका प्रयोग कर हिंदी को और भी सहज बनाकर जनभाषा के साथ राजभाषा के रूप में अच्छी तरह अपनाया जा सकता है। डॉ. सिंह ने राष्ट्रीय एकता के लिए विभिन्न भाषा-भाषी मध्यकालीन संत कवियों द्वारा की गई हिंदी में भक्ति और नीति-परक रचनाओं पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि श्री शिवानंद धुत्रे उपनिदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग, भारत सरकार, मुंबई ने भारत सरकार की राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा संकल्प, राजभाषा नियम आदि की सुंदर व्याख्या की। अपने संशोधन में उन्होंने राष्ट्रपति के आदेश, राजभाषा आयोग का गठन, संसदीय राजभाषा समिति, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम आदि विषयों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र की पहचान राष्ट्रध्वज, राष्ट्रभाषा (राजभाषा) और राष्ट्रगान से होती है। आजादी के लिए संघर्ष के दौरान हमारी संपर्क भाषा राष्ट्रभाषा हिंदी रही है और स्वतंत्रता के बाद इसे संविधान सभा ने राजभाषा हिंदी के रुप में अपनाया। हिंदी के बढ़ते हुए व्यावसायिक प्रयोग का उदाहरण रखते हुए उन्होंने आह्‌वान किया राजभाषा हिंदी को सांविधानिक प्रावधानों के अनुरुप अपनाने के लिए इच्छाशक्ति और मानसिकता चाहिए।

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) I व महालेखाकार (लेखा परीक्षा) II राज., जयपुर

दिनांक 13-02-2003 से 14-02-2003 तक (2 अर्द्ध दिवसीय) पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें दोनों कार्यालयों के रिपोर्ट अनुभाग, प्रशासन, निर्माण, परियोजना, आई० सी० II, आई० सी० I, एस० आर० ए०, सी० आर० ए०, सी० ए० डब्ल्यू, समूहों के 21 स० ले० प० अ०/अ० अ०/पर्यवेक्षक/वरि० लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षक ने भाग लिया।

दिनांक 13-02-2003 एवं 14-02-2003 को पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को राजभाषा नीति के कार्यान्वयन, वर्ष 2002-2003 के वार्षिक कार्यक्रम, हिंदी टिप्पण, प्रारूप लेखन तथा हिंदी टंकण/आशुलिपि/कम्प्यूटर प्रशिक्षण के बारे में जानकारी, हिंदी तिमाही में सही ढंग से आंकड़े भरने, कार्यालय आदेश, अधिसूचनाएं, करार, निविदा, हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करते समय भावार्थ लाने का प्रयास करने, राजभाषा का प्रयोग करते समय हिंदी व्याकरण के प्रमुख पहलुओं का ध्यान रखने के बारे में जानकारी दी गई।

पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के समापन पर श्री एच० एल० कुसुमाकर, कल्याण अधिकारी ने अपने संदेश में कहा कि प्रशिक्षण के दौरान आपने जो बातें सीखी है उनको कार्यालयीन कार्यों में काम में लेवें तब ही यह प्रशिक्षण सार्थक होगा। कार्यक्रम में प्रशिक्षणार्थियों के उत्साहपूर्वक भाग लेने पर कल्याण अधिकारी ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की तथा प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए।

वाप्कोस

जल संसाधन मंत्रालय व राजभाषा विभाग के निर्देशानुसार वाप्कोस में प्रत्येक तिमाही में एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में दिनांक 13-3-2003 को वाप्कोस के गुड़गांव स्थित कार्यालय परिसर में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें अधिकतर तकनीकी स्कन्धों के कार्मिकों ने भाग लिया।

इस हिंदी कार्यशाला का उद्‌घाटन श्री रमेश निचानी, महा प्रबन्धक (वित्त) द्वारा किया गया। इस हिन्दी कार्यशाला में राजभाषा के रूप में हिंदी की संवैधानिक स्थिति संबंधी जानकारी तथा हिंदी में कार्य करने के लिये अनुभवों एवं अभिरूचि आदि पर जल संसाधन मंत्रालय से उपस्थित श्रीमती राजकुमारी देव, उप निदेशक (रा०भा०) ने तथा श्री आर०आर० बंसल, प्रबंधक (राजभाषा कार्यान्वयन) ने हिंदी में नोटिंग व ड्राफ्टिंग के संबंध में व्यावहारिक पहलू की दृष्टि पर कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को व्याख्यान दिए ताकि इन अधिकारियों/कर्मचारियों की कार्यालय में हिंदी में काम करने की झिझक दूर हो सके तथा कम्पनी में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को अधिक बढ़ावा मिल सके।

उत्तर क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड 18-ए, शहीद जीत सिंह मार्ग, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016.

उत्तर क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड कार्यालय द्वारा उत्तर क्षेत्रीय बोर्ड कार्यालय परिसर में एन० आर० ई० बी० व के०वि०प्रा० के स्थित कार्यालयों के कार्मिकों के लिए हिंदी पत्राचार में आने वाली कठिनाइयों को कम करके हिंदी पत्राचार बढ़ाने के उद्देश्य से मासिक व द्विमासिक आधार पर नियमित रूप से अल्प दिवसीय कार्यशालाओं की शृंखला की प्रथम अर्ध-दिवसीय कार्यशाला का उद्‌घाटन श्री एच०एल० बजाज, अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा दिनांक 25-4-2003 को दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने यह बताया कि राजभाषा में कार्य करना माननीय राष्ट्रपति जी के आदेश के साथ राष्ट्र निर्माण का कार्य भी है।

समारोह के मुख्य अतिथि श्री एम०एल० गुप्ता, संयुक्त सचिव (राजभाषा), गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग ने अपने उद्‌घाटन भाषण के दौरान एन०आर०ई०बी० द्वारा हिंदी प्रचार प्रसार में किए जा रहे कार्यों की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई। श्री संतोष कुमार, सदस्य (ग्रिड प्रचालन व वितरण), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने एन०आर०ई०बी० द्वारा राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस कार्यालय द्वारा प्रकाशित विभिन्न प्रकार की रिपोर्टों के डाटा के मूल प्रकार से होने के कारण इसमें द्विभाषी रूप में प्रकाशन कार्य करने के लिए काफी अधिक परिश्रम करना होता है, अतः इस प्रकार की रिपोर्ट के प्रकाशन के कार्य को गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। श्री एन०सी० गोयल, सदस्य सचिव, एन०आर०ई०बी० ने कार्यालय द्वारा समाप्त वित्तीय वर्ष में राजभाषा में किए जा रहे कार्यों की मुख्य उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए सूचित किया कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त तिमाही में एन०आर०ई०बी० के हिंदी पत्राचार की प्रतिशतता 93.16% तक पहुँच गई है। उक्त कार्यशाला में व्याख्यान देने के लिए श्री दयाशंकर पाण्डेय, सहायक अभियंता (राजभाषा), केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो को आमंत्रित किया गया था।

केन्द्रीय जालमा कुष्ठ रोग संस्थान, ताजगंज, आगरा

केन्द्रीय जालमा कुष्ठ रोग संस्थान में हिंदी कार्यशाला वैज्ञानिक फोरम के लिए आयोजित की गयी थी। जिसका शुभारम्भ करने के बाद गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के उप संपादक श्री सुरेन्द्र लाल मल्होत्रा ने कहा कि वैज्ञानिक शब्दावली आयोग ने सभी विषयों की शब्दावली हिंदी में तैयार कर ली है। जो वैज्ञानिकों को हिंदी माध्यम से मौलिक लेख लिखने में सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने जानकारी दी कि राजभाषा विभाग द्वारा वैज्ञानिकों को हिंदी लेखन के लिये पुरस्कृत किया जाता है।

संस्थान के निदेशक डॉ. वी०एम० कटोच ने भी प्रसन्नता व्यक्त की कि हिंदी का विज्ञान में शामिल होना आवश्यक है। क्योंकि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है, जो फील्ड तैयार करती है। अंग्रेजी जिन छात्रों के लिए दिक्कत पैदा करती है, उन्हें काफी राहत महसूस होगी।

उन्होंने कहा कि टैक्नीकल शब्दों के साथ अनावश्यक बदलाव करने के बजाय उन्हें देवनागरी लिपि में ही लिखा जाये। हिंदी में लेखों के द्वारा संस्थान का प्रभाव सभी जगह परिलक्षित होगा। उन्होंने कहा कि हिंदी जोड़ने की भाषा है। कार्यक्रम का संचालन हिंदी अधिकारी डा. मधु भारद्वाज ने किया।

अतिथियों ने संस्थान की डीएनए चिप व एड्स प्रयोगशालाओं का निरीक्षण भी किया। हिंदी कार्यशाला में सहयोग राजेश शर्मा, अजय सोलंकी, आर०के० सक्सेना, राम भरोसी, सियाराम तिवारी आदि ने किया।

पूर्वी भण्डार प्रभाग (ग्रेफ) द्वारा 99 सेना डाकघर

पूर्वी भण्डार प्रभाग (ग्रेफ) में दिनांक 24 जून, 2003 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्री वाई० पी० मिश्रा, अधि. अभि. (वि० व यो०), स्था. कमान अधिकारी ने की। उन्होंने अपने अभिवादन भाषण में कहा कि कार्यशाला का आयोजन कर्मचारियों की हिंदी में काम करने की झिझकता को दूर करना होता है। इस कार्यशाला में हिंदी रूपी गाड़ी को नया जीवन देने का कार्य किया जाता है। उन्होंने कर्मचारियों से आहवान करते हुए कहा कि कार्यशाला के अन्तर्गत सरकारी काम-काज में प्रयोग की जाने वाली नोटिंग/ड्राफ्टिंग, राजभाषा नीति, सामान्य पत्राचार, अर्द्ध सरकारी पत्र सम्बन्धी विषय रखे गये हैं, जिससे काफी कर्मचारियों को कार्यालय में हिंदी में काम करने की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने सभी उपस्थित कर्मचारियों से अनुरोध किया कि कार्यालय में टिप्पणियाँ, आवरण पत्रों को अनिवार्य रूप से हिंदी में ही प्रयोग किया जाए तो अवश्य ही हम राजभाषा विभाग द्वारा दिये गये लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कार्यशाला में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 15 प्रतिभागियों से 55 प्रतिशत कार्य हिंदी में करने हेतु आशा व्यक्त की और कार्यालय में सरल से सरल हिंदी भाषा के प्रयोग पर बल दिया।

सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय, नई दिल्ली

दिनांक 19 मई, 2003 से 26 मई, 2003 तक पाँच कार्यदिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में एक अधिकारी व 26 कार्मिकों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में व्याख्याताओं ने संघ की राजभाषा नीति, हिंदी नोटिंग-ड्राफ्टिंग, वर्तनी, पत्राचार के विभिन्न स्वरूप, तिमाही प्रगति रिपोर्ट भरना व कम्प्यूटर के बारे में जानकारी दी। इस कार्यशाला का समापन श्री बी.एस. राणा, अपर उप महानिरीक्षक (कल्याण) ने किया। अपने समापन भाषण में श्री राणा ने प्रतिभागियों से अपना सारा काम हिंदी में करने का अनुरोध किया। उन्होंने इस कार्यशाला की भूरि-भूरि प्रशंसा की। इस कार्यशाला के दौरान एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा भी ली गई, जिसमें निम्नलिखित कार्मिक प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे और उन्होंने क्रमशः 200/-, 150/- व 100/- रु. का नकद पुरस्कार प्राप्त किया: —

1. निरीक्षक/आर्क असिस्टेंट सुनील गोसाईं, इंजीनियरी शाखा — प्रथम
2. ए. एस.आई./लिपिक जगबीर सिंह डबास प्रशा-2 — प्रथम
3. ए.एस.आई./लिपिक श्री के. मेधी, वायु खण्ड — द्वितीय
4. हैड कांस्टेबल/लिपिक सुश्री रेणु नेगी, प्रशा-3 — द्वितीय
5. श्री हरजिन्द्र कुमार, सहायक कमांडेंट, विशेष यंत्र कार्यशाला — तृतीय
6. हैड कांस्टेबल ब्रह्म सिंह, विशेष यंत्र कार्यशाला — तृतीय

केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्) पिलानी (राज.)

संस्थान के **स्वर्ण जयंती वर्ष** कार्यक्रमों के क्रम में केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, पिलानी में 12-13 मई, 2003 को दो दिवसीय **प्रशासनिक हिंदी कार्यशाला** का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य सहकर्मियों को परिषद् के विभिन्न नियमों-विनियमों तथा राजभाषा नीति की जानकारी देना था। इस कार्यशाला में संस्थान के विभिन्न प्रशासनिक अनुभागों में कार्यरत सहकर्मियों ने भाग लिया। इस अवसर पर केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली के निदेशक **डॉ. विचार दास, मुख्य अतिथि थे।** इस दो दिवसीस प्रशासनिक हिंदी कार्यशाला में विभिन्न विषयों पर व्याख्यान देने के लिए मुख्य अतिथि के अतिरिक्त परिषद् मुंख्यालय के वक्ताओं को भी आमंत्रित किया गया

कार्यशाला का उद्घाटन संस्थान के **निदेशक डॉ. शमीम अहमद** ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि इन कार्यशालाओं का उद्देश्य सहकर्मियों को उनके दैनिक कामकाज में गुणवत्ता एवं कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना है अत: सहकर्मियों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे सभी सत्रों में उपस्थित रह कर वक्ताओं द्वारा बताई जाने वाली बातों को ध्यानपूर्वक सुनें। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में लिखी गई रोचक तथा उपयोगी पुस्तकों का हिंदी अनुवाद किया जाए ताकि इसका लाभ आम जनता तक पहुँच सके। आवश्यकता इस बात की है कि लोगों के पढ़ने लायक हिंदी में लिखा जाए।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस कार्यशाला के बाद संस्थान के प्रशासनिक सहकर्मियों की हिंदी में लेखन क्षमता बढ़ेगी, लेखन में होने वाली अशुद्धियाँ कम होंगी तथा उनके द्वारा लिखी जाने वाली टिप्पणियों और प्रारूपों की गुणवत्ता में सुधार होगा।

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र 'ए' ब्लॉक, केन्द्रीय कार्यालय परिसर, लोदी रोड, नई दिल्ली

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र मुख्यालय में दिनांक 23-27 जून, 2003 तक इस बार वैज्ञानिक व तकनीकी स्टाफ के पदाधिकारियों (वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषकों व उनके नीचे के स्तर के स्टाफ) हेतु पांच कार्य-दिवसीय "हिंदी कार्यशाला" का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में 49 प्रतिभागियों ने भाग लिया। श्री अशोक कुमार चोपड़ा ने सभी का स्वागत करते हुए आशा व्यक्त की कि यह कार्यशाला राजभाषा हिंदी में कामकाज करने में आ रही कठिनाइयों और संकोच को दूर करने में बहुत हद तक उपयोगी सिद्ध होगी। उन्होंने अपनी बेबाक टिप्पणी में कहा कि हिंदी में काम करना हमारा सांविधिक दायित्व है, जिसका निर्वाह हर हालत में हमें करना चाहिए। इसके लिए वातावरण बनाने की जरूरत होती है और यह करना व्यक्ति की मानसिकता पर निर्भर करता है। उन्होंने अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा कि हिंदी में कार्य-व्यापार करना कोई असंभव कार्य नहीं है बल्कि इसमें अभ्यास की जरूरत पड़ती है। अभ्यास से यह काफी सरलतापूर्वक किया जा सकता है।

23 से 27 जून तक आयोजित की गयी इस विशेष कार्यशाला के पाँचों दिन के विषयों को इस प्रकार से तैयार किया गया था कि उपर्युक्त तकनीकी पदाधिकारियों के कार्यक्षेत्र में संपन्न की जा रही तकनीकी अपेक्षाओं और अन्य संबद्ध वैज्ञानिक गतिविधियों को राजभाषा हिंदी के माध्यम से कार्यान्वित किया जा सके। पाँच कार्य-दिवसीय कार्यशाला के विषयों में जहाँ उनके तकनीकी पक्ष को हिंदी माध्यम से अंजाम देने पर विशेष ध्यान दिया गया था वहीं प्रशासनिक विषयों में देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, मानक स्वरूप और मानक वर्तनी तथा पत्राचार के विविध प्रारूप और हिंदी साहित्य को भी उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया।

उपर्युक्त कार्य हेतु पाँचों दिनों में अलग-अलग व्याख्याताओं को आमंत्रित कर तकनीकी अधिकारियों के समक्ष निर्धारित विषयों के सिद्धान्त व व्यावहारिक पक्ष को बहुत तर्कसंगत ढंग से प्रस्तुत किया गया। हिंदी में कम्प्यूटरों

पर कैसे काम किया जाये—इसके लिए अलग से एक विषय निर्धारित किया गया था, जिस पर तकनीकी जानकारी हासिल करके उपर्युक्त वैज्ञानिक व तकनीकी अधिकारियों ने अपने ज्ञान एवं सूचना को अद्यतन किया। रा सूवि केन्द्र में प्रयुक्त होने वाली मानकीकृत शब्दावली पर अलग से अंतिम दिन चर्चा की गयी, जिसमें प्रतिभागियों ने बढ़-चढ़ कर रूचि ली। इस प्रकार कम्प्यूटर वैज्ञानिकों के लिए इस पांच कार्य-दिवसीय कार्यशाला का समापन करते हुए वरिष्ठ हिंदी अधिकारी ने कहा कि सभी पदाधिकारियों को अपने काम-काज में राजभाषा नीति का अनुपालन इस ढंग से करना है कि वे अपने कार्य क्षेत्र में राजभाषा हिंदी में कार्य करते हुए दूसरों के लिए अनुकरणीय आदर्श बने, तभी इस कार्यशाला की उपयोगिता सिद्ध होगी।

इस कार्यशाला के सफल परिणामों को देखते हुए शेष बचे तकनीकी स्टाफ को निकट भविष्य में ही अगली कार्यशाला में नामित किये जाने का भी प्रस्ताव आया, जिस पर शीघ्र ही अनुपालन किया जायेगा।

नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड बनीखेत, जिला-चम्बा

कार्यालय कार्यपालक निदेशक क्षेत्र-2, बनीखेत में दिनांक 21-04-03 से 26-04-03 तक पाँच दिवसीय विशेष हिंदी कार्यशाला का आयोजन सद्भावपूर्ण वातावरण में किया गया। इस आयोजन में व्याख्याता के रूप में श्रीदेवव्रत सिंह, सचिव, बिहार राज्य हिंदी साहित्य परिषद को आमंत्रित किया गया था।

इस कार्यशाला का उद्घाटन दिनांक 21-04-03 को मुख्य अतिथि श्री ए.के. सचदेवा, कार्यपालक निदेशक, क्षेत्र-2 व अतिथि व्याख्याता श्री देवव्रत सिंह द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया गया। उद्घाटन अवसर पर श्री ए.के. सचदेवा कार्यपालक निदेशक क्षेत्र-2 ने सम्बोधित करते हुए कहा कि हमारा कार्यालय 'क' क्षेत्र में है और हमें मालूम है कि हमारे अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी का अच्छा ज्ञान है। वे बहुत अच्छी तरह से हिंदी बोलते हैं और समझते हैं, केवल हिंदी में लिखने का अभ्यास न होने के कारण उन्हें असुविधा होती है। उनके लिखने की आदत डालने के लिए अभ्यास हेतु यह विशेष हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई है।.इसके माध्यम से राजभाषा की प्रगति के लिए निर्धारित लक्ष्य तक पहुँचने में सभी का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो सके।

आगे उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला में न केवल राजभाषा में कामकाज के सरलतम उपाय बतलाये जायेंगे बल्कि अन्य क्षेत्रों से संबंधित विषयों पर पूर्ण जानकारी दी जायगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि यह कार्यशाला आप सभी के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगी और आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके राजभाषा संबंधी ज्ञान में काफी अभिवृद्धि हुई है। इस आयोजन से राजभाषा हिंदी में कार्य करने के प्रति जागरुकता तो आयेगी साथ ही साथ प्रेरणा का स्रोत भी बनेगी।

इसके उपरांत श्री देवव्रत सिंह, व्याख्याता व सचिव, बिहार राज्य हिंदी साहित्य परिषद ने सम्बोधित करते हुए कहा कि हमारा संविधान लागू हुए 53 वर्ष बीत गए फिर भी राजभाषा का जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। इसके विकास की गति बड़ी धीमी है। उसमें तेजी लाने की बड़ी जरूरत है। जब तक हम अपनी भाषा को नहीं अपनाएंगे तब तक न तो आपका विकास होगा और न तो देश का। क्योंकि देश के विकास में राजभाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब संकोच या झिझक करने की जरूरत नहीं है। केवल दृढ़ संकल्प और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है। आपको यह मालूम होगा कि इच्छा शक्ति के बल पर बड़े-बड़े काम सम्पादित हुए हैं। इससे आपकी पहचान बनेगी। सरकार बहुत सारी सुविधाएं दे रही है ताकि हिंदी का प्रचार-प्रसार व्यापक रूप से हो। आप निष्ठा के साथ अपना काम करें। जब तक संकल्प नहीं होगा तब तक कार्य आगे नहीं बढ़ेगा।

इससे पहले श्री आर०पी० सिंह, प्रमुख (का० व प्रशा०) ने मुख्य अतिथि श्री ए०के० सचदेवा, कार्यपालक निदेशक, क्षेत्र-2 व अतिथि व्याख्याता श्री देवव्रत सिंह, सचिव बिहार राज्य हिंदी साहित्य परिषद व अन्य उपस्थित अधिकारियों प्रतिभागियों का स्वागत किया और अपने भाषण में राजभाषा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के युग में एक भाषा की सबसे बड़ी जरूरत है, वह है हिंदी भाषा, जिसके माध्यम से विचारों का आदान-प्रदान सरलता से की जा सकेगी। यह कार्यशाला तो एक माध्यम है जिसके द्वारा राजभाषा में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक, बल्लारपुर क्षेत्र : सास्ती जि. चन्द्रपुर (महा.)

दिनांक 13-3-2003 एवं 14-3-2003 को दो दिवसीय राजभाषा कार्यशाला का आयोजन बल्लारपुर क्षेत्र, वेकोलि व्ही.टी.सी., सास्ती में किया गया।

इस कार्यशाला में लगभग 30 प्रतियोगियों ने भाग लिया। दिनांक 13-3-2003 को कार्यशाला का उद्घाटन श्री माननीय ए. पाल, स्टॉफ ऑफिसर (मायनिंग) द्वारा किया गया। जिसमें प्रतिभागियों को कार्यालयीन काम-काज में राजभाषा के उपयोग के संबंध में श्री सुबोध कुमार, क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी (खनन) श्री एम०के० सिंग, कार्मिक अधिकारी गोवरी ओपन.-1, एवं श्री एस०एन० शर्मा, कार्मिक अधिकारी, गोवरी ओपन 2 द्वारा मार्गदर्शन किया गया।

भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन, तमिलनाडु

परमाणु ऊर्जा विभाग, भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन, तमिलनाडु में दिनांक 23 एवं 24 जनवरी, 2003 को संयंत्र के 21 कर्मचारियों के लिए सत्ताईसवीं हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस शुभ अवसर पर उपस्थित गणमान्य विशेष पदाधिकारी श्री बी०एल० पाण्डेय, कार्यकारी निदेशक (प्रचालन), भारी पानी बोर्ड, मुंबई; संयंत्र के मुख्य महाप्रबंधक एवं तूतीकोरिन नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री तपन कुमार हालदार; उप महाप्रबंधक एवं अध्यक्ष—राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भापासंतू श्री एस० सुन्देरशन; प्रशासनिक अधिकारी श्री ए०के०वी० नायर; भुगतान व लेखा अधिकारी श्रीमती ए० पद्मावती; तूतीकोरिन पत्तन न्यास से संकाय-सदस्य के रूप में पधारे डॉ० के० जयकुमार, हिंदी अधिकारी; श्री एम० पद्मानाभन, हिंदी अध्यापक एवं श्रीमती डी. भाग्यवती, सदस्य—राजभाषा कार्यान्वयन समिति—भापासंतू इत्यादि लोगों का श्री नरसिंह राम, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने स्वागत किया।

इस हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन विशेष अतिथि श्री बी०एल० पाण्डेय के करकमलों द्वारा हुआ। उन्होंने कहा कि अन्य भारी पानी संयंत्रों के मुकाबले में यहाँ हिंदी का प्रयोग अधिक हो रहा है और इसका श्रेय श्री हालदार जी एवं उनके सभी सहयोगियों को जाता है। अगर भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन किसी भी प्रकार का प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करता है तो इससे भारी पानी बोर्ड का भी सम्मान बढ़ता है। उन्होंने कहा कि हिंदी को एक संपर्क भाषा के रूप में अपनाना चाहिए। अगर हम यहाँ से उत्तर भारत जाते हैं तो हिंदी जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। उन्होंने कहा कि हिंदी उत्तर भारत के मुकाबले में दक्षिण भारत में बहुत प्रचलित है। श्री पाण्डेय जी ने कर्मचारियों को उत्साहित करते हुए कहा कि राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन हेतु भारी पानी संयंत्रों को जितनी राशि की आवश्यकता होगी बोर्ड उसे प्रदान करेगा बशर्ते कि उस राशि का ठीक ढंग से सदुपयोग हो।

इस उद्घाटन सत्र के दौरान भापासंतू कर्मचारियों द्वारा हिंदी शिक्षण योजना की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर विशेष अतिथि द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किये गये। श्री पाण्डेय द्वारा समय-समय पर दिये गये सहयोग, मार्गदर्शन हेतु श्री हालदार जी ने हिंदी कक्ष की ओर से एक स्मरण चिन्ह प्रदान किया।

संकाय सदस्यों द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान दिये गये । दूसरे दिन सत्र के अंत में इस दो दिवसीय कार्यशाला में दिये गये व्याख्यान के आधार पर राजभाषा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सही जवाब देने वाले प्रतिभागियों को तत्काल टोकन पुरस्कार दिया गया। इस प्रतियोगिता में प्रतिभोगियों ने बढ़-चढ़कर उत्साहपूर्ण भाग लिया। प्रश्नोत्तरी मंच का संचालन श्रीमती श्यामलता कुमारी, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक एवं श्रीमती विद्याश्री, हिंदी टंकक ने किया। मुख्य महाप्रबंधक श्री हालदार ने संकाय सदस्यों को मानदेय एवं सभी प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किया। धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला का समापन हुआ।

प्रसार भारती
भारतीय प्रसारण निगम दूरदर्शन केन्द्र : नागपुर

दूरदर्शन केन्द्र, नागपुर में दि. 6 एवं 7 मार्च, 2003 को दो-दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। दि. 6 मार्च, 2003 को श्री सतीश साने, केन्द्र-निदेशक ने दीप प्रज्वलित कर पारंपरिक ढंग से कार्यशाला का उद्‌घाटन किया।

अपने संबोधन में उन्होंने उपस्थित स्टाफ से कार्यशाला का लाभ उठाने तथा अपने दैनंदिन कार्य में हिंदी को अपनाने की अपील की। केन्द्र अभियंता श्री एम०एस० थॉमस ने भी कर्मचारियों का मार्गदर्शन किया। तत्पश्चात् श्री एम०सी० घोंघे, वेतन एवं लेखा अधिकारी (दूरदर्शन) ने "लेखा संबंधी मामले तथा हिंदी में कार्य" विषयों पर व्याख्यान प्रस्तुत किया।

कार्यशाला के दूसरे दिन दि० 7 मार्च, 2003 को "संघ की राजभाषा नीति तथा हिंदी में टिप्पण एवं प्रारूप आलेखन" विषयों पर व्याख्यान रखा गया था जिसमें विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, नागपुर के डॉ आर० रमेश आर्य, सहायक निदेशक (रा०भा०) ने उपस्थित स्टाफ को प्रशिक्षण दिया। कार्यशाला का समापन श्री एम.एस. थॉमस केन्द्र अभियंता की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर श्री सी०एल० नंदनपवार, सहा. केन्द्र निदेशक तथा श्रीमती प्रतिभा पांडे, सहा० केन्द्र निदेशक भी उपस्थित थे जिन्होंने अपने उद्‌गार व्यक्त करते हुए कर्मचारियों का मार्गदर्शन किया।

केनरा बैंक अंचल कार्यालय, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

केनरा बैंक के कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय में दिनांक 16जून 2003 को बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, लखनऊ के तत्वाधान में सामूहिक हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में नगर के विभिन्न बैंकों के 22 अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का उद्‌घाटन लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रो० सूर्य प्रसाद दीक्षित ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रो० दीक्षित ने अपने वक्तव्य में हिंदी को व्यवसायिकता से जोड़ते हुए कहा कि प्रतिस्पर्धा के इस बढ़ते माहौल में जन की भाषा का प्रयोग करना अनिवार्य हो गया है ? बैंकिंग जैसी संस्थाओं के लिए यह अब और जरूरी हो गया है। उन्हें चाहिए कि जन भाषा के प्रति सजग होकर वे जनसंपर्क अभियान चलाएं और उनकी भाषा का प्रयोग करें। इसी से लाभप्रदता सिद्ध होती है।

कार्यशाला में अतिथि वक्ता के रूप में क्रिश्चियन डिग्री कॉलेज के हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रो० सुरेंद्र विक्रम भी सम्मिलित हुए। उन्होंने वर्तनी की अशुद्धियों पर सविस्तार प्रकाश डाला। कार्यशाला में आधुनिक बैंकिंग की नई गतिविधियों की जानकारी के साथ-साथ सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग की चुनौतियों एवं कंप्यूट्रीकरण के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों की जानकारी भी प्रतिभागियों को दी गई।

कार्यक्रम का संचालन डॉ० उपेंद्र नारायण सेवक पांडेय ने किया जबकि धन्यवाद ज्ञापन केनरा बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा श्री रमेश चंद ने दिया।

कार्पोरेशन बैंक, लखनऊ

कार्पोरेशन बैंक आचंलिक कार्यालय, लखनऊ द्वारा 18-19 जून 2003 को लिपिकों की एक हिंदी कार्यशाला आयोजित की गयी। जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित शाखाओं के लिपिकों ने भाग लिया।

कार्यशाला का उद्‌घाटन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के महाप्रबंधक (हिंदी) डॉ० देवेन्द्र नाथ त्रिवेदी ने दीप प्रज्जवलित कर किया। श्री त्रिवेदी ने कहा कि भारत में राजनीतिक कारणों से राजभाषा हिंदी का अपेक्षित कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है। आज देश में हिंदी की स्थिति राजनीतिक गुलामी जैसी है। राजनीतिक गुलामी से भाषाई आजादी बेहतर होती है। राजनीतिक बड़बोलापन से हिंदी का बड़ा नुकसान हुआ है और भाषाई धरातल पर हमारी भावना कुंठित हुई है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी के योगदान को रेखांकित करते हुए स्पष्ट किया कि आजादी का आंदोलन हिन्दी के बलबूते ही चला।

डॉ. त्रिवेदी ने इस बात पर चिंता प्रकट की कि आजादी के बाद हमारे देशवासियों में भाषाई स्वाभिमान कम हुआ है। उन्होंने खुलासा किया कि आज विश्व के 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी का पठन-पाठन हो रहा है। उन्होंने शिक्षा में हिंदी माध्यम की जोरदार सिफारिश की। डा० त्रिवेदी ने इस बात पर संतोष प्रकट किया कि संघ लोक सेवा आयोग की वरिष्ठ प्रशासनिक परीक्षाओं/साक्षत्कार में हिंदी माध्यम को लागू कर दिये जाने से अंग्रेजी का मिथक टूटा है। वह दिन दूर नहीं है जब संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को सातवीं भाषा का दर्जा मिल जाएगा।

कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए बैंक के सहायक महाप्रबंधक वी० के० अग्रवाल ने कहा कि हिंदी विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है क्योंकि यह जैसी बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है और जैसी लिखी जाती है वैसी ही बोली जाती है। श्री अग्रवाल ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि लार्ड मैकाले ने हमारे देश में एक ऐसी शिक्षा नीति लागू की, जिसने केवल बाबूओं की जमात पैदा की। अग्रेजी माध्यम से यह शिक्षा पद्धति लागू कर भारतीय भाषाओं के विकास को अवरुद्ध कर देने का यह एक षड्यंत्र था। हमारे देश में अंग्रेजी ने कानून की भाषा अंग्रेजी बनाकर निर्दोष भारतीयों को अपराधी शक्ति कर हमारे साथ भरपूर अन्याय किया। श्री अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि हिंदी केवल उत्तर भारतीयों की भाषा नहीं बल्कि पूरे भारत देश की भाषा है। उन्होंने डॉ० रांगेय राघव का उदाहरण देते हुए कहा कि तमिलभाषा होते हुए भी डॉ० राघव ने हिंदी में ढेर सारी पुस्तकें लिखी हैं। श्री अग्रवाल का विचार था कि हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए पर हिंदी को ही राष्ट्रीय स्तर पर महत्व देना चाहिए। क्योंकि भारतवर्ष में अंग्रेजी जानने वाले 3 प्रतिशत ही हैं। उनमें भी सही अंग्रेजी जानने वाले 1 प्रतिशत ही है।

संगणक केन्द्र सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अन्तर्गत राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुपालन में संगण्क केन्द्र में दिनांक 27-1-2003 से 31-1-2003 तक 5 दिन तक प्रत्येक दिन 2-2 घंटे के लिए हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें 12 अधिकारियों तथा 4 कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में हिंदी में टिप्पण और मसौदा लेखन के अलावा अन्य विभिन्न विषयों की जानकारी भी दी गई। कार्यशालाओं का आयोजन तथा प्रबंध संगणक केन्द्र के सहायक निदेशक (रा. भा.) श्री डी. डी. तिवारी द्वारा किया गया।

समापन सत्र (5वें) के दिन सहायक निदेशक (रा.भा.) द्वारा सभी प्रशिक्षणार्थियों से कार्यशालाओं के दौरान प्राप्त किए गए प्रशिक्षण के अनुभव के बारे में अपने-अपने विचार व्यक्त करने के लिए अनुरोध किया गया। श्री डी.पी. आर्य, उप निदेशक तथा सुश्री रश्मि शर्मा, सहायक निदेशक ने इस प्रशिक्षण का आयोजन करने के लिए हिंदी अनुभाग के सदस्यों की सराहना करते हुए आभार प्रकट किया और कहा कि उन्हें इस प्रशिक्षण से हिन्दी में काम करने की प्रेरणा मिलने के साथ ही भारत सरकार की राजभाषा नीति के संबंध में महत्वपूर्ण सांविधिक व्यवस्थाओं की जानकारी के अलावा अन्य विविध प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त हुई है और इससे वे काफी लाभान्वित हुए हैं। उसके बाद श्री विष्णु कुमार, उप महानिदेशक, संगणक केन्द्र द्वारा हिंदी कार्यशाला के समापन के अवसर पर प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र प्रदान कर और उन्हें संबोधित किया गया।

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ओडिशा, भुवनेश्वर

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ओडिशा, भुवनेश्वर में दिनांक 15-12-2002 से दिनांक 20-12-2002 तक 5 दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला में कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्‌घाटन करते हुए उपमहालेखाकार (प्रशासन) श्री अनन्त किशोर बेहेरा ने प्रतिभागियों को कार्यशाला में भाग लेकर इसका लाभ उठाने के लिए सलाह दी। कार्यशाला में प्रतिभागियों को भारत सरकार की राजभाषा नीति, अनुवाद तथा कार्यालय में हो रहे कार्य सम्बन्धी टिप्पण और प्रारूप लेखन पर प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला के समापन पर महालेखाकर श्रीमती अनीता पटनायक प्रतिभागियों के साथ उनकी अनुभूति पर चर्चा की और कार्यशाला में प्राप्त प्रशिक्षण ज्ञान को अधिक से अधिक कार्य में प्रयोग करने के लिए आग्रह किया। उसके बाद सभी प्रतिभागियों को उन्होंने प्रमाणपत्र वितरित किए।

विजया बैंक क्षेत्रीय कार्यालय विजयवाडा

प्रधान कार्यालय की पूर्व सूचना के अनुसार विजयवाडा क्षेत्राधीन स्थित शाखाओं/कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों को दिनांक 13 व 14 फरवरी, 2003 को उच्चस्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

कार्यशाला का उद्घाटन क्षेत्रीय कार्यशाला सहायक महाप्रबन्धक श्री ए. सतीय हेगडे ने दीप प्रज्वलन द्वारा किया। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में अधिकारियों को हिंदी कार्यान्वियन् के लिए अधिक रुचि दिखाने के लिए महामहिम अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा इस दिशा में व्यक्त की गई अभिलाषा को सूचित किया। बैंक के लक्ष्य इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड योजना के अंतर्गत प्रथम स्थान प्राप्त करना हैं और इस हेतु सभी कर्मचारी अधिकाधिक हिंदी का प्रयोग करते हुए अपना योगदान देने के लिए अनुरोध किया। उन्होंने बैंक के व्यापार तथा क्षेत्र के प्रगति का जिक्र करते हुए हिंदी कार्यशाला से लाभ प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों के योगदान की अपेक्षाओं को सबके सामने रखा।

राजभाषा प्रबन्धक श्री टी.जी. शेष शयन ने कार्यशाला के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। कार्यशाला दो दिन की थी।

कार्यशाला के समापन समारोह की अध्यक्षता क्षेत्रीय कार्यालय के वरिष्ठ प्रबन्धक श्री के.के. रामचन्द्रन ने की और सभी से अधिक रुचि लेते हुए हिंदी का कार्यान्वयन करने हेतु अनुरोध किया। तदुपरांत सभी सहभागियों को सहभागिता प्रमाण-पत्र वितरित किया गया। कार्यशाला में कुल 20 अधिकारियों ने उपस्थित रहे।

आयकर निदेशालय (पद्धति) ए आर ए सेन्टर, भू-तल, ई-2, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली

आयकर निदेशालय (पद्धति) में दिनांक 13-01-2003 से 17-01-2003 तक (प्रतिदिन 2 बजे से 3 बजे) अराजपत्रित कर्मचारियों के लिये हिंदी प्रशिक्षण कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। कार्यशाला में आयकर विभाग के व्याख्याताओं ने निम्नलिखित विषयों पर प्रशिक्षणार्थियों को अभ्यास कराया :—

1. संघ सरकार की राजभाषा नीति।
2. कम्प्यूटर तथा आयकर शब्दावली का अभ्यास।
3. विभिन्न प्रकार के पत्रादि हिंदी में लिखने का अभ्यास।
4. प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग; तथा
5. टिप्पणियां और मसौदे हिंदी में लिखने का अभ्यास।

उक्त हिंदी कार्यशाला के आयोजन से कर्मचारियों में सरकारी कार्य हिंदी में करने की झिझक दूर हुई है तथा हिंदी में कार्य करने के प्रति अनुकूल वातावरण उत्पन्न हुआ है।

दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी

राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के केंद्रीय पुस्तकालय में 10 एवं 11 मार्च, 2003 को दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसके दौरान लाइब्रेरी के कर्मचारियों की राजभाषा हिंदी से संबंधित कठिनाइयों एवं शंकाओं के निवारण हेतु टिप्पण-प्रारूपण पत्र-लेखन आदि विविध विषयों पर व्याख्यान आयोजित किए गए जिसमें कर्मचारियों ने बड़े उत्साह, परिश्रम एवं लगन से भाग लिया।

हिंदी कार्यशाला का उदघाटन दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के निदेशक डा. बनवारी लाल ने किया। उदघाटन अवसर पर बोलते हुए डा. लाल ने कहा कि हम सब के प्रयासों के बावजूद हिंदी को राजभाषा के रूप में उचित स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कार्यालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उनका आवाहन किया कि वे राजभाषा हिंदी को मन से स्वीकार कर सरकारी कामकाज अधिकाधिक हिंदी में ही करें ताकि राजभाषा हिंदी को उचित सम्मान व गौरव प्राप्त हो सके।

हिंदी कार्यशाला के समापन समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि श्री बृजमोहन शर्मा, सदस्य, दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड ने कार्यशाला के समस्त प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर प्रोत्साहित किया। हिंदी कार्यशाला का संचालन श्रीमती सुधा सक्सेना, हिंदी अधिकारी एवं श्री अनिल कुमार, हिंदी अनुवादक द्वारा किया गया।

दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लि० चेन्नै क्षेत्रीय कार्यालय स्पेन्सर टावर्स, 770-ए,अण्णा सालै, चेन्नै

मुफस्सिल मंडल कार्यालयों एवं शाखा कार्यालयों के हिंदी ज्ञान प्राप्त कार्मिकों के लिए वेल्लूर में दिनांक 7-2-03 को 9.30 बजे से होटल सुरभि इन्टरनेशनल, वेल्लूर में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला आयोजित किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन श्री सुब्बा रेड्डी, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, वेल्लूर एवं अध्यक्षता डॉ० एन चन्द्र बाबू, वरिष्ठ मंडल प्रबंधक वेल्लूर मंडल कार्यालय ने किया। उद्घाटन सत्र के बाद व्याख्यान सत्र में पहले डॉ० चन्द्र बाबू ने उपस्थित सभी कार्मिकों को अपना परिचय हिंदी में देकर एक या दो वाक्य हिंदी में भी बोलने का निवेदन किया। सभी प्रतिभागियों ने बडी रुचि के साथ अपना परिचय हिंदी में दिया एवं अपनी पसंद का हिंदी में एक दो वाक्य भी बोले। इसके बाद श्री धामोदरन, हिंदी प्राध्यापक, हिंदी शिक्षा योजना, वेल्लूर ने हिंदी व्याकरण एवं टिप्पण लेखन पर, राजभाषा कार्यान्वयन कैसे करें, सघ की राजभाषा नीति और हमारा उत्तरदायित्व पर श्री ईश्वर चन्द्र झा, हिंदी अधिकारी एवं हिंदी टिप्पण लेखन, पत्र लेखन पर श्रीमति कला कुमार ने व्याख्यान दिया। समापन सत्र में सभज्ञी मुफस्सिल मंडल कार्यालय एवं शाखा कार्यालय के प्रतिभागियों को हिंदी-अंग्रेजी शब्द कोश डॉ० चन्द्र बाबू द्वारा दिया गया। इस अवसर पर श्री षणमुगन, सहायक प्रबंधक, वेल्लूर मंडल कार्यालय ने यह आश्वासन दिया कि आगे भी ऐसे कार्यालय आयोजित करने में मुफस्सिल कार्यालयों का सहायोग जरूर होगा। उन्होंने कहा ऐसी कार्यशाला हमें हर तिमाही में आयोजित करनी चाहिए। कार्यशाला में कुल 22 प्रतिभागियों ने भाग लिया। श्री राजेश, हिन्दी संयोजक, आरणी शाखा के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला संपन्न हुई।

विजया बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, मंगलूर

विजया बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, मंगलूर के परिसर में दिनांक 5-3-2003 से 7-3-2003 तक लिपिक कर्मचारियों के लिए तीन दिवसीय सामान्य हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में कुल 19 कर्मचारियों ने भाग लिए। कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य प्रबंधक श्री के सदानन्द शेट्टी ने किया। अपने उद्घाटन वक्तव्य में उन्होंने कहा कि हिंदी को अपनाना है और बैंक के दैनंदिन काम में इसका प्रयोग करना है।

तीन दिन की कार्यशाला में राजभाषा के संवैधानिक प्रावधान, हिंदी व्याकरण, टिप्पण, नोटिंग,पत्राचार अनुवाद आदि विषयों पर चर्चा हुई। कार्यशाला को सुचारू रूप से चलाने हेतु कार्पोरेशन बैंक से श्री ओमप्रकाश बर्णवाल, श्रीमती बी एन शकुंतला, राजभाषा अधिकारी, केनरा बैंक से श्री एम पी० गोपालकृष्णन, वरिष्ठ, प्रबन्धक, श्रीमति शारदा घाटे, सेवा निवृत्त प्राध्यापिका, श्रीमति अनुराधा के. अनुवादक, कर्मचारी भविष्य निधि तथा श्री बैकाडि जनार्दन आचार, हिंदी अध्यापक, केनरा हाई स्कूल द्वारा संकाय सहायता प्राप्त हुई।

प्रतिभागियों को कार्यशाला में पत्राचार, व्याकरण, अनुवाद आदि संबंधी सत्र उपयोगी लगा। कार्यशाला के अंतिम दिवस पर एक लघु परीक्षा भी चलायी गयी। प्रतिक्रिया अच्छी रही। उसमें तीन विजेताओं को नकद पुरस्कार वरिष्ठ प्रबंधक श्री जगदीश भण्डारी, क्षे. का. मंगलूर ने वितरित किया।

समापन समारोह पर मुख्य प्रबंधक श्री के सदानंद शेट्टी ने प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र वितरित किया।

सबको हिंदी सीखनी चाहिए, इसके द्वारा भाव-विनिमय से सारे भारत को सुविधा होगी।

—चक्रवर्ती राजगोपालाचारी

विविध

आकाशवाणी पणजी (गोवा) में हिंदी में विविध कार्यक्रम

आकाशवाणी पणजी को राजभाषा हिंदी के उत्कृष्ट क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2001-2002 के लिए पश्चिम "ग" क्षेत्र के सदंर्भ में प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया है। निकट भविष्य में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में आकाशवाणी पणजी के केन्द निदेशक श्री बी. डी. मजुमदार को राजभाषा शील्ड (प्रथम पुरस्कार) प्रदान किया जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में आकाशवाणी परिवार के उत्साहवर्धन के लिए आकाशवाणी पणजी राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा 10 फरवरी 2003 को हिन्दी में "विविधा" कार्यक्रम आयोजित किया गया। आकाशवाणी पणजी के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा राजभाषा नीति के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए सराहना करते हुए केन्द्र निदेशक महोदय ने सभी को बधाई दी और आशा प्रकट की कि भविष्य में भी सभी अधिकारी और कर्मचारी समर्पित भाव से राजभाषा का क्रियान्वयन करते रहेंगे। विविधा कार्यक्रम के पूर्व नवदंपत्ति श्रीमती एवं श्री रुपेश च्यारी तकनीशियन को आकाशवाणी क्लब के अध्यक्ष श्री बी. डी. मजुमदार ने भेट देकर सम्मानित किया।

आकाशवाणी पणजी को वर्ष 2000 में अहमदाबाद में और वर्ष 2002 में मुंबई में अयोजित क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में राजभाषा शील्ड प्रथम पुरस्कार (पश्चिम ग क्षेत्र के लिए) मिलने और पुन: निकट भविष्य में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में मिले जाने वाली राजभाषा शील्ड (प्रथम पुरस्कार) के संदर्भ में सहायक केन्द्र निदेशक श्री अनिल श्रीवास्तव ने अपनी भावना को काव्य का रुप दिया—

सृष्टि का इतिहास, विजयी की कथा
अक्षर ने आकार लिया है
हमने स्वयं को साकार किया है
यह था हमारा इतिहास, यही वर्तमान
यही बनेगा भविष्य हमारा

समारोह का संचालन श्री खगेश्वर प्रसाद यादव हिंदी अधिकारी ने किया।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भविष्य निधि भवन, 14 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली

दिनांक 24-03-03 को 3.00 बजे अपराह्न मुख्यालय द्वारा प्रकाशित भविष्य निधि समाचार के नियमित प्रकाशन पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से श्री लायक राम डबास, अपर केन्द्रीय आयुक्त (मा.सं.) की अध्यक्षता में संपन्न संपादक मण्डल की बैठक हुई।

अध्यक्ष महोदय ने संपादक मण्डल के सभी सदस्यों को अपेक्षित सहयोग प्रदान करने का निदेश दिया तथा व्यक्तिगत रुचि लेकर पत्र का सफल एवं नियमित प्रकाशन करने की दिशा में सतत प्रयास करने की सलाह दी।

सिंडिकेट बैंक आंचलिक कार्यालय, सरोजिनी हाऊस, 6, भगवानदास रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक 30-5-2003 को सिंडिकेट बैंक ने अपना कालकाजी डिपो शाखा को हिन्दी में पूर्णत: कंप्यूटरीकृत शाखा के रूप में विकसित किया है। देश में बैंक की पहली ऐसी शाखा है। अब इस शाखा के ग्राहक अपने खातों के द्विभाषिक विवरण प्राप्त कर सकेंगे। बैंक ने इसके लिए बैंक मित्र नामक द्विभाषिक सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है। शुक्रवार को इस द्विभाषिक सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन का उद्घाटन दिल्ली अंचल के महाप्रबंधक राजेन्द्र अबरोल ने किया। इस मौके पर दिल्ली अंचल के प्रबंधक (राजभाषा) डॉ देशबंन्धु राजेश तिवारी और कालकाजी शाखा प्रबंधक पी०के० पराशर के अलावा बैंक के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

लघु उद्योग सेवा संस्थान कांजाणी रोड, अय्यतोल डाकघर, तृश्शूर (केरल)

दिनांक 21-3-03 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में सम्पन्न क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र के ग क्षेत्र के केन्द्र संरकार कार्यालयों की श्रेणी में, राजभाषा कार्यान्वयन के उत्कृष्ट निष्पादन हेतु वर्ष 2000-01, 2001-02 के दौरान द्वितीय स्थान का शील्ड व प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ। इस संस्थान के वरिष्ठ हिंदी अनुवादक श्रीमती राजश्री वर्मा ने इस सम्मेलन के अध्यक्ष माननीय उप प्रधान मंत्री श्री लालकृष्ण अडवानी के करकमलों से पुरस्कार ग्रहण किया।

कार्यक्रम का प्रारम्भ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्जवलन के साथ हुआ। सरस्वती वंदना के पश्चात राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के सचिव ने मंच पर आसीन माननीय मुख्य अतिथि— उप प्रधान मंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी एवं अन्य महानुभावों तथा सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया। तदोपरांत माननीय गृह राज्य मंत्री श्री ईश्वर दयाल स्वामी ने सदस्यगणों को सम्बोधित किया। इसके उपरांत मुख्य अतिथि—माननीय उप प्रधान मंत्री श्री लालकृष्ण अडवाणी ने वर्ष 2000-2001 व 2001-2002 के दौरान मध्य, पश्चिम, दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों के लिए (न रा का स सहित) केन्द्र सरकारी कार्यालयों/बैंकों आदि को उनके क्रमानुसार संघ सरकार की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट निष्पादन हेतु शील्ड व प्रमाण-पत्रों से सम्मानित कर गौरवान्वित किया। इसी क्रम में दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के ग क्षेत्र के केन्द्र सरकारी कार्यालयों की श्रेणी में इस को वर्ष 2000-2001 व 2001-2002 के दौरान द्वितीय स्थान का शील्ड प्राप्त हुआ।

महा प्रबंधक दूरसंचार जिला, कारवार

गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा ''ग'' क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यालयों में वर्ष 2000-2001 के लिए राजभाषा हिंदी के उत्कृष्ठ कार्यान्वयन के प्रथम राजभाषा पुरस्कार उत्तर कन्नड दूरसंचार जिले को मिला है। यह पुरस्कार स्वरूप शील्ड दिनांक 21-3-2003 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित ''अखिल भारतीय संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह'' में माननीय उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण अडवाणी जी के करकमलों से श्री पी सुब्बरामय्याजी महा प्रबंधक दूरसंचार, भारत संचार निगम लिमिटेड, उत्तर कन्नड जिला, ने स्वीकार किया। इस महान यश का श्रेय उत्तर कन्नड दूरसंचार जिले के सभी अधिकारी/कर्मचारियों को जाता है। मंच पर श्री ईश्वर दयाल स्वामी, सम्माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने समारोह की अध्यक्षता की। श्री गोविन्दराव पटवर्धनजी, सचिव राजभाषा विभाग तथा श्री मदनलाल गुप्ता जी, संयुक्त सचिव राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय मंच पर उपस्थित रहे।

डाक लेखा कार्यालय में हिंदी पुरस्कार वितरण समारोह

दिनांक 7-3-2003 निदेशक डाक लेखा कार्यालय, अलीगंज लखनऊ में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस वर्ष नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति लखनऊ द्वारा किए गए मूल्यांकन में डाक लेखा कार्यालय को केन्द्र सरकार के लखनऊ स्थित समस्त 122 कार्यालयों के बीच हिंदी के सर्वाधिक प्रचार-प्रसार हेतु दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसी उपलक्ष में इस समारोह का आयोजन हिंदी भाषा में अधिकाधिक कार्य करने हेतु चयनित कर्मचारियों को पुरस्कृत करने के लिए किया गया। पुरस्कार समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि माननीय श्री वीरेन्द्र सिंह बुंदेला, राज्य मंत्री (चिकित्सा) उत्तर प्रदेश शासन ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। तदोपरांत श्री केशरी प्रसाद शुक्ल द्वारा सस्वर मंत्रोच्चार कर मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया। श्री उदय कृष्ण, निदेशक डाक लेखा लखनऊ ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए हिंदी भाषा में अधिकाधिक कार्य करने हेतु कार्यालय के कर्मचारियों की मुक्त स्वर से सराहना की जिनके प्रयासों से डाक लेखा कार्यालय को लखनऊ स्थित 122 केन्द्रीय कार्यालयों के बीच दूसरा स्थान प्राप्त करने का अवसर मिला। समस्त कर्मचारियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि यह सभी के संयुक्त प्रयासों से सम्भव हो सका है।

तदोपरांत माननीय मुख्य अतिथि द्वारा समस्त चयनित कर्मचारियों को पुरस्कार वितरण किया गया। अपने सम्बोधन में बोलते हुए माननीय अतिथि महोदय ने हिंदी के गौरवशाली

इतिहास की चर्चा करते हुए शुद्ध एवं सरल भाषा के प्रयोग पर बल दिया ताकि हिंदी भाषा को उचित स्थान मिल सके।

समारोह के उपरांत धन्यवाद प्रस्ताव कार्यालय के सहायक मुख्य लेखाधिकारी श्री मणिराम ने किया।

अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन

दिनांक 10 तथा 11 जनवरी, 2003 को आकाशवाणी ईटानगर में प्रसार भारती के द्वारा आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के हिंदी अधिकारियों, हिंदी अनुवादकों और विभागीय रचनाकारों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग से संबंधित कठिनाइयों एवं उनके समाधान हेतु गहन विचार-विमर्श किया गया। इसमें आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के अतिरिक्त सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पूर्वोत्तर क्षेत्र के माध्यम एककों का प्रतिनिधित्व रहा। सम्मेलन के अंत में उप महानिदेशक दूरदर्शन डा० पदमनाभम् राव की अध्यक्षता में सर्वभाषा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन का उदघाटन अरुणाचल प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री हरिणातुग जी ने किया।

सर्वभाषा कवि सम्मेलन में असमी भाषा में श्री वेणीमाधव भट्टाचार्य, प्रस्तुति सहायक, दूरदर्शन केन्द्र, डिब्रूगढ़, उड़िया में श्री नित्यानन्द जेना, उप-निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, नई दिल्ली एवं श्री नारायण दास मावतवाला उर्दू में डा० शालिनी सागर, अनुवादक-सह-उद्घोषक, विदेश प्रसारण सेवा, नई दिल्ली, कन्नड़ में डा० एम० वरदराज, हिंदी अनुवादक, दूरदर्शन केन्द्र, बंगलौर एवं इसका हिंदी अनुवाद श्रीमती मालती भट्ट, हिंदी अधिकारी, मंगलौर, गुजराती में डॉ० बलदेवानन्द सागर, तमिल में डा० बालरमणी, कार्यक्रम निष्पादक, दूरदर्शन केन्द्र, पांडिचेरी, तेलगु में डॉ० अनन्त पद्मनाभम राव, उप-महानिदेशक, दूरदर्शन महानिदेशालय, नई दिल्ली, नेपाली में श्रीमती देविका मोक्तान, सहायक केन्द्र निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, नई दिल्ली, बंगला में श्री उत्तम चन्द शाह, हिंदी अधिकारी, आकाशवाणी, मुम्बई, मणिपुरी में सुश्री लैम-पोक-पम वेदान्ती, हिंदी अनुवादक, आकाशवाणी, इम्फाल, मराठी में श्री सूर्यकान्त मन्धाटे, अन्वेषक ग्रेड-1, दूरदर्शन केन्द्र, नागपुर एवं श्री सच्चिदानन्द आवटी, हिंदी अनुवादक, आकाशवाणी, सांगली, मलयालम में श्री ओ० विजयन, हिंदी अधिकारी, आकाशवाणी, कालीकट तथा सिन्धी में श्री हीरो ठाकुर, प्रभारी सिन्धी समाचार एकांश, आकाशवाणी, नई दिल्ली ने कविता पाठ किया। डॉ० कृष्ण नारायण पाण्डेय उप निदेशक रा०भा० तथा डॉ० रेखा व्यास कार्यक्रम अधिशाषी ने संस्कृत काव्य पाठ प्रस्तुत किया।

केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी ईटानगर श्री एन०एम०ए० खामती और केन्द्र प्रमुख दूरदर्शन केन्द्र, ईटानगर ने इस आयोजन को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान दिया। ❑

"एकं सद्विपा बहुधा वदन्ति,
एकं सन्तं बहुधा कल्पयन्त"

—ऋग्वेद

एक ही परमेश्वर है, कोई उसके जैसा दूसरा नहीं।
एक ही को विप्र लोग, बहुत से नामों से वर्णन करते हैं।
वह है एक ही, किन्तु उसकी बहुत प्रकार से कल्पना करते हैं।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली का दिनांक 13 मई, 2003 का कार्यालय ज्ञापन संख्या I/14013/03/94-रा. भा. (नीति-1)

विषय : अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में हिंदी में किए जाने वाले सराहनीय कार्य का उल्लेख करने के संबंध में स्पष्टीकरण

उपर्युक्त विषय पर राजभाषा विभाग के दिनांक 11-11-2002 के समसंख्यक अ०शा० पत्र का कृपया अवलोकन करें जिसमें यह कहा गया है कि केन्द्र सरकार के सभी 'क', 'ख' तथा 'ग' श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों (अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों सहित) द्वारा राजभाषा हिंदी में किए गए सराहनीय कार्य का उल्लेख उनके वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के **'पत्र व्यवहार में कुशलता (Communication Skill)'** संबंधी कॉलम में किया जाए।

2. संदर्भित विषय पर कुछ मंत्रालयों/विभागों ने राजभाषा विभाग से यह स्पष्टीकरण मांगा है कि 'ख' तथा 'ग' वर्ग के कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के प्रपत्र में 'पत्र व्यवहार में कुशलता' शीर्षक वाला कोई कॉलम न होने की स्थिति में उक्त प्रविष्टि किस कॉलम में की जाए?

3. इस संबंध में राजभाषा विभाग में विचार करने के पश्चात् यह निर्णय लिया गया है कि सहायक की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के **भाग-III, कालम 7(ग)—"टिप्पणी और मसौदे लिखने की कोटि"** में तथा लिपिकों (अवर श्रेणी तथा प्रवर श्रेणी) के संबंध में **भाग-III, कॉलम 5—"कार्य अर्थात् निर्धारित रजिस्टरों तथा चार्ट्स आदि के रख-रखाव"** में उनके द्वारा हिंदी में किए गए सराहनीय कार्य का उल्लेख किया जाए।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव (प्रशासन) से अनुरोध है कि वे इसे अपने संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों आदि की जानकारी में भी ला दें।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली का दिनांक 23 मई, 2003 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/12012/01/03-रा. भा. (का०-2)

विषय : हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार : वर्ष 2002-2003

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 30 जुलाई, 1986 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/2/85-रा.भा. (क-2) के तहत केन्द्र सरकार के सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना परिचालित की गई थी।

2. इस पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष 2002-03 के लिए प्रविष्टियां आमन्त्रित की जाती हैं।

3. **पात्रता तथा शर्तें :**

(i) योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए वे पुस्तकें ही स्वीकार्य हैं जो लेखक की हिंदी में मौलिक रचना हों।

(ii) अनूदित पुस्तकें स्वीकार्य नहीं हैं।

(iii) पुस्तक 01 अप्रैल, 2002 से 31 मार्च, 2003 के दौरान लिखी अथवा प्रकाशित की गई हो।

(iv) पुस्तक के लेखक केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों और उनके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण एवं स्वामित्व में आने वाली स्वायत्त संस्थाओं, विश्वविद्यालयों,

शैक्षिक व प्रशिक्षण संस्थानों के सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी हों। इस संबंध में पुस्तक के लेखक द्वारा अनुलग्नक 'ख' पर दिये गये प्रोफार्मा में एक प्रमाणपत्र दिया जाना अपेक्षित है। सेवारत अधिकारी/कर्मचारी अपनी प्रविष्टि अपने विभाग/कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा सत्यापन तथा संस्तुति के साथ (अनुलग्नक 'ग' पर दिए गए प्रोफर्मा में) इस विभाग को भेजें। सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी अपनी पुस्तकें सीधे राजभाषा विभाग को या सेवानिवृत्ति से पूर्व वे जिस संगठन में कार्यरत रहे, उस विभाग/कार्यालय/संगठन के अध्यक्ष के माध्यम से भिजवा सकते हैं।

(v) पुस्तक की विषय वस्तु केन्द्रीय सरकार के उक्त कार्यालयों/संगठनों/संस्थानों में कर्मचारियों द्वारा किए गए/किए जा रहे कार्यों से संबंधित हों। मैनुअल, शब्दावलियां, संस्मरण, कविताएं, कहानियां, नाटक, उपन्यास आदि इस योजना के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं हैं।

(vi) पुस्तक किसी शैक्षिक या प्रशिक्षण संस्थान के पाठ्यक्रम में शामिल न हो।

(vii) लेखक इस आशय का प्रमाण-पत्र दें कि यह पुस्तक उनकी मौलिक रचना है और कापीराइट एक्ट (यथा संशोधित) 1997 के तहत किसी अन्य लेखक के कापीराइट का उल्लंघन नहीं करती है।

(viii) प्रत्येक प्रविष्टि के साथ पुस्तक की चार-चार प्रतियां अवश्य भेजी जाएं।

(ix) योजना के अंतर्गत प्राप्त पुस्तकें वापिस नहीं की जा सकेंगी और इस संबंध में किसी अंतरिम पूछताछ का उत्तर नहीं दिया जाएगा।

(x) योजना के अंतर्गत प्रेषित सभी पुस्तकों पर विशेषज्ञ की राय अनुलग्नक 'क' पर दिए गए प्रोफार्मो में राजभाषा विभाग को भिजवाई जाए। विशेषज्ञों को पुस्तक की विषयवस्तु से संबंधित शब्दावली तथा हिंदी भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है। विशेषज्ञ कोई गैर सरकारी व्यक्ति जैसे सेवानिवृत्त अधिकारी या विश्वविद्यालयों/इंजीनियरिंग/मेडिकल संस्थानों में कार्यरत प्रोफेसर आदि हो सकते हैं। पुस्तकों के मूल्यांकन से संबंधित मानदेय का दावा, यदि कोई हो, राजभाषा विभाग को न भेजकर, संबंधित मंत्रालय/विभाग/संगठन के प्रशासनिक प्रधान के पास भेजा जाए।

4. इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित तीन पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे :—

(1)	प्रथम पुरस्कार	—	रु० 20,000
(2)	द्वितीय पुरस्कार	—	रु० 16,000
(3)	तृतीय पुरस्कार	—	रु० 10,000

5. पुस्तकों का मूल्यांकन एक समिति द्वारा किया जाता है।

6. प्रविष्टियां इस विभाग में दिनांक **31 जुलाई, 2003** तक अवश्य पहुंच जानी चाहिए। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. प्रविष्टियां निम्न पते पर भेजी जाएं :—

अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन)

कार्यान्वयन-2 अनुभाग,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
द्वितीय तल, लोकनायक भवन, ए विंग,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

8. मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे हिंदी में मौलिक पुस्तक लिखने की उपर्युक्त योजना को अपने सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों राष्ट्रीयकृत बैंकों, वित्तीय संस्थाओं एवं केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में आने वाले केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा शैक्षणिक/प्रशिक्षण संस्थानों में परिचालित कर दें।

विशेषज्ञों के लिए निर्देश

1. पुस्तकों के संबंध में विशेषज्ञ की राय पूर्णतया गोपनीय होगी। विशेषज्ञ कृपया अपना संस्तुति पत्र मोहरबंद लिफाफे में ही भेजें।

2. कृपया लिफाफे की बाईं ओर निम्नलिखित सूचनाएं अंकित करें :—

   (i) "इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार-संस्तुति पत्र"

   (ii) लिफाफा पुस्तक मूल्यांकन समिति की बैठक में ही खोला जाए।

   (iii) पुस्तक का नाम

   (iv) विशेषज्ञ का नाम

3. विशेषज्ञ कृपया पुस्तक के संबंध में नीचे दिए गए संस्तुति पत्र में उद्धृत बिन्दुओं पर अपनी राय अवश्य दें। यदि जाँच के अन्य मानक बिन्दुओं का समावेश करना चाहें, तो अलग से कर लें, परन्तु नियत बिन्दुओं पर अपनी निष्पक्ष राय अवश्य दें।

4. सेवारत अधिकारियों, कर्मचारियों आदि के मामले में "संस्तुति पत्र" का लिफाफा संबंधित कार्यालय/विभाग, संगठनों के प्रशासनिक प्रधान के माध्यम से "राजभाषा विभाग" को भेजा जाए तथा सेवानिवृत्त अधिकारियों आदि के संबंध में वह सीधे राजभाषा विभाग को भेजा जाए।

पुस्तक का संस्तुति संबंधी प्रपत्र

1. पुस्तक का नाम..

2. लेखक का नाम..

3. क्या पुस्तक की विषय-वस्तु पर हिंदी में यह पहली रचना है ?..

4. क्या पुस्तक में प्रयुक्त तथ्य शुद्ध तथा अद्यतन है ?..

5. क्या विषय वस्तु में मौलिकता का निर्वाह हुआ है ?..

6. क्या लेखक की कृति अद्यतन चेतना तथा भविष्यगामी परिकल्पनायुक्त है ?..

7. क्या पुस्तक सामान्य पाठक के लिए रोचक तथा उपयोगी है ?..

8. कोई अन्य उल्लेखनीय विचार :..

9. समेकित रूप में विवेच्य पुस्तक किस श्रेणी में रखी जा सकती है :

   "क" — 85% से ऊपर

   "ख" — 60% से 85% तक

   "ग" — 60% से कम

विशेषज्ञ के हस्ताक्षर :

नाम व पूरा डाक पता :

दूरभाष :

अनुलग्नक ''ख''

हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना वर्ष 2002-2003

1. (क) लेखक का नाम ....

   (ख़) पदनाम या पूर्व पदनाम ....

   (ग) कार्यालय या पूर्व कार्यालय का नाम ....

   (घ) मंत्रालय/विभाग का नाम ....

   (ङ) लेखक का पूरा डाक पता (पिनकोड सहित) ....

   (च) दूरभाष नं० (एस०टी०कोड सहित)/फैक्स ....

2. पुस्तक का नाम ....
3. पुस्तक का विषय ....
4. प्रकाशक का नाम व पता ....
5. प्रकाशन का वर्ष ....
6. पुस्तक लिखने का कार्य सम्पन्न करने की तिथि (माह-वर्ष) ....
7. मैं .... पुत्र/पुत्री श्री ....

   जो कि 01 अप्रैल, 2002 से 31 मार्च, 2003 के दौरान केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में आने वाले ....(कार्यालय का नाम) में कार्यरत रहा/रही हूँ*या (सेवा निवृत्त व्यक्तियों के संबंध में) .... को (सेवानिवृत्ति की तिथि) .... (पदनाम) के पद से .... से (कार्यालय का नाम) सेवानिवृत्त हुआ हूँ, एतद्द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि :—

   (i) उक्त पुस्तक मेरी मौलिक रचना है और कापीराइट एक्ट (यथा संशोधित) 1997 के तहत किसी अन्य लेखक के कापीराइट का उल्लंघन नहीं करती है।

   (ii) उक्त पुस्तक .... के बीच में लिखी गई/प्रकाशित हुई है।

   (iii) मेरी उक्त पुस्तक के विषय का सम्बन्ध मेरे द्वारा किए जा रहे/किए गए कार्य से है।

दिनांक :

लेखक के हस्ताक्षर

***नोट :** जो लागू न हों काट दें।

....

अनुलग्नक ''ग''

मंत्रालय/विभाग/सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय द्वारा सत्यापन तथा संस्तुति

लेखक द्वारा दिए गए उपर्युक्त तथ्यों तथा सम्बद्ध रिकार्ड के आधार पर उपर्युक्त कृति को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार, वर्ष 2002-03 के विचार हेतु योग्य पाया गया है, एतदर्थ संस्तुति की जाती है।

2. इस विभाग/कार्यालय द्वारा अब तक वर्ष 2002-2003 के पुरस्कार के लिए सिफारिश की गई यह पहली/दूसरी/तीसरी/चौथी पुस्तक है।

3. इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना के अन्तर्गत हिंदी में मौलिक पुस्तक-लेखन के पुरस्कार के लिए पूर्व में उक्त पुस्तक की सिफारिश नहीं की गई है।

अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति के हस्ताक्षर

नाम :

पदनाम :

दिनांक :

मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/संस्थान :

दूरभाष/फैक्स :

बैंक नराकास लखनऊ के तत्वाधान में केनरा बैंक द्वारा आयोजित सामूहिक हिंदी कार्यशाला में बोलते हुए प्रो. सूर्य प्रसाद दीक्षित, पूर्व अध्यक्ष, राजभाषा विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय एवं साथ में बैठे हुए श्री बी० शिवरामन, सहायक महाप्रबंधक।

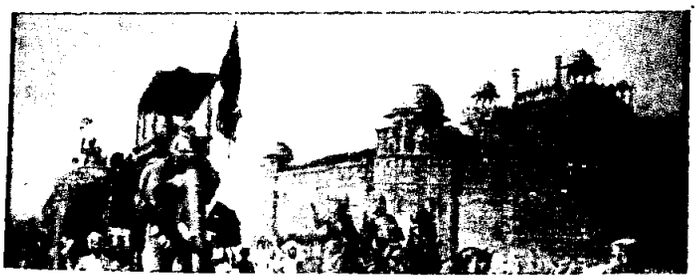

नगर राजभाषा शील्ड स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के सहायक महाप्रबंधक श्री एल० एन० कलानी एवं प्रबंधक (राजभाषा) श्री शिव कुमार श्रीमाली को प्रदान करते हुए मंडल रेल प्रबंधक एवं अध्यक्ष न० रा० का० स० श्री एल० सी० मजुमदार।

संविधान में हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश

351 संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी के और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भण्डार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें।

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, मायापुरी, नई दिल्ली-110064